nafed

A Farmers' Cooperative

...Since 1958

वार्षिक प्रतिवेदन

2023-2024

विनयपूर्ण निवेदन

वित्त एवं लेखा, समन्वय तथा जनसंपर्क विभाग ने इस वार्षिक प्रतिवेदन में सूचना / डेटा को संकलित एवं मुद्रित करते समय उचित सावधानी बरती है, किंतु फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो आपसे अनुरोध है कि उदारता दिखाते हुए इसे मानव भूल के रूप में ही लें।

धन्यवाद

जनसंपर्क विभाग
दूरभाष: +91-11-26340019

A Farmers' Cooperative

...Since 1958

सहयोग एक सरल निर्वाह प्रणाली को विशाल औद्योगिक क्षमता में बदल सकता है

यह देश की अर्थव्यवस्था, विशेषकर ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का एक सिद्ध तरीका है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी

स्रोत 24 फरवरी 2024 को सहकारी समितियों के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का संबोधन

नेफेड
का विजन वक्तव्य

किसानों, सरकार और उपभोक्ताओं के बीच कुशल बाजार संपर्क के माध्यम से कृषि वस्तुओं के लिए विपणन समाधान उपलब्ध कराने में वैश्विक सहकारी अग्रणी बनना।

विषय सूची

अध्याय सं	विषय	पृष्ठ सं.
	प्रबंध निदेशक का संदेश	4
1	भारत में कृषि परिदृश्य:एक अवलोकन	6
2.	सहकारिताः बेहतर भारत का निर्माण	13
3.	निदेशक मंडल (2023-24)	16
4.	नेफेड की प्रबंधन टीम	18
5.	नेफेड की 01.04.2023 से 31.03.2024 के दौरान आयोजित बैठकें एवं सदस्यता	19
6.	नेफेड के गत पांच वर् षों (वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक) के वित्तीय वृंतात	20
7.	नेफेड की सफलता के सूत्र	22
8.	नेफे ड एक नजर में	23
9.	दालो ं में आत्मनिर्भरता: ई-समृद्धि पोर्टल	26
10.	अंतर्राष्ट्रीय श्रीअन्न वर्ष (आईवाईओएम 2023)	28
11	नेफेड के कारोबारी कार्य क्षेत्र	34
	11.1 दलहन और तिलहन	35
	11.2 खाद्यान्न	37
	11.3 बागवानी	38
	11.4 प्रत्यक्ष कारोबार	40
	11.5 संस्थागत आपूर्ति	41
	11.6 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार	43
	11.7 खुदरा कारोबार	45
	11.8 जूट	47
	11.9 बीज व्यवसाय	49
	11.10 जैव उर्वरक	52
	11.11 मक्का	53
	11.12 जैविक कृषि	54
	11.13 जलवायु अनुकूल नवाचार पहल (सीआरआई)	55
	11.14 किसानो ं तक पहुंच और सुविधा (एफओएफ)	56
	11.15 सहकारी विकास	57
	11.16 संपत्ति और औद्योगिक इकाइयाँ	58
12	विधिक एवं टाई-अप	59
13.	जनसंपर्क	60
14.	कार्मि क एवं सतर्कता	64
15.	सूचना प्रौद्योगिकी	65
16.	हिंदी	66
17.	वार्षिक लेखे	68

प्रबंध निदेशक का संदेश

A Farmers' Cooperative

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नेफेड)

इस वर्ष, जब हमने नेफेड के 67वें गौरवशाली वर्ष पूरे किए, हमें इस बात पर गर्व की अनुभूति हो रही है है कि हम एक ऐसे गतिशील और प्रभावशाली महासंघ के रूप में विकसित हुए हैं जो माननीय प्रधानमंत्री के "सहकार से समृद्धि" के दूरदर्शी लक्ष्यों के अनुरूप कार्य कर रहा है। नेफेड, अब अपना ध्यान उन क्षेत्रों में बहुआयामी परिचालन दक्षता प्राप्त करने की ओर केंद्रित कर रहा है जहां उसने अपनी पकड़ नहीं बनाई थी, साथ ही किसानों की आय बढ़ाने, उनके जीवन और आजीविका में सकारात्मक बदलाव लाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने का निरंतर प्रयास कर रहा है। राष्ट्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता हमारे प्राथमिक मिशन से आगे तक है, क्योंकि हम सरकार के प्रमुख कल्याण कार्यक्रमों का सक्रिय रूप से समर्थन करना जारी रखते हैं और अपनी व्यापक सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूर्ण करते हैं।

मुझे नेफेड की वित्त वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अपार प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। इस अवधि के दौरान, नेफेड ने 26,520.34 करोड़ रुपये का कारोबार किया, जिससे इसकी लाभप्रदता की मजबूत स्थिति बनी रही। प्रचालन की दृष्टि से नेफेड का प्रचालन लाभ 632.15 करोड़ रुपये रहा। स्थापन और प्रशासनिक व्यय, के साथ आस्थगित करों और आयकर देनदारियों की दृष्टि से महासंघ का निवल लाभ 492.38 करोड़ रुपये रहा।

मुझे आपको यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि नेफड के सदस्यों की संख्या 994 से बढ़कर 1015 हो गई है तथा इस वित्त वर्ष 2023-24 में शेयर पूंजी 43.07 करोड़ रुपये से बढ़कर 50.68 करोड़ रुपये हो गई है। हाल के वर्षों में नेफेड के निरंतर बेहतर कार्य निष्पादन को देखते हुए, निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सदस्य संघों/सोसायटियों के लिए 15% का लाभांश देने का प्रस्ताव किया है।

कृषि जिसों की खरीद और विपणन नेफेड के मूल क्रियाकलापों में से एक है। वर्ष के दौरान सबसे अधिक कारोबार दलहन, तिलहन, खाद्यान्न और प्याज की खरीद की वजह से हुआ। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के अंतर्गत 22,118.66 करोड़ रुपये की 37.92 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद की गई। इसके अतिरिक्त, नेफेड ने उपभोक्ता मामले विभाग (डीओसीए) के निदेशानुसार वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान मूल्य स्थिरीकरण निधि (पीएसएफ) के अंतर्गत 220.61 करोड़ रुपये की 0.22 लाख मीट्रिक टन दलहन की खरीद भी की। इस उद्देश्य के लिए, नेफेड ने 1709.29 करोड़ रुपये के 262082.20 मीट्रिक टन तुअर और मसूर के आयातित स्टॉक की भी खरीद की है।

प्याज के बफर स्टॉकिंग के लिए नामित एजेंसी के रूप में नेफेड ने महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों में सूचीबद्ध सहकारी समितियों, किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के सहयोग से 541.10 करोड़ रुपये के 2.85 लाख मीट्रिक टन प्याज की खरीद भी की।

वर्ष के दौरान, नेफेड ने भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों की ओर से विकेन्द्रीकृत खरीद के अंतर्गत असम और पश्चिम बंगाल राज्यों में 220.58 करोड़ रुपये के 1.078 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न (धान) की खरीद की।

नेफेड ने राष्ट्रीय दलहन बफर से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), मिड-डे मील (एमडीएम) और एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) जैसी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत सेना, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और विभिन्न राज्यों को 1486.02 करोड़ रुपये के लगभग 2.68 लाख मीट्रिक टन प्रसंस्कृत दालों की आपूर्ति की। इसके अलावा, नेफेड ने विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत खाद्य तेल, चीनी, नमक, किराना सामान, श्रीअन्न, चावल आदि की आपूर्ति जारी रखी।

हम सभी के अत्यंत गर्व की बात है कि संघ ने भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नेफेड) को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उल्लेखनीय प्रगति करने करना जारी रखा है और प्रतिष्ठित ऑर्डर हासिल करके विदेशी बाजार में अपनी पैठ को और भी मजबूत किया है। पिछले वर्ष में नेफेड ने 42.09 करोड़ रुपये का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

किया। इसमें भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की ओर से मानवीय सहायता के रूप में ईरान के चाबहार बंदरगाह के माध्यम से अफगानिस्तान को 10,000 मीट्रिक टन गेहूं की आपूर्ति शामिल थी। इसके अतिरिक्त नेफेड ने विभिन्न कृषि जिंसों की आपूर्ति के लिए एसटीसी, मॉरीशस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और सरकार-से-सरकार व्यवस्था के अंतर्गत पोर्ट लुइस, मॉरीशस को 1000 मीट्रिक टन गैर-बासमती उबले चावल की सफलतापूर्वक आपूर्ति की। नेफेड ने नेशनल को-ऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से फुंटशोलिंग भूटान को 2080 मीट्रिक टन गैर-बासमती सफेद चावल की भी आपूर्ति की

10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन और संवर्धन के मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय कार्यान्वयन एजेंसियों में से एक के रूप में, नेफेड ने वर्ष 2020-21 से 2023-24 के लिए 28 राज्यों में 1167 एफपीओ के सापेक्ष अब तक 1095 एफपीओ को सफलतापूर्वक पंजीकृत किया, जिससे लगभग 2.35 लाख किसान जुड़े हैं। नेफेड की पहल आने वाले वर्षों में नवीन प्रयासों के माध्यम से महत्वपूर्ण रूप से विस्तार करने के लिए तैयार है, इन सभी पहलों का व्यापक उद्देश्य किसानों/उत्पादकों को किसानों की आय बढ़ाने के माननीय प्रधान मंत्री के विजन के अनुरूप निरंतर कार्य करना है।

नेफेड ने सतत कृषि को बढ़ावा देने की दिशा में सक्रिय रूप से काम करना जारी रखा है। नेफेड ने जैविक खेती में विविधता लाते हुए तकनीकी भागीदारों के सहयोग से ओडिशा राज्य में जैविक खेती परियोजनाओं को लागू किया है। इसके अतिरिक्त, मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी (एमओएमए) ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट (एमओवीसीडीएनईआर) चरण ।।। के अंतर्गत वित्त वर्ष 2020-21 से मणिपुर में उत्पादक समूह/किसान उत्पादक कंपनी के लिए जैविक प्रमाणीकरण के कार्यान्वयन का कार्य नेफेड को सौंपा है, जो वर्तमान में प्रगति पर है।

इसके अलावा, नेफेड ने वित्त वर्ष के दौरान जैव उर्वरक कारोबार में 2.87 करोड़ रुपये, बीज के कारोबार में 31.95 करोड़ रुपये और खुदरा कारोबार में 34.08 करोड़ रुपये का सकल लाभ अर्जित किया।

भारत सरकार के उपभोक्ता कार्य मंत्रालय के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) की ओपन मार्केट सेल स्कीम (ओएमएसएस के अंतर्गत, नेफेड ने भारत ब्रांड का शुभारंभ किया, जिसमें अपनी महत्वपूर्ण कारोबारी उपस्थिति दर्ज करते हुए नेफेड ने 4,048.77 करोड़ रुपये का कारोबार किया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण भारत के उपभोक्ताओं के लिए किफायती और आवश्यक खाद्य उत्पादों की सुलभता सुनिश्चित करना है, जिससे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और बाजार स्थिरीकरण के प्रति नेफेड की प्रतिबद्धता और मजबूत होगी।

मैं भारत सरकार को पिछले कई वर्षों से नेफेड को अपना बहुमूल्य समर्थन और अनवरत सहयोग देने के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता और किसान हितैषी नीतियों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों की आय को बढ़ाने के उद्देश्य से हम सभी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और प्रेरणा का स्रोत का काम किया है। मैं किसानों के हित में नेफेड के कारोबार को बढ़ाने में उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन और दिशा-निर्देश के लिए माननीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी और माननीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय और खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले मंत्रालय को भी देश के किसानों और और उपभोक्ताओं के हित में विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में नेफेड को अपना समर्थन देने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं वित्त मंत्रालय को भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने नेफेड को समय पर वित्तीय सहायता प्रदान की जिससे इन योजनाओं और कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन में मदद मिली। मैं विभिन्न देशों को मानवीय और अन्य सहायता की आपूर्ति के लिए नेफेड में अपना भरोसा एवं विश्वास बनाए रखने के लिए विदेश मंत्रालय के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं।

नेफेड डीजीएफटी, एनसीडीसी, एनसीयूआई, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, पंजाब नैशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आंध्रा बैंक, केनरा बैंक, अपीडा, सीडब्ल्यूसी, एनएचबी, एसएफएसी, इफको, कृभको, एनसीसीएफ, एनएचआरडीएफ, एनसीसी, ट्राइफेड, नागरिक आपूर्ति निगम और राज्य भंडारण निगम, राज्य स्तरीय बीज निगम और अन्य सभी सरकारी विभाग और स्वायत्त निकायों का भी आभारी है जिन्होंने नेफेड को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता की है।

मैं माननीय अध्यक्ष और बोर्ड के सदस्यों को उनके कुशल मार्गदर्शन और समर्थन के लिए अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं अपने सदस्य घटकों और अन्य सभी सहकारी संगठनों से प्राप्त बहुमूल्य सहायता और सहयोग के लिए अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आइए हम देश के किसानों की सेवा करते हुए संघ को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने में सहयोग करना और लगन से प्रयास करना जारी रखें।

अंत में, मैं यह स्वीकार करता हूं कि नेफेड इस स्तर का प्रदर्शन केवल हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों के अथक प्रयासों, समर्पण और प्रतिबद्धता के कारण ही संभव हो पाया है, जिन्होंने हमें आज जिस ऊंचाई पर पहुँचाने में अथक परिश्रम किया है। नेफेड सदैव उनके निरंतर समर्पण की अपेक्षा करता है क्योंकि हम आगे की यात्रा में और भी ऊँचे लक्ष्य रखते हैं।

धन्यवाद

पंकज कुमार बंसल

अध्याय 1

भारत में कृषि परिदृश्य: एक अवलोकन

पृष्ठभूमि

भारत का कृषि क्षेत्र केवल खाद्य उत्पादन तक ही सीमित नहीं है अपितु यह ग्रामीण विकास और आर्थिक स्थिरता का प्रमुख कारक भी है। प्रौद्योगिकी और अवसंरचना क्षेत्र में निरंतर प्रगति के साथ, यह क्षेत्र बढ़ती आबादी की मांगों को पूरा करने के लिए निरंतर विकसित हो रहा है। इस क्षेत्र में कार्यरत आधे से अधिक कार्यबल के साथ, कृषि क्षेत्र ने 2022-23 में देश के सकल मूल्य वर्धन में लगभग 18.3% का योगदान दिया। इसके सतत विकास का समर्थन करने के लिए, भारत सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अनेक उपाय लागू किए हैं।

वर्ष 2023-24 के अनुसार, भारत में लगभग 42.3% परिवार अपने जीवन यापन के लिए कृषि पर निर्भर हैं। भू उपयोग सांख्यिकी 2021-22 के अनुसार, कृषि के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र के मामले में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है जिसकी लगभग 141 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई होती है। हालाँकि, समय के साथ प्रति परिवार कृषि भूमि का आकार घट रहा है, देश में 86% से अधिक किसान छोटे और सीमांत के रूप में वर्गीकृत हैं। भूमि जोत का घटता आकार, बढ़ती इनपुट लागत, अस्थिर बाजार व्यवहार और मिट्टी के क्षरण, प्रतिकूल मौसम की स्थिति, घटता भूजल स्तर और अविश्वसनीय बिजली आपूर्ति जैसे मुद्दों के कारण आर्थिक व्यवहार्यता एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है।

परिवारों के लिए खेती के महत्व को समझते हुए, भारत सरकार लगातार कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देती है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को बेहतर तकनीक, ऋण तक पहुँच, बेहतर कृषि इनपुट और उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए बढ़े हुए बाज़ार अवसर प्रदान करना है।

आगे की राह

वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में कृषि क्षेत्र का योगदान 18.3% रहा। कृषि में सतत विकास सुनिश्चित करने और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए भारत सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। उत्पादकता बढ़ाने, उत्पादन लागत कम करने, फसलों में विविधता लाने, वास्तविक

कीमतों में सुधार लाने और गैर-कृषि व्यवसायों को बढ़ावा देने सहित आय वृद्धि के प्रमुख चालकों की पहचान करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया गया था।

सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, बिजली और सिंचाई जैसे बुनियादी ढांचे में निवेश करने के साथ-साथ कृषि में निजी क्षेत्र के निवेश के लिए नीतिगत समर्थन प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र का ध्यान उत्पादन लक्ष्यों से हटाकर आय उत्पन करने पर केंद्रित करना है। सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (कृषि सिंचाई योजना), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (फसल बीमा योजना), परम्परागत कृषि विकास योजना (पारंपरिक कृषि विकास योजना), मृदा स्वास्थ्य योजना, नीम लेपित यूरिया पहल और ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार, ई-समृद्धि मंच जैसी अनेक योजनाएं लागू की हैं। इन पहलों का मुख्य उद्देश्य उत्पादकता में सुधार लाना, बाजार से संपर्क स्थापित करना और किसानों की आय बढ़ाना है।

केंद्रीय क्षेत्र योजना "10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन"-

केंद्रीय क्षेत्र की इस योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) के माध्यम से 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की स्थापना और उन्हें बढ़ावा देना है। इस उद्देश्य के लिए एसएफएसी, नाबार्ड, एनसीडीसी, नेफेड, ट्राइफेड और एनडीडीबी सहित तेरह आईए को मंजूरी दी गई है। एफपीओ का गठन उत्पादन समूहों में किया जाता है, जिससे

बड़ी अर्थव्यवस्था और बेहतर बाजार पहुंच सक्षम होती है। क्लस्टर-आधारित व्यवसाय संगठन (सीबीबीओ) एफपीओ बनाने में मदद करते हैं और पांच साल तक समर्थन प्राप्त करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ सीबीबीओ को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। एफपीओ के 60% उत्पादन के लिए बाजार संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कई राज्यों में इन फसलों में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए एनएफएसएम-सीसी के अंतर्गत कपास, जूट और गन्ने के लिए फसल विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है।

बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन (एमआईडीएच)-

एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) में बागवानी पर केंद्रित पांच योजनाएं सम्मिलित हैं: राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम), पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (एचएमएनईएच), राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी), नारियल विकास बोर्ड (सीडीबी), और केंद्रीय बागवानी संस्थान (सीआईएच), नागालैंड।

इस मिशन का वित् पोषण भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकारें करती हैं। भारत सरकार इस निधि में पूर्वोत्तर और हिमालय के राज्यों, जहाँ यह 90% अंशदान देती है, को छोड़कर अन्य सभी राज्यों को 60% अंशदान देती है। भारत सरकार एनएचबी, सीडीबी, सीआईएच नागालैंड और राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों (NLA) के लिए 100% निधि प्रदान करती है।

वित्त वर्ष 2023-24 में एमआईडीएच को 1965.98 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। 31 दिसंबर, 2023 तक एमआईडीएच के क्रियाकलापों के लिए 805.60 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। इसमें एनएचसम, एचएमएनईएच, सीडीबी, एनएचबी और सीआईएच का आवंटन सम्मिलित है।

वर्ष 2005-06 में प्रारंभ एमआईडीएच का मुख्य उद्देश्य क्लस्टर दृष्टिकोण और हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देना है। एनएचएम 18 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के 384 जिलों को कवर करता है। 16 राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियां (एनएलए) राष्ट्रीय स्तर पर इसे सहायता प्रदान करती हैं।

एनएचएम गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की आपूर्ति, बागवानी क्षेत्रों का विस्तार और कायाकल्प, प्रौद्योगिकी और ज्ञान प्रसार को बढ़ावा देने, मानव संसाधन विकसित करने और कटाई के बाद प्रबंधन और विपणन बुनियादी ढांचे का निर्माण जैसे हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित करता है। ये हस्तक्षेप प्रत्येक राज्य/क्षेत्र की विशिष्ट कृषि-जलवायु स्थितियों के अनुरूप हैं।

राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम)/राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड (एनबीबी)-

मधुमक्खी पालन, एक ऐसी कृषि गतिविधि है, जिसका ग्रामीण क्षेत्रों में खेती करने वाले किसानों और भूमिहीन मजदूरों द्वारा एकीकृत कृषि प्रणाली (आईएफएस) के भाग के रूप में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। इसके लाभों में बेहतर फसल परागण सम्मिलित है जिसके परिणामस्वरूप अधिक उपज के माध्यम से किसानों और मधुमक्खी पालकों की आय में वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त, मधुमक्खी पालन से शहद, मोम, मधुमक्खी पराग, प्रोपोलिस, रॉयल जेली और मधुमक्खी विष जैसे मूल्यवान उत्पाद मिलते हैं, जो ग्रामीण गरीबों के लिए आजीविका का साधन हैं। भारत की विविधताभरी कृषि-जलवायु परिस्थितियाँ शहद उत्पादन और निर्यात के लिए अपार संभावनाएँ और अवसर प्रदान करती हैं।

मधुमक्खी पालन के महत्व को समझते हुए, भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत घोषणा के भाग के रूप में "राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)" की शुरुआत की है। इस योजना के लिए आरंभ में वर्ष 2020-21 से 2022-23 की अवधि के लिए 500.00 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया था, जिसे 2023-24 से 2025-26 तक तीन वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसमें मूल बजट से 370.00 करोड़ शेष हैं। इसका मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक रीति से मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना और विकसित करना तथा शहद उत्पादन में आत्मनिर्भरता का लक्ष प्राप्त करना है। इस मिशन में तीन मिनी मिशन (एमएम) सम्मिलित हैं – एमएम-I, एमएम-II और एमएम -III

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)-

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) की शुरुआत वर्ष 2007-08 में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक चावल, गेहूं और दालों का उत्पादन क्रमशः 10, 8 और 2 मिलियन मीट्रिक टन बढ़ाना था। इस मिशन ने कृषि क्षेत्रों का विस्तार किया, उत्पादकता में सुधार किया, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई, रोजगार के अवसर पैदा किए और कृषि-स्तरीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने कार्य किया। 12वीं योजना के दौरान, मिशन का लक्ष्य चावल, गेहूं, दालों और मोटे अनाज सहित 25 मिलियन मीट्रिक टन अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन करना था।

इस मिशन ने बेहतर कृषि प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दिया, आवश्यक संसाधनों का वितरण किया और क्षमता निर्माण तथा स्थानीय पहलों पर ध्यान केंद्रित किया। इसने पुरस्कारों के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को भी मान्यता दी।

वर्ष 2020-21 से, मिशन में प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयाँ, छोटे भंडारण डिब्बे और स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर लचीलेपन के हस्तक्षेप सम्मिलित हैं। वर्तमान में, एनएफएसएम को 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के चिन्हित जिलों में लागू किया गया है। यह विभिन्न राज्यों के विभिन्न जिलों में चावल, गेहूं, दालों और मोटे अनाज पर केंद्रित है। कार्यक्रम में कुछ जिलों में पोषक अनाज पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।

सरकार ने वर्ष 2014-15 से एनएफएसएम-सीसी के अंतर्गत कपास, जूट और गन्ने के लिए फसल विकास कार्यक्रम को भी मंजूरी दी है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और प्रशिक्षण के माध्यम से इन फसलों में उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना है। एनएफएसएम-सीसी देश भर के कई राज्यों में कपास, जूट और गन्ने को कवर करता है।

सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसए)-

राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) का एक अभिन्न अंग है। इसका मुख्य उद्देश्य टिकाऊ कृषि पद्धतियों और अनुकूलन रणनीतियों को बढ़ावा देना है। वर्ष 2014-15 से लागू एनएमएसए का उद्देश्य कृषि उत्पादकता, लाभप्रदता और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ाना है।

एनएमएसए के अंतर्गत प्रमुख पहलों में स्थान-विशिष्ट एकीकृत कृषि प्रणालियाँ, मृदा और नमी संरक्षण उपाय, व्यापक मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, कुशल जल प्रबंधन पद्धतियाँ और वर्षा आधारित प्रौद्योगिकियों को अपनाना शामिल है। इसका प्राथमिक लक्ष्य एकीकृत खेती, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और संसाधन संरक्षण के माध्यम से विशेष रूप से वर्षा आधारित क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता बढ़ाना है।

वर्ष 2018-19 से, एनएमएसए को हरित क्रांति-कृषोन्ति योजना के एक भाग के रूप में लागू किया गया है, जिसमें विभिन्न कृषि पहल सम्मिलित हैं। इस योजना में एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (एसएचएम) है, जो मृदा स्वास्थ्य और उत्पादकता में सुधार के लिए उर्वरकों और जैविक खादों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है।

एसएचएम का समर्थन करने के लिए, एनएमएसए किसानों को मिट्टी परीक्षण-आधारित सिफारिशें प्रदान करने के लिए मिट्टी और उर्वरक परीक्षण सुविधाओं को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करता है। यह प्रयोगशाला कर्मचारियों, विस्तार कामगारों और किसानों के कौशल और ज्ञान को उन्नत करने के लिए प्रशिक्षण और प्रदर्शन कार्यक्रमों पर भी जोर देता है, जिससे मिट्टी स्वास्थ्य प्रबंधन प्रथाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित होता है।

वर्ष 2023-24 के लिए कृषि उत्पादन एवं अग्रिम फसल अनुमान

तालिका 1: प्रमुख फसलों का क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उपज

फसल	क्षेत्रफल (मिलियन हेक्टेयर)				उत्पादन (मिलियन टन)				उपज (किलोग्राम/हेक्टेयर)			
	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24*	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24*	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24*
चावल	45.77	46.28	47.83	47.59	124.37	129.47	135.76	136.70	2717	2798	2838	2873
गेंहू	31.13	30.46	31.40	31.23	109.59	107.74	110.55	112.92	3521	3537	3521	3615
पोषक/ मोटे अनाज	24.12	22.70	24.07	24.38	51.32	51.10	57.32	54.73	2128	2251	2381	2245
दलहन	28.78	30.73	28.90	27.01	25.46	27.30	26.06	24.49	885	888	902	907
अनाज	129.80	130.17	132.20	130.21	310.74	315.62	329.69	328.85	2394	2425	2494	2525
तिलहन	28.83	28.95	30.24	30.08	35.95	37.96	41.36	39.59	1247	1312	1368	1316
गन्ना	4.85	5.18	5.89	5.62	405.40	439.42	490.53	442.52	83566	84906	83349	78749
कपास#	13.29	12.37	12.93	12.68	35.25	31.12	33.66	32.52	451	428	443	436
जूट एवं	0.66	0.67	0.66	0.64	9.35	10.15	9.39	9.71	2542	2738	2570	2749

(स्रोत: upag.gov.in)

*वर्ष 2023-24 के आंकड़े तीसरे अग्रिम अनुमान के हैं।

कपास उत्पादन गांठों में, 1 गांठ=170 किलोग्राम।

जूट और मेस्टा उत्पादन गांठों में, 1 गांठ=180 किलोग्राम

वर्ष 2010-11 से 2023-24 की अवधि के दौरान भारत की प्रमुख फसलों का श्रेणीवार उत्पादन

तालिका 2: भारत में अनाज का उत्पादन

(मात्रा मिलियन मीट्रिक टन में)

वर्ष	रबी	खरीफ	कुल
2011-12	116.98	125.22	242.20
2012-13	116.63	122.15	238.78
2013-14	123.09	122.70	245.79
2014-15	112.53	122.34	234.87
2015-16	115.66	119.56	235.22
2016-17	123.24	128.74	251.98
2017-18	128.44	131.16	259.6
2018-19	129.71	133.42	263.13
2019-20	138.59	135.89	274.48
2020-21	143.32	141.96	285.28
2021-22	141.19	147.13	288.32
2022-23	155.53	148.09	303.60
2023-24	154.54	149.82	304.35

(स्रोत: upag.gov.in)

(मात्रा मिलियन मीट्रिक टन में)

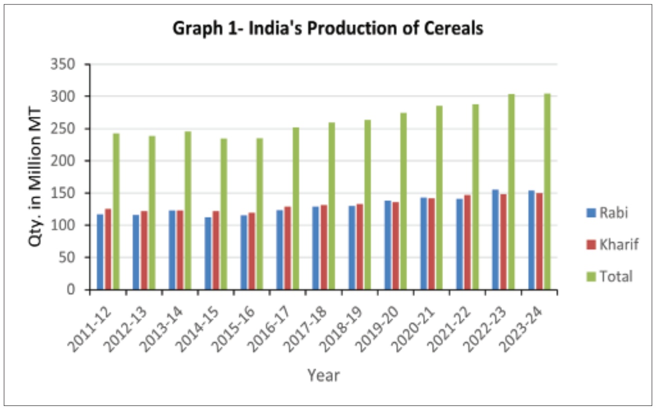

तालिका 3: भारत में दलहन का उत्पादन

(मात्रा मिलियन मीट्रिक टन में)

वर्ष	रबी	खरीफ	कुल
2011-12	11.03	6.06	17.09
2012-13	12.43	5.92	18.35
2013-14	13.26	6.00	19.26
2014-15	11.42	5.73	17.15
2015-16	10.79	5.53	16.32
2016-17	13.55	9.58	23.13
2017-18	16.11	9.31	25.42
2018-19	13.98	8.09	22.07
2019-20	15.10	7.92	23.02
2020-21	16.84	8.62	25.46
2021-22	19.07	8.24	27.31
2022-23	18.43	7.62	26.05
2023-24	17.63	6.86	24.50

(स्रोत: upag.gov.in)

(मात्रा मिलियन मीट्रिक टन में))

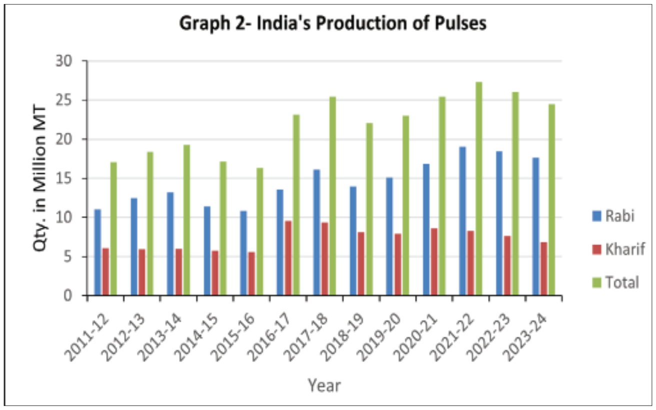

तालिका 4: भारत में तिलहन का उत्पादन

(मात्रा मिलियन मीट्रिक टन में)

वर्ष	रबी	खरीफ	कुल
2011-12	9.10	20.69	29.79
2012-13	10.15	20.79	30.94
2013-14	10.12	22.62	32.75
2014-15	8.29	19.22	27.51
2015-16	8.55	16.69	25.25
2016-17	9.75	21.52	31.27
2017-18	10.45	21.00	31.45
2018-19	10.84	20.67	31.52
2019-20	10.97	22.24	33.21
2020-21	12.22	23.72	35.94
2021-22	13.99	23.97	37.96
2022-23	15.20	26.15	41.35
2023-24	15.46	24.12	39.60

(स्रोत: upag.gov.in)

(मात्रा मिलियन मीट्रिक टन में)

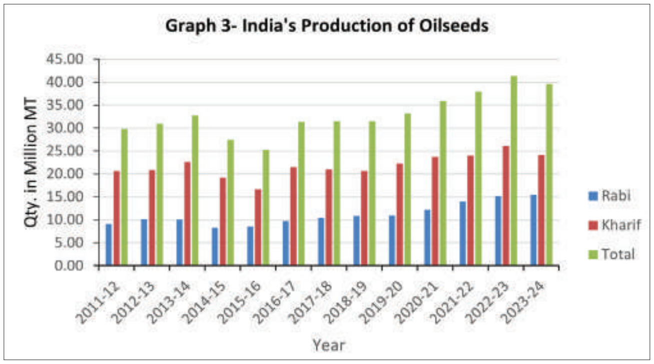

तालिका 5: भारत में दलहन का आयात

(मात्रा मिलियन मीट्रिक टन में, मूल्य करोड़ में)

वर्ष	मात्रा	मूल्य
2011-12	3.50	9,448.00
2012-13	4.02	13,357.00
2013-14	3.66	12,841.00
2014-15	4.63	17,273.00
2015-16	5.88	25,964.00
2016-17	6.66	28,751.00
2017-18	5.68	19,053.00
2018-19	2.60	8,290.00
2019-20	2.98	10,527.00
2020-21	2.51	12,154.00
2021-22	2.77	17,105.00
2022-23	2.52	15,985.00
2023-24	4.77	31,307.05

(स्रोत: कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा))

(मात्रा मिलियन मीट्रिक टन में)

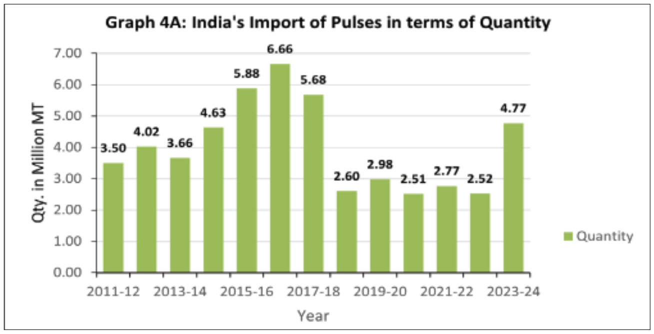

(मूल्य करोड रुपये में)

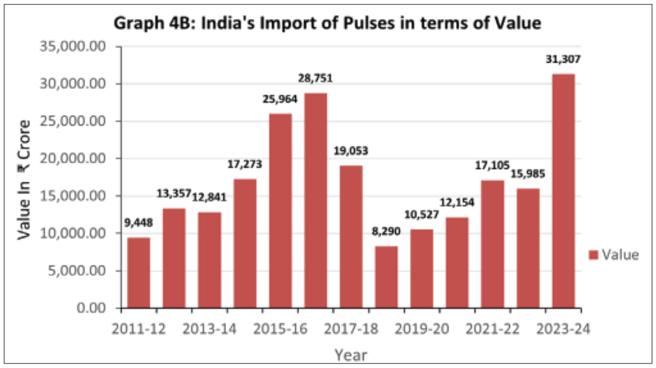

तालिका 6: भारत में दलहन के तुलनात्मक उत्पादन के सापेक्ष आयात

(मात्रा मिलियन मीट्रिक टन में)

वर्ष	आयात	उत्पादन
2011-12	3.50	17.09
2012-13	4.02	18.35
2013-14	3.66	19.26
2014-15	4.63	17.15
2015-16	5.88	16.32
2016-17	6.66	23.13
2017-18	5.68	25.42
2018-19	2.60	22.07
2019-20	2.98	23.16
2020-21	2.51	25.46
2021-22	2.77	27.31
2022-23	2.52	26.05
2023-24	4.77	24.50

स्रोतः उत्पादन डेटा: upag.gov.in

आयात डेटा: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण)

(मात्रा मिलियन मीट्रिक टन में)

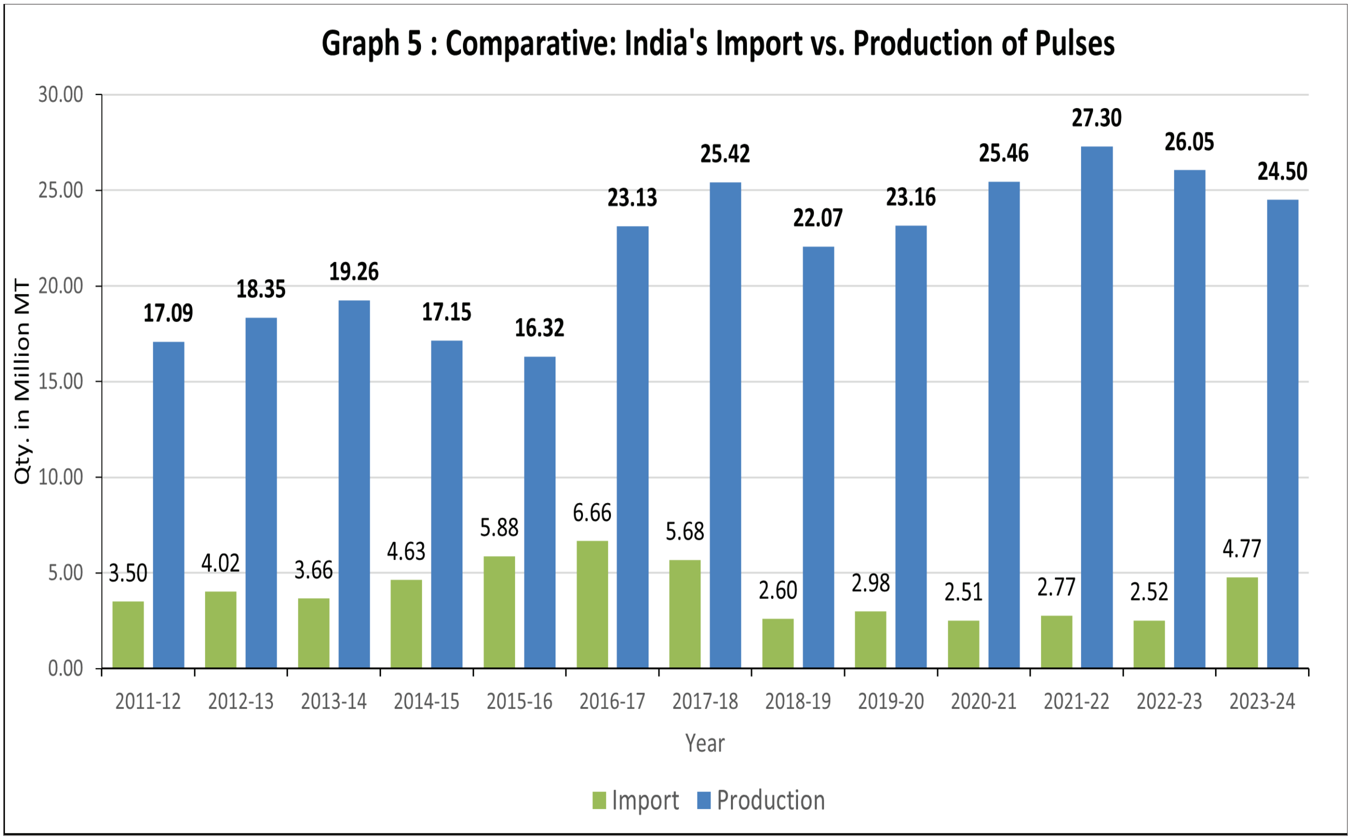

तालिका 7: वनस्पति तेल का आयात (खाद्य और अखाद्य)

(मात्रा मीट्रिक टन में)

माह	2022-23			2021-22			
	खाद्य	अखाद्य	कुल	खाद्य	अखाद्य	कुल	प्रतिशत
नवंबर, 22	1,528,760	16,780	1,545,540	1,138,823	34,924	1,173,747	(+) 32%
दिसंबर, 22	1,555,780	10,349	1,566,129	1,216,863	9,823	1,226,686	(+) 28%
जनवरी, 23	1,661,750	--	1,661,750	1,251,926	18,802	1,270,728	(+) 31%
फरवरी, 23	1,098,475	16,006	1,114,481	983,608	36,389	1,019,997	(+) 9%
मार्च, 23	1,135,600	36,693	1,172,293	1,051,698	52,872	1,104,570	(+) 6%
अप्रैल, 23	1,021,672	28,517	1,050,189	900,085	11,761	911,846	(+) 15%
मई, 23	1,053,265	4,998	1,058,263	1,005,547	55,869	1,061,416	(-) 0.30%
जून, 23	1,311,576	2,900	1,314,476	941,471	50,179	991,650	(+) 32%
जुलाई, 23	1,755,834	15,999	1,771,833	1,205,284	9,069	1,214,353	(+) 46%
अगस्त, 23	1,852,115	14,008	1,866,123	1,375,002	26,231	1,401,233	(+) 33%
सितंबर, 23	1,494,086	57,940	1,552,026	1,593,538	43,701	1,637,239	(-) 5%
अक्तूबर, 23	997,181	33,023	1,030,204	1,365,995	30,974	1,396,969	(-) 26%
योग	**16,466,093**	**237,213**	**16,703,306**	**14,029,840**	**380,594**	**14,410,434**	**(+) 16%**

स्रोतः सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया

अध्याय - 2

सहकारिताः बेहतर भारत का निर्माण

सहकारी समितियां जन-केंद्रित उद्यम होती हैं जो संयुक्त रूप से स्वामित्वाधीन होती हैं और अपने सदस्यों द्वारा और अपने सदस्यों के लिए लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित की जाती हैं जिससे वे अपनी सामान्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा कर सकें। मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित उद्यमों के रूप में, सहकारी समितियां उद्यम के केंद्र में निष्पक्षता, समानता और सामाजिक न्याय का स्थान रखती हैं। विश्व भर में सहकारी समितियां लोगों को स्थायी उद्यम बनाने के लिए एक साथ काम मिलकर इस तरह के काम कर रही हैं जो दीर्घकालिक रोजगार और समृद्धि पैदा करने वाले होते हैं। सहकारिता लोगों को लोकतांत्रिक और समानता के आधार पर एक रखती है। सदस्य चाहे ग्राहक हों, कर्मचारी हों, उपयोगकर्ता हों या निवासी हों, सहकारी समितियों का प्रबंधन लोकतांत्रिक तरीके से ''एक सदस्य, एक मत'' नियम द्वारा किया जाता है। कोई सदस्य उद्यम में अधिक पूंजी लगाता हैं, फिर भी वह समान मतदान का अधिकार रखता है। मूल्यों से संचालित व्यवसायों के रूप में, न केवल लाभ, सहकारी समितियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमत सिद्धांतों को साझा करती हैं और सहयोग के माध्यम से एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए मिलकर कार्य करती हैं। सहकारिताएं लोगों को अपने आर्थिक भविष्य पर नियंत्रण करने की अनुमति देती हैं और, क्योंकि वे शेयरधारकों के स्वामित्वाधीन नहीं होती हैं, उनके गतिविधि के आर्थिक और सामाजिक लाभ उन समुदायों में निहित होते हैं जहां वे स्थापित हैं। समितियों में सृजित लाभ का या तो उद्यम में पुनर्निवेश किया जाता है या सदस्यों को प्रतिफल के रूप में दे दिया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन और वैश्विक सहकारी आंदोलन (आईसीए)

अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (आईसीए) सहकारी समितियों के लिए वैश्विक आवाज़ बनकर कार्य करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1895 में सहकारी मॉडल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। आज, विश्व की 12% से अधिक आबादी सहकारी समितियों से जुड़ी है, जिसमें 3 मिलियन ऐसे उद्यम एक बेहतर विश्व बनाने के प्रति मिलकर काम कर रहे हैं। सहकारिता आंदोलन एक सीमांत घटना न रहकर बहुत आगे बढ़ गया है। 12 प्रतिशत से अधिक लोग विश्व की 3 मिलियन सहकारी समितियों में से किसी एक का हिस्सा हैं। वर्ल्ड कोआपरेटिव मॉनीटर (2023) के अनुसार, शीर्ष 300 सहकारी समितियों और म्युचुअल्स ने संयुक्त रूप से 2,409.41 बिलियन अमरीकी डालर का कारोबार किया है। ये सहकारी समितियाँ सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और वैश्विक स्तर पर 280 मिलियन लोगों को स्थिर, उच्च गुणवत्ता वाला रोजगार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो नियोजित आबादी का 10% है। समितियों में स्वामित्व रखने वाले सदस्य, कारोबार संचालित करने वाले सदस्य और कारोबार में सेवारत सदस्यं के रूप में, सहकारी समितियां लोगों को सामूहिक रूप से उनकी आर्थिक आकांक्षाओं को साकार करने के लिए सशक्त बनाती हैं, जबकि उनकी सामाजिक और मानव पूंजी को मजबूत करती हैं और उनके समुदायों का विकास करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन आज विश्व के सबसे बड़े गैर-सरकारी संगठनों में से एक है, यह विश्व भर में 3 मिलियन सहकारी समितियों में से 1 बिलियन से अधिक सहकारी सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं।

आईसीए के अनुसार की परिभाषा

सहकारी समिति व्यक्तियों का एक स्वायत्त संघ है जो संयुक्त रूप से स्वामित्व वाले और लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित उद्यम के माध्यम से अपनी सामान्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से मिलकर कर काम करती है। सहकारिता स्व-सहायता, आत्म-उत्तरदायित्व, लोकतंत्र, समानता, निष्पक्षता और एकजुटता के मूल्यों पर आधारित होती है। अपने संस्थापकों की परंपरा में सहकारी सदस्य ईमानदारी, खुलेपन, सामाजिक जिम्मेदारी और

दूसरों की देखभाल के नैतिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं। आईसीए द्वारा परिभाषित ये सहकारी सिद्धांत इन मूल्यों को आत्मसात करने में दिशा-निर्देश के रूप में कार्य करते हैं।

1. स्वैच्छिक और खुली सदस्यता: ये सहकारी समितियों के द्वार बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों खुले हैं, और सदस्य स्वेच्छा से इनकी सदस्यता की जिम्मेदारियाँ स्वीकार करते हैं।
2. लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण: इन समितियों के सदस्य निर्णय लेने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और निर्वाचित प्रतिनिधि सदस्यता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्राथमिक सहकारी समितियों में प्रत्येक सदस्य का वोट बराबर होता है।
3. सदस्य आर्थिक सहभागिता: इन समितियों के सदस्य सहकारी समिति की पूंजी में अंशदान करते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से उस पर नियंत्रण रखते हैं। अधिशेष का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जिससे सहकारी समिति और उसके सदस्यों को लाभ होता है।
4. स्वायत्तता और स्वतंत्रता: सहकारी समितियाँ अपनी स्वायत्तता बनाए रखती हैं और आत्मनिर्भर होती हैं, यहाँ तक कि अन्य संगठनों के साथ सहयोग करते समय या बाहरी पूंजी जुटाते समय भी।
5. शिक्षा, प्रशिक्षण और सूचना: ये सहकारी समितियां सदस्यों, प्रतिनिधियों, प्रबंधकों और कर्मचारियों को उनके योगदान को बढ़ाने के प्रति उन्हें शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करती हैं। वे सहकारिता की प्रकृति और लाभों के बारे में जागरूकता को भी बढ़ावा देते हैं।
6. सहकारी समितियों के बीच सहयोग: सहकारी समितियाँ स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करके आंदोलन को मजबूत करती हैं।
7. समुदाय की चिंता: सहकारी समितियां अपने समुदायों के सतत विकास के लिए सक्रिय रूप से काम करती हैं, जो उनके द्वारा अनुमोदित नीतियों पर आधारित होती हैं।

सहकारिता क्यों?

सहकारी समितियाँ स्थानीय संसाधनों की पहचान करते हुए और उनका उपयोग करते हुए, कौशल विकास को बढ़ावा देते हुए, आय उत्पन्न करते हुए और गरीबी उन्मूलन में योगदान देते हुए स्थानीय विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके अलावा, यह स्थानीय आबादी के बड़े शहरों में पलायन को रोकने की दिशा में अग्रणी सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को एकीकृत करके बाजार तक पहुंच बनाने और बेहतर बुनियादी सुविधाओं के निर्माण में भी मदद करते हैं।

भारत में सहकारी आंदोलन

भारत में सहकारी समितियों का गठन पहली बार वर्ष 1890 के दशक के उत्तरार्द्ध में हुआ था जब पश्चिमी महाराष्ट्र के किसानों ने कृषि ऋण के लिए साहूकारों के अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह किया था। वर्ष 1904 में, भारत में ब्रिटिश सरकार ने महाराष्ट्र में गरीब किसानों के हितों की रक्षा के लिए सहकारी समिति अधिनियम लागू किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत, सहकारी आंदोलन ने गति पकड़ी क्योंकि सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचाना। इसने सहकारी क्षेत्र के लिए योजनाओं को अपनी पंचवर्षीय कार्य योजनाओं में एकीकृत किया, जिससे हर गाँव में कम से कम एक सहकारी समिति की स्थापना को बढ़ावा मिला और सहकारी खेतों को सुविधाजनक बनाया गया। समय के साथ, ये समितियाँ कृषि बाज़ारों से बढ़कर ऋण, आवास, विकास, मछली पकड़ने, बैंकिंग और अन्य बड़े पैमाने के क्षेत्रों तक फैल गईं, जिससे विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों का गठन हुआ। आर्थिक विकास और बढ़ी हुई प्रयोग के लिए उपलब्ध आय में हुई वृद्धि ने भी भारत में सहकारी समितियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सहकारिता: भारत के समग्र विकास के लिए आगे की राह

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के साथ ही भारत में सहकारिता में नई रुचि देखी गई है। कैबिनेट सचिवालय की राजपत्रित अधिसूचना यथा वर्णित, इस मंत्रालय का गठन पूर्ववर्ती कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय से प्रासंगिक कार्यों को स्थानांतरित करके किया गया था।

मंत्रालय का नेतृत्व श्री अमित शाह, माननीय केंद्रीय सहकारिता मंत्री और श्री कृष्ण पाल गुर्जर और श्री मुरलीधर मोहोल, माननीय सहकारिता राज्य मंत्री सहयोगी के तौर पर नेतृत्व कर रहे हैं। सचिव, सहकारिता मंत्रालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है।

अपनी स्थापना के बाद से, सहकारिता मंत्रालय ने भारत में सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण पहल की हैं।

सहकारिता मंत्रालय ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। 5 जनवरी, 2023 को मंत्रालय ने पीएसीएस को बहुउद्देशीय संस्थाओं में बदलने के लिए आदर्श उपनियम पेश किए। ये उपनियम पीएसीएस को डेयरी, मत्स्य पालन और भंडारण सहित 25 से अधिक नए क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों का विस्तार करने में सक्षम बनाते हैं, जिससे उनके आय स्रोत बढ़ते हैं और रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। 31 दिसंबर, 2023 तक 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ये उपनियम अंगीकृत कर लिये हैं। अन्य क्षेत्रों में भी इन्हें अंगीकृत करने के प्रति प्रयासरत हैं।

इसके अतिरिक्त, कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से पीएसीएस को मजबूत करने की एक बड़ी पहल शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य एकीकृत राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर नेटवर्क के माध्यम से 62,318 पीएसीएस/एलएएमपीएस को नार्बाड से जोड़ना है। 31 दिसंबर 2024 तक 25 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से 62,208 पीएसीएस के कम्प्यूटरीकरण के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिसमें केंद्र सरकार ने हार्डवेयर, डिजिटलीकरण और सहायक प्रणालियों के लिए 575.75 करोड़ रुपये जारी किए हैं। हार्डवेयर खरीद और सिस्टम इंटीग्रेटर को अंतिम रूप दिए जाने के उपरांत कम्प्यूटरीकरण प्रक्रिया, पीएसीएस की दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी।

इसके अलावा, मंत्रालय ने दुनिया का सबसे बड़ा विकेंद्रीकृत अनाज भंडारण कार्यक्रम शुरू किया है, जिसे 31 मई, 2023 को मंजूरी दी गई है। इस पहल में पीएसीएस स्तर पर गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर और प्रसंस्करण इकाइयों जैसे कृषि अवसंरचना की स्थापना सम्मिलित है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना, खाद्यान्न की बर्बादी को कम करना, किसानों की कीमतों में सुधार करना और पीएसीएस स्तर पर सीधे विभिन्न कृषि जरूरतों को पूरा करना है। इसका कार्यान्वयन एक पायलट परियोजना के साथ आरंभ हुआ है और इसकी देखरेख राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर कई समन्वय समितियों द्वारा की जाती है।

ये विभिन्न पहलें व्यापक ग्रामीण विकास की दिशा में एक ठोस प्रयास की प्रतिबिंब प्रस्तुत करती हैं। इन पहलों का अंतिम लक्ष्य प्रत्येक गांव को सहकारी समितियों से जोड़ना, "सहकार से समृद्धि" के मंत्र के माध्यम से समृद्धि को बढ़ावा देना और अंततः राष्ट्र की समग्र समृद्धि में योगदान देना है।

ग्रामीण भारत को सशक्त बनाना

भारतीय सहकारिता आंदोलन विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन है, जो देश के लगभग समस्त गांवों को समाहित करता है। समावेशी विकास और सामुदायिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए, ये सहकारी समितियां आर्थिक अवसरों को भुनाने और सदस्यों की आवकताओं को पूरा करने करते हुए विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में विविधता लाने में सफल हुई हैं। स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके, स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार देकर और सदस्यों और समुदाय दोनों के लिए आय का साधन बनकर, ये सहकारी समितियाँ आत्मनिर्भर उद्यम बन गई हैं। ग्रामीण क्षेत्र के महत्व को स्वीकार करते हुए, जो केवल शहरी क्षेत्रों और औद्योगिकीकरण पर निर्भर नहीं हो सकता, सहकारी समितियाँ इसके विकास और वृद्धि को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस प्रकार, इस क्षेत्र के योगदान को पहचानना और उसका समर्थन करना नितांत महत्वपूर्ण है।

शीर्ष सहकारी संघ के रूप में नेफेड की भूमिका

नेफेड, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित, कृषि जिंसों के लिए भारत की सबसे बड़ी खरीद और विपणन एजेंसियों में से एक है। संघ किसानों के कल्याण को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने का काम भी करता है। नेफेड घाटे में चल रही सहकारी संस्था से एक लाभदायक इकाई के रूप में 360 डिग्री के बदलाव का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। सक्रिय दृष्टिकोण के साथ, यह विश्व की सबसे बड़ी 1.4 बिलियन की आबादी को खाद्यान पहुंचाने के राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा के मिशन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रीय सीमाओं से परे, नेफेड प्राकृतिक आपदाओं के समय विकासशील देशों की सहायता करके मानवीय प्रतिबद्धताओं को सक्रिय रूप से पूरा करता आया है। जब भी आपात स्थिति उत्पन्न होती है, तो भारत सरकार सरकार के निदेशानुसार खाद्यान्न सहित राहत सामग्री के वितरण को तत्परता से निष्पादित करने के लिए नेफेड पर भरोसा करती है।

अध्याय – 03

निदेशक मंडल

अध्यक्ष

श्री जेठाभाई अहीर

उपाध्यक्ष

श्री सिद्दप्पा एस. होट्टी

श्री तरलोक सिंह

निदेशक

डॉ. बिजेन्द्र सिंह

डॉ. चन्द्र पाल सिंह यादव

श्री मोहनभाई कुंदारिया

श्री विशाल सिंह

श्री रघुवीर सिंह रघुवंशी

श्री केदा तानाजी अहेर

निदेशक

श्री राम प्रकाश चौधरी

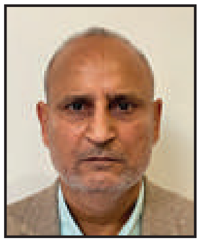
श्री रमेश कुमार

डॉ. मनज़ीर जिलानी समून, आईएएस

श्री कुलदीप शर्मा, आईएएस

डॉ. जे. गणेशन, आईएएस

श्री गुरुनाथ रेड्डी पी. पाटिल

श्री आलोक कुमार सिंह, आईएएस

श्री सुधांश पंत, आईएएस

श्री मारा गंगा रेड्डी

श्री राकेश गुप्ता

श्री अशोक ठाकुर

श्री पंकज कुमार बंसल, आईएएस
प्रबंध निदेशक

कार्यकारी निदेशक

श्री सुनील कुमार सिंह
अपर प्रबंध निदेशक

श्री पंकज.के. प्रसाद
अपर प्रबंध निदेशक

श्री एस.के. वर्मा
अपर प्रबंध निदेशक (कार्यवाहक)

श्री ए.के. रथ
अपर प्रबंध निदेशक (कार्यवाहक)

नेफेड की प्रबंधन टीम

प्रबंध निदेशक

श्री सुनील कुमार सिंह
अपर प्रबंध निदेशक

श्री पंकज कुमार प्रसाद
अपर प्रबंध निदेशक

श्री चन्द्रजीत चटर्जी
अपर प्रबंध निदेशक

श्री एस.के. वर्मा
अपर प्रबंध निदेशक (कार्यवाहक)

श्री ए.के. रथ
अपर प्रबंध निदेशक (कार्यवाहक)

श्री कमलेन्द्र श्रीवास्तव
कार्यकारी निदेशक

श्री उन्नीकृष्ण कुरुप
कार्यकारी निदेशक

अध्याय 5

नेफेड की 01.04.2023 से 31.03.2024 के दौरान आयोजित बैठकें एवं सदस्यता

निदेशक मंडल	व्यवसाय समिति	कार्यकारिणी समिति	वित्त, लेखा एवं लेखापरीक्षा	परियोजना एवं विकास समिति
29.04.2023	27.07.2023	27.07.2023	29.04.2023	-----------
27.07.2023	21.11.2023	21.11.2023	27.07.2023	
24.08.2023	-----------	------------	----------	---------
05.09.2023	----------	-----------	----------	----------
22.09.2023	------------	------------	----------	---------
21.11.2023				
03.01.2024	---------	-----------	-----------	---------

नेफेड की सदस्यता

वर्ष 2023-24 के दौरान नेफेड की सदस्यता 994 सदस्यों से बढ़कर 1015 हो गई है।

उपरोक्त सदस्यता का विस्तृत विवरण इस प्रकार हैः

क्र.सं.	सदस्यों की श्रेणी	दिनांक 01.04.2023 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार
1.	राज्य स्तरीय विपणन संघ	26	26
2.	शीर्ष स्तरीय विपणन संघ	03	03
3.	राज्य स्तरीय जनजातिय एवं जिंस संघ	25	28
4.	प्राथमिक विपणन/प्रसंस्करण समितियां	938	956
5.	एनसीसीएफ एवं अन्य राष्ट्रीय स्तरीय सहकारी संगठन	02	02
	योग	**994**	**1015**

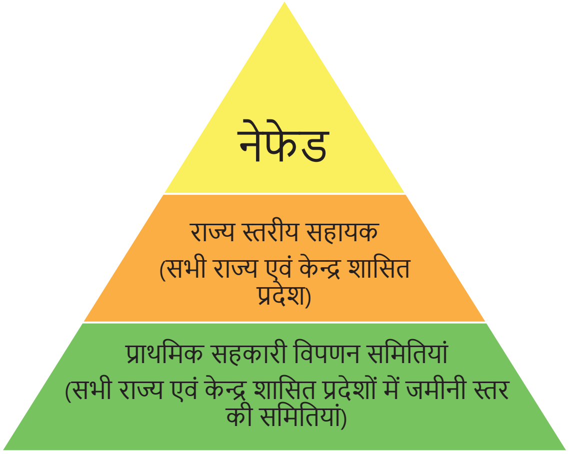

नेफेड की पहुंच

अध्याय 6

नेफेड के गत पांच वर्षों (वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक) के वित्तीय वृंतात

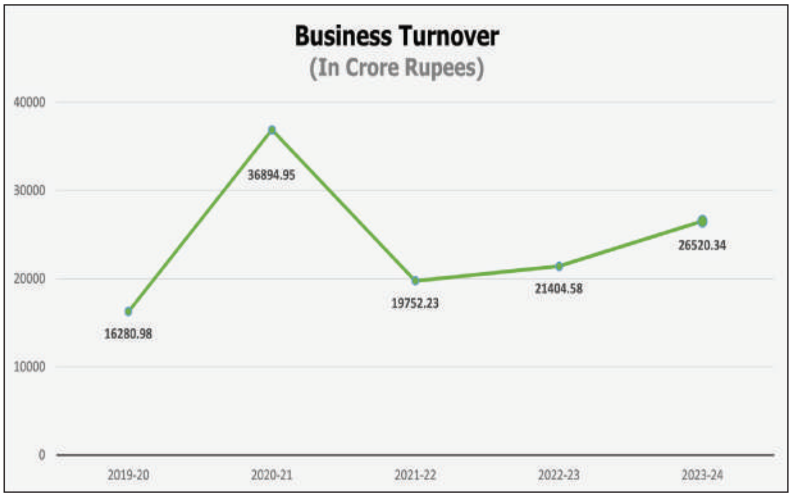

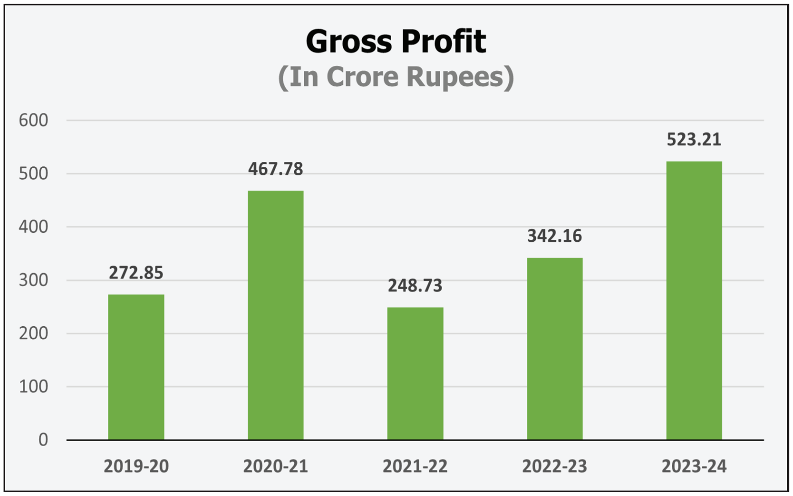

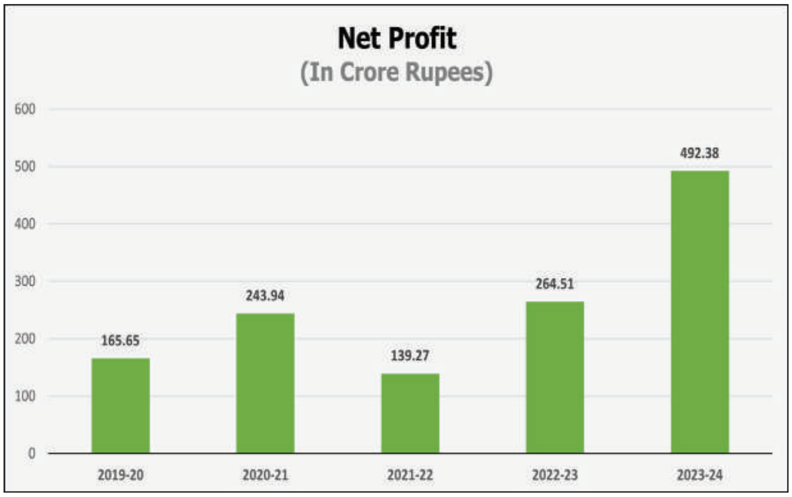

टर्नओवर 26520.34 करोड़ रुपये

प्रचालन लाभ 632.15 करोड़ रुपये

शुद्ध लाभ 492.38 करोड़ रुपये

24048.56 करोड़ रुपये मूल्य की **40.77 लाख मीट्रिक टन** दलहन (पीएसएस/पीएसएफ के अंतर्गत) एवं तिलहन (पीएसएस के अंतर्गत) की खरीद

42.09 करोड़ रुपये का अंतराष्ट्रीय व्यापार

220.58 करोड़ रुपये मूल्य की **1.07 लाख मीट्रिक टन** खाद्यान्न की खरीद

34.08 करोड़ रुपये का खुदरा कारोबार

वित्त वर्ष 2023-24 की व्यावसायिक झलकियाँ

4048.77 करोड़ रुपये का भारत ब्रांड कारोबार

4217.34 करोड़ रुपये की संस्थागत आपूर्ति

2.87 करोड़ रुपये की जैव-कृषि आगत सहित जैव उर्वरक का कारोबार

पीएसएफ के अंतर्गत **541.10 करोड़ रुपये** मूल्य के **2.85 लाख मीट्रिक टन** प्याज की खरीद

31.95 करोड़ रुपये का बीज का कारोबार

अध्याय 7

नेफेड की सफलता के सूत्र

1. मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस)
2. किसानों को बीज की आपूर्ति
3. मूल्य स्थिरीकरण निधि (पीएसएफ)
4. सेना व अर्द्धसैनिक बलों को आपूर्ति
5. कल्याणकारी योजनाओं के लिए आपूर्ति
6. जैव-उर्वरक
7. खुदरा कारोबार
8. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार
9. जैव-सीबीजी

अध्याय 8

नेफेड एक नजर में

मिशन, उद्देश्य और कार्यकलाप

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नेफेड) की स्थापना 2 अक्तूबर, 1958 को गांधी जयंती के सुअवसर पर की गई थी तथा यह बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अधीन पंजीकृत किया गया है।

नेफेड का मिशन किसानों के लाभ पहुंचाने वाले सहकारी विपणन को बढ़ावा देना है। नेफेड के मुख्य उद्देश्यों में कृषि, बागवानी और वन उपज के विपणन, प्रसंस्करण और भंडारण को व्यवस्थित करना, उसे बढ़ावा देना और विकसित करना; कृषि मशीनरी, उपकरण और अन्य आदानों का वितरण करना; यथास्थिति, थोक या खुदरा अंतर-राज्यीय, आयात और निर्यात व्यापार करना और भारत में मौजूद अपने सदस्यों, सहभागियों, सहयोगियों और सहकारी विपणन, प्रसंस्करण और आपूर्ति समितियों के प्रचार और कामकाज करने के लिए कृषि उत्पादन में तकनीकी सलाह देना और सहायता करना शामिल है।

नेफेड कृषि, बागवानी और वन उपज की सबसे बड़ी खरीद और विपणन एजेंसियों में से एक है, जो किसानों के लिए कृषि को आर्थिक तौर पर और टिकाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है, इस प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेफेड अपने देशव्यापी प्रचालन के माध्यम से किसानों की जीवन स्थितियों में सुधार लाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में समृद्धि लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संगठन के विभिन्न क्रियाकलाप न केवल किसानों के लिए अपितु उपभोक्ताओं के लिए भी अत्यधिक महत्व रखती हैं। नेफेड के अथक देशव्यापी कृषि संबंधी प्रचालन बड़े स्तर पर, राष्ट्र के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और किसानों को कुशल बाजार संपर्क उपलब्ध कराते हैं।

नेफेड भारत सरकार के निर्देश पर राष्ट्रीय बफर का सृजन करके प्याज और दलहन जैसी आवश्यक वस्तुओं के मूल्य स्थिरीकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खेती करने वाले किसान नेफेड के मुख्य सदस्य होते हैं, जिन्हें नेफेड के कामकाज में आम सभा के सदस्यों के रूप में अपनी बात रखने का पूरा अधिकार होता है।

नेफेड का प्रबंधन निदेशक मंडल में निहित है, जिसमें अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सम्मिलित हैं। मंडल की सहायता 2 स्थायी समितियां - कार्यकारी समिति और कार्य समिति करती हैं। इसके अलावा, मंडल एमएससीएस अधिनियम/नियमों और नेफेड के उप-नियमों के उपबंधों के अनुसार दो और समितियों/उप-समितियों का भी गठन कर सकता है। नेफेड विगत 6 से अधिक दशकों से देश के किसानों और उपभोक्ताओं की निरंतर सेवा कर रहा है।

एक शीर्ष स्तरीय सहकारी समिति

भारत में, सहकारी समितियां किसानों की उपज के विपणन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और इन सहकारी समितियों ने देश की कृषि में अद्वितीय स्थान बनाया है। देश के लगभग सभी द्वितीयक बाजारों में प्राथमिक विपणन सहकारी समितियों की उपस्थिति है। जो राज्य विपणन संघों के सदस्य होते हैं जो स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर नेफेड के सदस्य हैं। इस प्रकार, नेफेड भारत में शीर्ष स्तरीय सहकारी विपणन संघ है, जिसकी देश भर के सुदूर हिस्सों में इसकी तीन स्तरीय संरचना के माध्यम से सीधी पहुंच है, जिसमें सबसे नीचे प्राथमिक सहकारी समितियाँ, मध्य में राज्य स्तरीय सहकारी समितियाँ और शीर्ष पर नेफेड शामिल है। नेफेड की गतिविधियाँ किसानों के हितों की रक्षा करके कृषि की बेहतरी में योगदान करती हैं। नेफेड अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (आईसीए) का भी सदस्य है।

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार, नेफेड के 1015 सदस्य हैं, जिनका प्रतिनिधित्व शीर्ष स्तर के विपणन/उपभोक्ता सहकारी समितियां/अन्य राष्ट्रीय स्तर के संघों, राज्य स्तरीय विपणन/जनजातीय/जिंस संघों और प्राथमिक सहकारी विपणन/प्रसंस्करण समितियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी करते हैं।

नेफेड के कारोबारी कार्य

घरेलू प्रचालन

- मूल्य समर्थन कार्यों का कार्यान्वयनः नेफेड कीमत समर्थन योजना (पीएसएस) के अंतर्गत तिलहन और दलहन की खरीद के लिए भारत सरकार की केंद्रीय नोडल एजेंसियों में से एक है। जब भी कीमतें भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे गिरती हैं तो नेफेड तिलहन, दलहन और छिलके रहित नारियल, मिलिंग/बॉल कोपरा की अधिसूचित फसलों की खरीद एमएसपी पर करता है।

- अपने खाते में मसालों की खरीद और विपणन।
- भारत सरकार की मूल्य स्थिरीकरण निधि (पीएसएफ) योजना के अंतर्गत दलहन एवं प्याज की खरीद के लिए केंद्रीय एजेंसियों में से एक।
- गेहूं व धान के लिए विकेंद्रीकृत खरीद (डीसीपी) योजना के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम एवं राज्य सरकारों की ओर से एक नोडल राज्य एजेंसी।
- पीडीएस, एमडीएम, आईसीडीएस कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत सेना, सीपीएमएफ और राज्य सरकारों को सूखी दालों की आपूर्ति।
- टिकाऊ कृषि के लिए जैव उर्वरकों का उत्पादन व विपणन।
- विभिन्न प्रकार के कृषि एवं नगरपालिका कचरे का प्रशोधन करते हुए संपीडित बायो गैस (सीबीजी) का उत्पादन।
- जैविक खेतीः उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, ओडिशा, मणिपुर एवं उत्तराखंड में, 50,500 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को कवर करते हुए जैविक खेती के अंगीकरण एवं प्रमाणन परियोजनाओं का कार्यान्वयन।
- नेफेड के ब्रांड नाम से प्रमाणित बीजों का उत्पादनः कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएसीएंडएफडब्ल्यू), भारत सरकार के केंद्रीय बीज एजेंसियों में से एक नेफेड बीज मिनी किट वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत साथ ही विभिन्न राज्य सरकारों को सामान्य आपूर्ति के सापेक्ष दलहन, तिलहन और अनाज के प्रमाणित बीज का उत्पादन, वितरण और विपणन करता है।
- औद्योगिक इकाइयाँः नेफेड का देश भर में भूमि, भूखंड, आवासीय परिसर, कार्यालय परिसर, गोदाम, शीत गृह और औद्योगिक इकाइयों के रूप में विभिन्न संपत्तियों का स्वामित्व है।
- भारत ब्रांड उत्पाद: नेफेड भारत ब्रांड के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उत्पाद उपलब्ध कराता है जिसमें भारत दलहन, भारत आटा और भारत चावल सम्मिलित हैं। ये उत्पाद उपभोक्ताओं को किफायती मूल्य पर उपलब्ध कराए जाते हैं। ये उत्पाद भारत सरकार की पहल का हिस्सा हैं, जिसका मख्य उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए एक विश्वसनीय बाजार उपलब्ध कराना तथा कृषि में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है।
- खुदरा व्यापारः नेफेड ने उपभोक्ता उत्पादों की अपनी श्रृंखला विकसित की है, जिनका विपणन नेफेड के ब्रांड नाम के अंतर्गत नेफेड बाजारों के खुदरा दुकानों के माध्यम से और इसके ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी किया जाता है।
- नेफेड के पास सभी प्रकार की कृषि जिंसों जैसे दलहन, खाद्यान्न, मसालों, खाद्य तेलों, जल्दी खराब होने वाली खाद्य सामग्री के आयात एवं निर्यात का दशकों का अनुभव, विशेषज्ञता व बुनियादी ढांचा है।
- भारत सरकार की ओर से मानवीय राहत और अन्य सहायता का शिपमेंटः नेफेड भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की ओर से मानवीय सहायता के तौर पर विभिन्न देशों को कृषि जिंसों एवं अन्य जिंसों की आपूर्ति भी करता है।

नेफेड का बुनियादी ढांचा और पहुंच

नेफेड का बुनियादी ढांचा नेफेड शाखाओं, उप कार्यालयों, औद्योगिक इकाइयों, मार्केट यार्ड आदि के नेटवर्क और तीन स्तरीय सहकारी नेटवर्क के माध्यम से देश भर में फैला हुआ है।

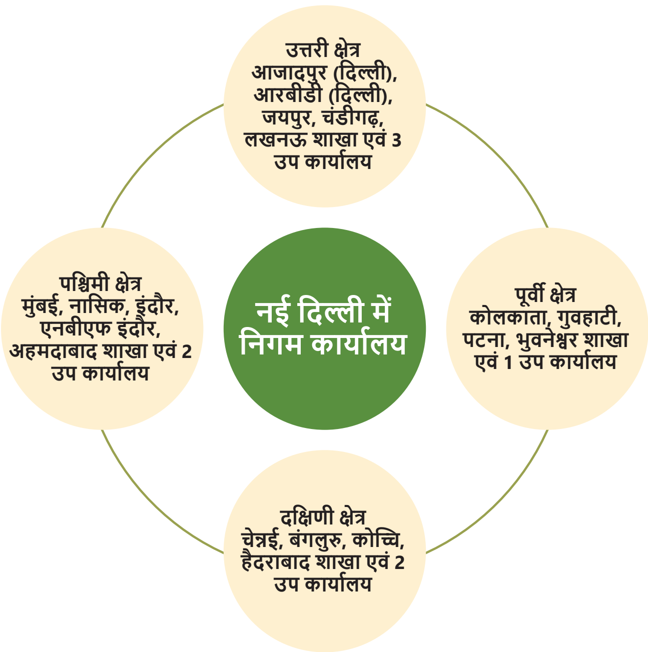

नेफेड का नेटवर्क

NORTH ZONE [5 BRANCH & 3 SUB OFFICE IN 5 STATES]
SOUTH ZONE [4 BRANCH & 2 SUB OFFICE IN 5 STATES]
WEST ZONE [5 BRANCH & 2 SUB OFFICE IN 3 STATES]
EAST ZONE [5 BRANCH & 1 SUB OFFICE IN 5 STATES]
JAMMU & KASHMIR
HIMACHAL PRADESH
SHIMLA [SUB-OFFICE]
PUNJAB
CHANDIGARH
UTTARAKHAND
HARYANA
[DELHI] [HEAD-OFFICE]
RUDRAPUR [SUB-OFFICE]
AZADPUR
SRI GANGANAGAR [SUB-OFFICE]
JAIPUR
RAJASTHAN
LUCKNOW
UTTAR PRADESH
SIKKIM
GUWAHATI
ASSAM
NAGALAND
MEGHALAYA
MANIPUR
BIHAR
PATNA
JHARKHAND
RANCHI [SUB-OFFICE]
WEST BENGAL
KOLKATA
TRIPURA
MIZORAM
AHMEDABAD
GUJARAT
RAJKOT [SUB-OFFICE]
INDORE
BHOPAL
MADHYA PRADESH
CHATTISGARH
RAIPUR
NASHIK
NAGPUR [SUB-OFFICE]
BHUBNESHWAR
ODISHA
MUMBAI
MAHARASHTRA
ANDHRA PRADESH
HYDERABAD
VIJAYAWADA [SUB-OFFICE]
KALABURGI [SUB-OFFICE]
KARNATAKA
TELANGANA
BANGALORE
CHENNAI
KERALA
TAMIL NADU
COCHIN
LAKSHADWEEP
KAVARATTI
PORT BLAIR
ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS
MAP NOT TO SCALE

अध्याय – 09

दालों में आत्मनिर्भरता: ई-समृद्धि पोर्टल

दलहन भारतीय आहार का आधार हैं, जो शरीर आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती हैं और खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। वैश्विक स्तर पर दलहन के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक होने के बावजूद, भारत को अक्सर दलहन की कमी का सामना करना पड़ता है, जिससे घरेलू मांग को पूरा करने के लिए आयात करना पड़ता है। हाल के वर्षों में, इस अंतर को पाटने और दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के प्रयास तेज हो गए हैं।

भारत के दलहन उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी का रुझान देखने को मिला है। वर्ष 2022-23 में भारत ने लगभग 26.5 मिलियन टन दलहन का उत्पादन किया। हालांकि, देश की मांग को पूरा करने के लिए, जो घरेलू उत्पादन से अधिक थी, भारत को लगभग 2.52 मिलियन टन दलहन का आयात करना पड़ा। आयात पर यह निर्भरता न केवल राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर दबाव डालती है, अपितु दलहन की कीमतों की स्थिरता को भी प्रभावित करती है।

आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना

इस चुनौती का समाधान करने और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के लिए भारत सरकार, घरेलू दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनेक पहलों को लागू कर रही है। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण पहल ई-समृद्धि पोर्टल का शुभारंभ है।

इस पोर्टल को विकसित करने का निर्णय 4 सितंबर 2023 को माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान लिया गया। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि भारत सरकार की ओर से इस पहल के लिए नेफेड (भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ) केंद्रीय कार्यान्वयन एजेंसियों में से एक होगा।

ई-समृद्धि पोर्टल

ई-समृद्धि पोर्टल किसानों को सशक्त बनाने के लिए बनाया गया है ताकि उन्हें उनकी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्राप्त हो और उनके बैंक खातों में सीधे भुगतान की सुविधा हो। इस प्लेटफ़ॉर्म का उद्देश्य खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, बिचौलियों पर निर्भरता कम करना और लेन-देन में पारदर्शिता बढ़ाना है।

कृषि विपणन और सहकारी विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाने जाने वाले नेफेड ने पोर्टल को विकसित करने और लागू करने की जिम्मेदारी ली। पोर्टल को समय पर लॉन्च करने के लिए संगठन ने पूरी लगन से काम किया। पोर्टल को देश भर के किसानों के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल और सुलभ बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

महीनों के समर्पित प्रयासों के उपरांत, नेफेड ई-समृद्धि पोर्टल लॉन्च करने के लिए तैयार था। ई-समृद्धि पोर्टल को 4 जनवरी 2024 को माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया। कार्यक्रम के दौरान, श्री अमित शाह ने नेफेड की इस उल्लेखनीय उपलब्धि की भूरि-भूरि प्रशंसा की और बताया कि कैसे, कम समय में, नेफेड ने ई-समृद्धि पोर्टल सफलतापूर्वक विकसित किया। यह ऐतिहासिक आयोजन दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और आयात निर्भरता को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।

ई-समृद्धि पोर्टल इस लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह किसानों को कई लाभ प्रदान करता है:

लॉन्च कार्यक्रम के दौरान, श्री अमित शाह ने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने माना कि भारत दलहन के क्षेत्र में पूर्णतया आत्मनिर्भर नहीं है, किंतु भारत मूंग और चना के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 2027 तक दलहन के मामले में भारत के आत्मनिर्भर होने के विजन पर जोर दिया और किसानों के सहयोग से इस लक्ष्य को पहले ही हासिल करने का भरोसा जताया।

ई-समृद्धि पोर्टल इस लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह किसानों के लिए कई लाभ प्रदान करता है:

- प्रत्यक्ष भुगतान: किसान अपनी पंजीकृत उपज का भुगतान सीधे अपने बैंक खातों में प्राप्त कर सकते हैं।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य: यह पोर्टल किसानों को उनकी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्राप्त करने में मदद करता है।

- पारदर्शिता में वृद्धि: यह मूल्य निर्धारण और भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है, जिससे बिचौलियों की भूमिका कम हो जाती है।

किसान नीचे दिए गए चरणों का पालन करके पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं –

चरण 1 किसान पंजीकरण - किसान आसानी से ई-समृद्धि पोर्टल पर या खरीद केंद्रों पर पीएसीएस के माध्यम से बुनियादी विवरण, बैंक खाता विवरण और भूमि विवरण प्रदान करके साइन अप कर सकते हैं।

चरण 2 खरीद – पीएसीएस/एफपीओ खरीद केंद्रों पर किसानों की उपज की खरीद करेंगे।

चरण 3 भंडारण - खरीदी गई उपज को पीएसीएस/एफपीओ द्वारा सीडब्ल्यूसी और एसडब्ल्यूसी को भेजा जाता है।

चरण 4 भुगतान - किसानों को उनकी उपज के लिए पीएफएमएस के माध्यम से उनके पंजीकृत बैंक खाते में सीधे बैंक हस्तांतरण।

उपरोक्त कदम पारदर्शिता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करेंगे। एक बार पंजीकृत होने के बाद, किसान पीएसीएस/एफपीओ के माध्यम से अपने निकटतम खरीद केंद्रों पर अपनी वस्तुएँ बेच सकते हैं और अपने खातों में सीधे बैंक हस्तांतरण प्राप्त कर सकते हैं।

किसानों को उनकी वस्तुओं के लिए उचित मूल्य मिल सकेगा और उन्हें स्थानीय स्तर पर विभिन्न वस्तुओं को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि देश को खाद्यान्न और दालों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने का अवसर मिलेगा, जिससे आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी और बदले में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार किया जा सकेगा।

किसानों को सशक्त बनाना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना

ई-समृद्धि पोर्टल कृषि क्षेत्र और किसानों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने और प्रत्यक्ष भुगतान की सुविधा प्रदान करके, पोर्टल का उद्देश्य कृषक समुदाय का मनोबल बढ़ाना और दलहन उत्पादन को बढ़ावा देना है। अब तक, ई-समृद्धि पोर्टल पर 17.50 लाख से अधिक किसान पंजीकृत हो चुके हैं और नेफेड इस संख्या को बढ़ाने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह पहल अपनी पूरी क्षमता तक पहुँचे और भारत को दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे, जिससे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता मजबूत हो।

अध्याय – 10

अंतर्राष्ट्रीय श्रीअन्न वर्ष (आईवाईओएम 2023)

श्रीअन्न एक अत्यंत प्राचीन अनाज है जो शताब्दियों से एशिया और अफ्रीका के जनमान के आहार का मुख्य हिस्सा रहा है। इसकी फसल अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती हैं जहाँ अन्य पैदावार बड़ी मुश्किल से होती हैं। इन्हें एशिया और भारत में आम तौर पर खाया जाता है। इसके पोषण के महत्व और कृषि क्षमताओं के बावजूद, हाल के दशकों में श्रीअन्न श्रीअन्न की खेती में गिरावट आई है।

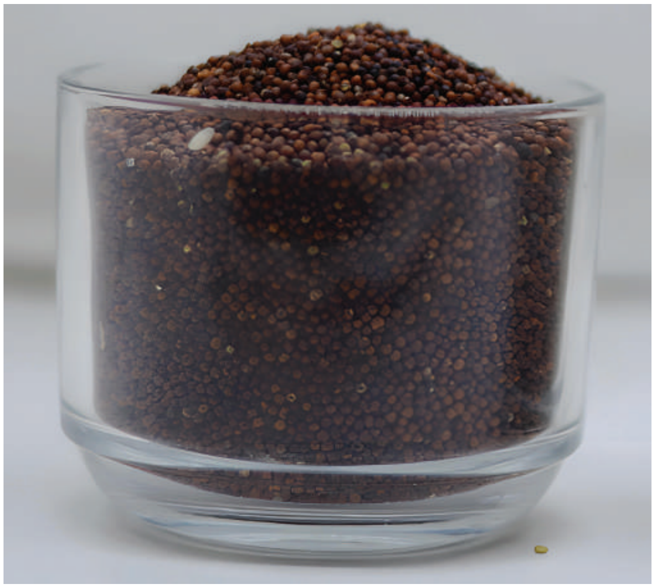

इनमें छोटे ग्लूटेन-मुक्त अनाज विटामिन, खनिज और आहार फाइबर से भरपूर मात्रा होते हैं। वे चावल और गेहूं की तुलना में अनुकूल पोषण हैं, जिनमें उच्च प्रोटीन और फाइबर सामग्री होती है। विशेष रूप से फिंगर मिलेट, में प्रभावशाली कैल्शियम सामग्री प्रचुर मात्रा में होती है।

पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराते हुए घरेलू और वैश्विक मांग पैदा करने की आवश्यकता को समझते हुए, भारत सरकार ने श्रीअन्न के प्रति जागरूकता बढ़ाने और व्यापक खपत को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय श्रीअन्न वर्ष (आईवाईओएम 2023) घोषित करने का प्रस्ताव रखा।

श्रीअन्न पोएसी परिवार का अनाज है और सदियों से इसकी खेती और उपभोग किया जाता रहा है। ये कठोर फसलें हैं जो कम से कम पानी की आवश्यकता वाले शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती हैं, जिससे ये पानी की कमी और जलवायु चुनौतियों का सामना करने वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त फसल बन जाती हैं। पोषक तत्वों से भरपूर ये अनाज स्वास्थ्य के प्रति जागरूक व्यक्तियों के बीच लोकप्रिय हैं और बेहतर स्वास्थ्य और वजन घटाने में योगदान करते हैं। ये ग्लूटेन-मुक्त भी हैं।

श्रीअन्न 5000 से अधिक वर्षों से भारतीय उपमहाद्वीप के आहार का हिस्सा रहा है और अपने उच्च पोषण मूल्य के लिए जाना जाता है, जिसमें प्रोटीन, विटामिन, खनिज और फाइबर शामिल हैं। अपनी सामर्थ्य के कारण उन्हें अक्सर "गरीब आदमी का खाद्यान्न" कहा जाता है। कुपोषण को दूर करने और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के समाधान के रूप में श्रीअन्न ने विश्व भर में अपनी पहचान बनाई है।

श्रीअन्न के प्रकार

श्रीअन्न एक सामूहिक शब्द है जिसमें कई प्रकार के बीज और अनाज सम्मिलित हैं, जो एक ही प्रजाति या वंश से संबंधित नहीं हैं। श्रीअन्न की विभिन्न किस्मों में, मोती श्रीअन्न (पेनिसेटम ग्लौकम) सबसे व्यापक रूप से उगाया जाने वाला अनाज है, जो वैश्विक उत्पादन का लगभग 46% हिस्सा है (मराठी, 1994)। श्रीअन्न की अन्य उल्लेखनीय किस्मों में फॉक्सटेल, प्रोसो और फिंगर मिलेट सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, छोटे श्रीअन्न किस्में जैसे कोदो, छोटे, जापानी बार्नयार्ड, फोनियो और टेफ श्रीअन्न भी हैं। इन श्रीअन्न की किस्मों में आम तौर पर छोटे दाने होते हैं, जो बीज जैसे दिखते हैं। "मिलेट" शब्द फ्रांसीसी शब्द "मिले" से लिया गया है, जिसका अर्थ है "हजार", यह दर्शाता है कि मुट्ठी भर श्रीअन्न में हजारों अनाज हो सकते हैं (टाइलर और एम्माम्बक्स, 2008)।

श्रीअन्न की पोषण संरचना

श्रीअन्न, जो अत्यधिक पौष्टिक अनाज है, विविध महत्वपूर्ण पोषक तत्व प्रदान करता है। वे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आहार फाइबर, विटामिन और खनिजों में प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो उन्हें एक उत्कृष्ट आहार विकल्प बनाते हैं। श्रीअन्न में आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस और बी विटामिन की महत्वपूर्ण मात्रा होती है, जो उन्हें पोषण संबंधी कमियों से निपटने में एक अमूल्य घटक बनाती है। उनका उच्च फाइबर सामग्री पाचन में सहायता करता है, परिपूर्णता की भावना को बढ़ावा देता है, और वजन प्रबंधन में सहायता करता है। इसके अलावा, श्रीअन्न में फेनोलिक यौगिक, फ्लेवोनोइड्स और एंटीऑक्सिडेंट जैसे बायोएक्टिव यौगिक होते हैं, जो पुरानी बीमारियों की रोकथाम सहित कई स्वास्थ्य लाभों से जुड़े होते हैं।

खाद्य उत्पादों में श्रीअन्न का उपयोग

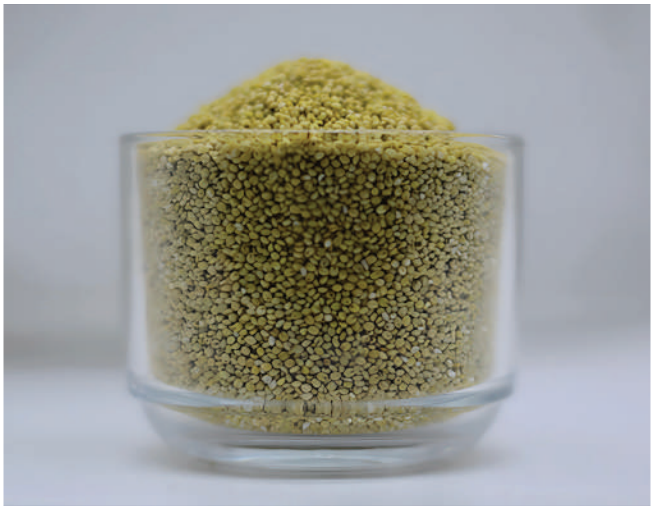

श्रीअन्न अनेक गुणों से भरपूर अनाज है और विभिन्न खाद्य उत्पादों जैसे कि ब्रेड, अनाज, स्नैक्स, दलिया और किण्वित वस्तुओं में इसका उपयोग किया जा सकता है। वांछित परिणाम के आधार पर उन्हें आटे में संसाधित किया जा सकता है या साबुत अनाज के रूप में उपयोग किया जा सकता है। श्रीअन्न ग्लूटेन-मुक्त होता है, जो इसे ग्लूटेन असहिष्णुता या सीलिएक रोग वाले लोगों के लिए उपयुक्त बनाता है। उनमें उच्च पोषण सामग्री और जैव सक्रिय यौगिक होते हैं, जो उन्हें मूल्यवर्धित कार्यात्मक खाद्य पदार्थ विकसित करने के लिए आदर्श बनाते हैं। अपनी क्षमता के बावजूद, श्रीअन्न वर्तमान में वैश्विक अनाज व्यापार का 3% से भी कम हिस्सा है। हालांकि, श्रीअन्न को वैश्विक खाद्य प्रणाली में शामिल करने से इसकी विविधता बढ़ सकती है और बाजार में व्यवधानों के दौरान आम तौर पर कारोबार किए जाने वाले अनाज का विकल्प मिल सकता है। इससे बाजारे के व्यापार में कुछ लचीलापन आ सकता है और अन्य अनाजों पर निर्भरता कम हो सकती है। श्रीअन्न छोटे किसानों के लिए भी ऐसा अवसर प्रदान करता है, जिससे उन्हें अपनी आजीविका में सुधार करने में मदद मिलती है। श्रीअन्न की खपत और उत्पादन को बढ़ावा देकर हम उनकी बाजार हिस्सेदारी को पुनर्जीवित कर सकते हैं और छोटे किसानों के लिए अतिरिक्त अवसर पैदा कर सकते हैं।

सुविधाजनक भोजन के रूप में श्रीअन्न

श्रीअन्न से बने खाद्य उत्पाद अपने पोषण संबंधी और आर्थिक लाभों के कारण तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। ये श्रीअन्न आधारित उत्पाद बहुत बढ़िया व्यावसायिक संभावनाएँ प्रदान करते हैं क्योंकि उपभोक्ताओं का मानना है कि ये उनके स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभाकारी है। श्रीअन्न के दानों का उपयोग विभिन्न खाद्य उत्पादों, जैसे बेकरी आइटम, पफ्ड उत्पाद, जल्दी पकने वाले अनाज, स्नैक्स और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए उचित मिलिंग और प्रसंस्करण तकनीकों के माध्यम से किया जा सकता है।

श्रीअन्न बनाने की पारंपरिक विधियाँ समय लेने वाली और श्रमसाध्य हैं, जिसके कारण बाजार में श्रीअन्न आधारित खाद्य विकल्प उभर कर सामने आए हैं। इन सुविधाजनक खाद्य पदार्थों के उदाहरणों में नाश्ते के विकल्प जैसे डोसा मिक्स, पनियारम मिक्स और पोंगल मिक्स, साथ ही दोपहर के भोजन के विकल्प जैसे चावल मिक्स और बिरयानी शामिल हैं। बाजार में श्रीअन्न खाखरा और मिलेट लड्डू जैसे पौष्टिक मिश्रण और स्नैक्स भी उपलब्ध हैं।

आज के युग में सुविधाजनक खाद्य पदार्थों को अच्छी प्रतिक्रिया मिली है, खासकर कामकाजी महिलाओं के बीच, उनके लंबे शेल्फ जीवन, अद्वितीय स्वाद और सामर्थ्य के कारण। हालांकि, चावल और गेहूं जैसे परिष्कृत अनाज की उपलब्धता ने दैनिक आहार में श्रीअन्न की खपत में कमी लाने का काम किया है।

सुविधाजनक खाद्य पदार्थों के बढ़ते चलन का लाभ उठाने के लिए, एक नए ब्रांड के तहत श्रीअन्न-आधारित विकल्पों को बढ़ावा देने से घरों तक पहुँचने और लोगों के आहार में श्रीअन्न को फिर से शामिल करने की महत्वपूर्ण संभावना है।

स्वास्थ्य लाभ और संभावित प्रभाव

श्रीअन्न अनेक रोगों के लिए अत्यंत लाभकारी है जिसमें मधुमेह प्रबंधन, हृदय रोग के जोखिम को कम करना और जठरांत्र संबंधी स्वास्थ्य समस्याएं सम्मिलित हैं। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है जो कोलेस्ट्रॉल और आंत के के लिए अत्यंत लाभाकारी है। श्रीअन्न में एंटीऑक्सीडेंट, खनिज और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होती है, जो विकासशील देशों में कुपोषण से निपटने का अचूक विकल्प बन सकता है। वे आयरन का एक किफ़ायती स्रोत हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली के समर्थन के लिए उनमें नियासिन होता है। श्रीअन्न में मौजूद बीटा कैरोटीन आँखों और शरीर को मुक्त कणों से बचाता है। श्रीअन्न कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स और गैर-अम्लीय होता है, जो पाचन में सहायता करता है। अघुलनशील फाइबर एक प्रीबायोटिक के रूप में कार्य करता है, स्वस्थ आंत बैक्टीरिया, नियमितता को बढ़ावा देता है और कोलन कैंसर के जोखिम को कम करता है। घुलनशील फाइबर पेट में इसे अवशोषित करके और शरीर से इसे बाहर निकालकर हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है।

स्वस्थ भविष्य के लिए श्रीअन्न को बढ़ावा

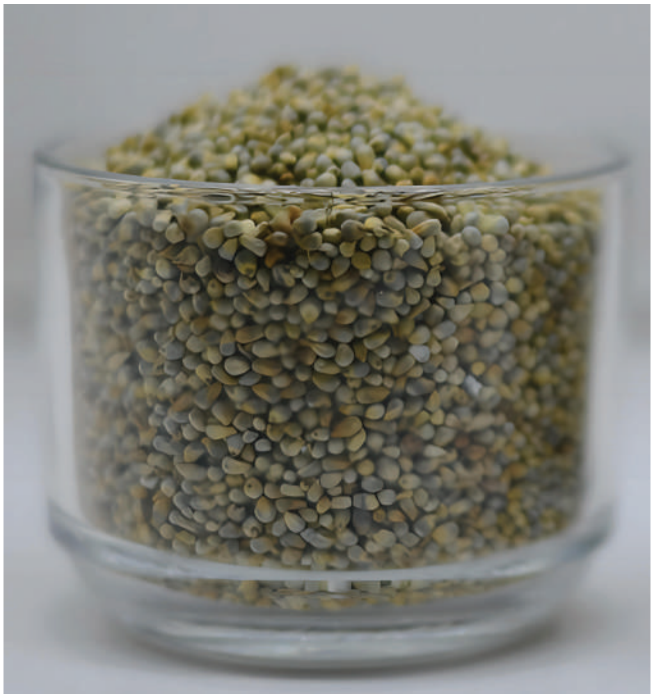

श्रीअन्न की पूर्ण पोषण क्षमता को समझने के लिए इसके उपभोग के बारे में जागरूकता और प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देना नितांत आवश्यक है। सरकारों, नीति निर्माताओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए श्रीअन्न की खेती, शोध और श्रीअन्न पर आधारित नवीन उत्पादों के विकास को बढ़ावा देने वाली पहलों का सक्रिय रूप से समर्थन करना महत्वपूर्ण है। किसानों, शोधकर्ताओं और खाद्य उद्योग के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर, बाजार में उच्च गुणवत्ता वाले श्रीअन्न के उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मूल्यवान मूल्य श्रृंखलाएँ स्थापित की जा सकती हैं। इसके अलावा, उपभोक्ताओं को श्रीअन्न के स्वास्थ्य लाभों के बारे में शिक्षित करना और उन्हें व्यंजन विधि और खाना पकाने के प्रदर्शन प्रदान करना, श्रीअन्न को उनके दैनिक आहार में शामिल करने के लिए बहुत प्रोत्साहित कर सकता है। श्रीअन्न की बहुमुखी प्रतिभा विभिन्न नवीन अनुप्रयोगों की अनुमति देती है, और उनकी आनुवंशिक विविधता चिकित्सा और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में अवसर खोलती है। इन नवीन उपयोगों की खोज करके, श्रीअन्न क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण बाजार विकल्प के तौर पर उभर सकता है।

श्रीअन्न के औषधीय लाभ

मधुमेह मेलेटस एक आम चयापचय विकार है जो शरीर में अनेक समस्याएं पैदा करता है। खराब आहार, जीवनशैली में बदलाव और तनाव मधुमेह में पोषण संबंधी चुनौतियों को और बढ़ान का काम करते हैं। मधुमेह के रोगियों के आहार में श्रीअन्न शामिल करना अपनी विशेषताओं के कारण, मुख्य तौर पर लाभदायक कार्बोहाइड्रेट से भरपूर, कम वसायुक्त और उच्च फाइबरयुक्त फायदेमंद हो सकता है। श्रीअन्न धीरे-धीरे चीनी छोड़ता है, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है जिसके परिणामवरूप हाइपोकोलेस्ट्रोलेमिक और हाइपोग्लाइसेमिक प्रभाव भी होते हैं। श्रीअन्न किण्वन को कम करता है, विषाक्त पदार्थों को नियंत्रित करता है और कोलन कैंसर, कब्ज और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याओं के जोखिम को कम करता है। श्रीअन्न का नियमित सेवन हृदय रोगों, ग्रहणी संबंधी अल्सर और हाइपरग्लाइसेमिया की घटनाओं को कम करने से जुड़ा हुआ है। इसलिए, मधुमेह आहार में श्रीअन्न को शामिल करने से स्थिति को प्रबंधित करने और संबंधित जोखिमों को कम करने में मदद मिलती है।

श्रीअन्न जलवायु-प्रतिरोधी है

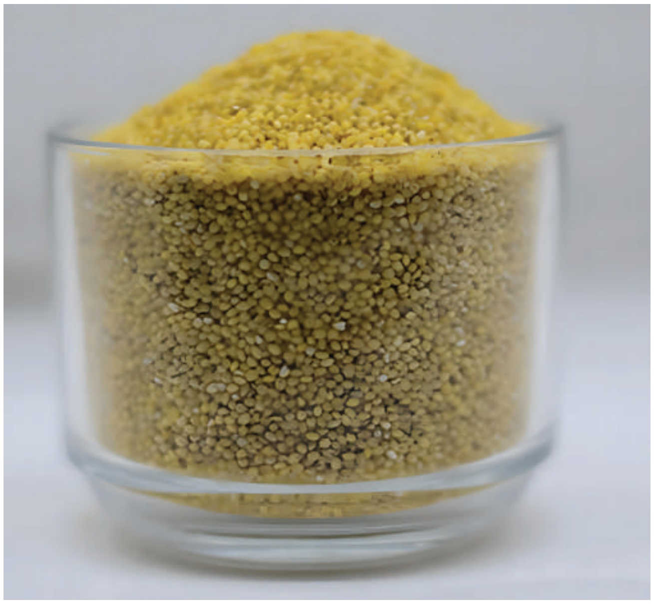

श्रीअन्न शुष्क वातावरण में आसानी से उगने वाली फसल है और इसमें रोगों और कीटों से निपटने की क्षमता होती है, जिससे वे चुनौतीपूर्ण जलवायु परिस्थितियों में आसनी ने पनप जाते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की उनकी अनूठी क्षमता और इनपुट और रखरखाव के लिए उनकी न्यूनतम आवश्यकताएं श्रीअन्न को स्थानीय कृषि खाद्य प्रणालियों को अधिक कुशल, लचीले और समावेशी में बदलने के लिए एक आदर्श फसल बनाती हैं। इसके अलावा, खराब और खराब मिट्टी में पनपने की श्रीअन्न की क्षमता शुष्क क्षेत्रों में भूमि कवर में योगदान देती है, मिट्टी के क्षरण को कम करती है और जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देती है। श्रीअन्न उत्पादन का विस्तार करके, हम ऐसी कृषि प्रणालियों को बढ़ावा दे सकते हैं जो जलवायु झटकों से निपटने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हैं और साथ ही पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देती हैं।

निष्कर्ष

श्रीअन्न विकसित देशों में व्यापक रूप से उपभोग किया जाने वाला अनाज है और अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में मुख्य भोजन के रूप में काम आता है। घर पर बने श्रीअन्न के उत्पाद स्वस्थ मधुमेह आहार के प्रबंधन के लिए फायदेमंद है क्योंकि इसमें आहार फाइबर और अन्य पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रसंस्कृत विकल्पों की तुलना में घर पर बने तरीकों को चुनना महत्वपूर्ण है। अन्य प्रमुख अनाजों की तरह श्रीअन्न भी आवश्यक पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व और बायोएक्टिव फाइटोकेमिकल्स, विशेष रूप से फेनोलिक्स प्रदान करता है। वे ग्लूटेन-मुक्त भी होते हैं, जो उन्हें सीलिएक रोग वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त बनाता है। श्रीअन्न की खेती जलवायु परिवर्तन के लिए लचीली और अनुकूलनीय है क्योंकि इसे पूरे वर्ष उगाया जा सकता है। उच्च रक्तचाप, हृदय गति रुकना और टाइप II मधुमेह जैसी पुरानी बीमारियाँ महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक बोझ डालती हैं। आहार अनुपूरक के रूप में श्रीअन्न को शामिल करने से इन गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) से लड़ने में मदद मिल सकती है और श्रीअन्न के सेवन से जुड़े फेनोलिक सामग्री और सकारात्मक स्वास्थ्य परिणामों पर विचार करते हुए समग्र स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है।

नेफेड की नई पहल

अंतर्राष्ट्रीय श्रीअन्न वर्ष – 2023 के अंतर्गत पहल

श्रीअन्न अनुभव केंद्र (एमईसी)- दिल्ली हाट में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (एमओएएंडएफडब्ल्यू) और नेफेड की साझेदारी में एक विशेष श्रीअन्न अनुभव केंद्र (एमईसी) की स्थापना की गई है। 28 अप्रैल, 2023 को पूर्व माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एमईसी का उद्घाटन किया।

मानेसर में प्रशिक्षण सत्र - नेफेड ने 29 मई, 2023 को मानेसर में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) गैरीसन में शेफ के लिए एक विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया। यह प्रशिक्षण एमईसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (एचयूएल) के शेफ द्वारा संचालित किया गया। इस कार्यशाला को सभी प्रतिभागियों ने अच्छी प्रतिक्रिया मिली।

दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में श्रीअन्न कार्यशालाएँ - नेफेड ने दिल्ली एनसीआर के अनेक स्कूलों में श्रीअन्न कार्यशालाएँ आयोजित कीं। इन कार्यशालाओं में श्रीअन्न के इतिहास और लाभों पर ज्ञानवर्धक सत्र शामिल थे, जिसमें इसके कई लाभों पर जोर दिया गया। इसके अतिरिक्त, एमईसी शेफ ने छात्रों को श्रीअन्न से बने विभिन्न उत्पादों का स्वाद चखाया।

मिलेट्स ब्रंच – नेफेड ने विलेज स्क्वायर, ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया के सहयोग से एमईसी में मिलेट्स ब्रंच का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में कई तरह के मिलेट्स-आधारित खाद्य विकल्प पेश किए गए, जिनकी कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने बहुत प्रशंसा की। ब्रंच में मिलेट्स के पोषण संबंधी लाभों को उजागर करने का भी अवसर मिला और कई प्रतिभागियों ने इन बहुमुखी अनाजों को अपने नियमित आहार में शामिल करने में रुचि दिखाई। सकारात्मक प्रतिक्रिया ने एक स्वस्थ और टिकाऊ खाद्य विकल्प के रूप में मिलेट्स के बारे में बढ़ती जागरूकता और स्वीकृति पर जोर दिया।

बीएसएफ के साथ श्रीअन्न प्रदर्शनी - 06 नवंबर, 2023 को बीएसएफ के लिए श्रीअन्न प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के श्रीअन्न उत्पादों को प्रदर्शित किया गया, उनके पोषण संबंधी लाभों और पाक अनुकूलनशीलता पर जोर दिया गया।

दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ का दौरा - 15 दिसंबर, 2023 को दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) के प्रतिनिधियों ने एमईसी का दौरा किया, जहां उन्हें श्रीअन्न आधारित उत्पादों का स्वाद चखने का अवसर मिला।

एफआईपीआईसी शिखर सम्मेलन और विश्व योग दिवस के लिए उपहार बॉक्स और पुस्तिकाएं – नेफेड ने उपहार बॉक्स तैयार किए, जिन्हें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पापुआ न्यू गिनी में तीसरे एफआईपीआईसी शिखर सम्मेलन और न्यूयॉर्क में विश्व योग दिवस समारोह के दौरान गणमान्य व्यक्तियों को भेंट किया। इसके अतिरिक्त, नेफेड ने उपर्युक्त अवसरों के लिए "मैं श्री अन्न हूँ" और "श्री अन्न" पुस्तिकाएँ संकलित कीं।

श्रीअन्न स्टार्ट-अप को शामिल करना - नेफेड श्रीअन्न आधारित वस्तुओं के उत्पादन और प्रसंस्करण में शामिल स्टार्टअप को जोड़ने का प्रयास कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य परिष्कृत आटे पर आधारित उत्पादों के लिए एक स्वस्थ विकल्प के रूप में श्रीअन्न के बारे में जागरूकता बढ़ाना और आईवाईएम-2023 के उद्देश्यों के अनुरूप श्रीअन्न की खपत को बढ़ावा देना है।

मार्केटिंग और ब्रांडिंग कोलैटरल - एमईसी ने विभिन्न श्रीअन्न के प्राकृतिक स्वरूप के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए श्रीअन्न अनाज अनुभव बॉक्स की शुरुआत की।

श्रीअन्न कॉर्नर - सभी नेफेड बाज़ार स्टोर्स में श्रीअन्न आधारित उत्पादों की विविधतापूर्ण रेंज प्रदर्शित करने के लिए एक नामित श्रीअन्न कॉर्नर स्थापित किया गया है। स्टोर ग्राहकों को आकर्षित करने और बिक्री बढ़ाने के लिए श्रीअन्न आधारित उत्पादों की प्रदर्शनी लगाते हैं। श्रीअन्न स्टार्ट-अप को अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए श्रीअन्न कॉर्नर पर अपने उत्पादों का प्रदर्शन करके महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की जाती है।

अध्याय 11

नेफेड के कारोबारी कार्यक्षेत्र

किसानों को लाभ पहुंचाने वाली सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन जैसे पीएसएस (तिलहन एवं दलहन) पीएसएफ (दलहन)

उपभोक्ताओं की सेवा में नेफेड बाजार

कृषि-अपशिष्ट से बायो-सीबीजी का उत्पादन

जैव-उर्वरक एवं प्रमाणित बीज का उत्पादन

पीएसएस के अंतर्गत गेहूं एवं धान की खरीद

भारत सरकार के राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी) का कार्यान्वयन

औद्योगिक गतिविधियां जैसे भंडारण/शीत गृह इत्यादि

जैविक खेती एवं प्रमाणित जैविक उत्पादों को प्रोत्साहन

एमडीएम,आईसीडीएस, पीडीएस योजनाओं के अंतर्गत राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों एवं रक्षा बलों को दलहन की आपूर्ति

विश्व भर में कृषि-जिंसों की निर्यात/आयात

nafed
A Farmers' Cooperative
...Since 1958

फेडरेशन ऑफ इंडियन एफपीओ एंड एग्रीगेटर्स (फीफा).....डोट्स से जुड़ने का कार्य

फीफा

भारत सरकार की ओर से बाजार हस्तक्षेप योजना एवं कीमत स्थिरीकरण निधि योजना के अंतर्गत फल व सब्जियों (सेब/प्याज इत्यादि) की खरीद

दलहन और तिलहन

कृषि क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेश को प्रोत्साहित करने और कृषि जिसों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा देने की दृष्टि से भारत सरकार, किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में सहायता करने के लिए, प्रत्येक खरीफ और रबी फसल के मौसम के लिए 25 अधिसूचित कृषि वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा करती है।

भारत सरकार की मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के अंतर्गत दलहन और तिलहन की खरीद

नेफेड मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के अंतर्गत तिलहन, दलहन और कोपरा (गिरी) की 15 निर्दिष्ट कृषि जिंसों की खरीद के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसियों में से एक है।

नेफेड इस मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) से कई वर्षों से जुड़ा है। इस योजना के अंतर्गत, खरीद तभी की जाती है, जब उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) स्टॉक का बाजार मूल्य घोषित एमएसपी पर अथवा उससे कम हो। यह खरीद प्रक्रिया तब तक जारी रखी जाती है जब तक कि बाजार की कीमतें स्थिर न हो और एमएसपी से अधिक न हो, या संबंधित राज्य सरकारों की घोषणानुसार 90 दिन हो गये हों (कोपरा के लिए, संयुक्त सचिव (आई एंड पीएस), डीए एंड एफडब्ल्यू की अध्यक्षता में दिनांक 18.01.2024 को हुई बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार तीन महीने के अंतराल के बाद दो विंडो में 90 दिन), जो भी पहले हो। नेफेड राज्य स्तर पर एवं प्राथमिक जमीनी स्तर पर अपने सहकारी नेटवर्क के माध्यम से किसानों से सीधे पीएसपी के अंतर्गत एफएक्यू स्टॉक खरीद रहा है। नेफेड तीन से अधिक दशकों से भारत सरकार की ओर से इस योजना सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर रहा है।

कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग (डीएसीएंडएफडब्ल्यू) के दिशानिर्देशों के अनुरूप, नेफेड ने वर्ष 2023-24 के दौरान मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के अंतर्गत 21,820.39 करोड़ रुपये की 37.36 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद की है। मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के अंतर्गत दलहन और तिलहन इस खरीद से नेफेड को सेवा शुल्क के रूप में 1.5% की दर से लगभग 327.31 करोड़ रुपये प्राप्त हुए।

भारत सरकार की मूल्य स्थिरीकरण निधि (पीएसएफ) योजना के अंतर्गत दालहन की खरीद

भारत सरकार ने दालों के बफर स्टॉक स्थापित करने के उद्देश्य से पीएसएफ योजना आरंभ की है। इस पहल को वर्तमान में उपभोक्ता मामले विभाग (डीओसीए), द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है जो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत आता है।

उपभोक्ता मामले विभाग (डीओसीए) के निर्देशों और अधिकृत करने के उपरांत, नेफेड ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान पीएसएफ के अंतर्गत 1911.91 करोड़ रुपये की 2.80 लाख मीट्रिक टन दलहन खरीदी। इस पीएसएफ खरीद से संघ को सेवा शुल्क के रूप में लगभग 33.46 करोड़ रुपये प्राप्त हुए।

विगत पांच वर्षों के दौरान मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के अंतर्गत दलहन और तिलहन की खरीद और लाभान्वित किसानों की संख्या का विवरण इस प्रकार है:

(मात्रा लाख मीट्रिक टन में)

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
दलहन	15.08	23.56	11.44	29.90	23.70
तिलहन	18.17	11.00	1.57	0.71	13.66
योग	33.24	34.56	13.00	30.62	37.36

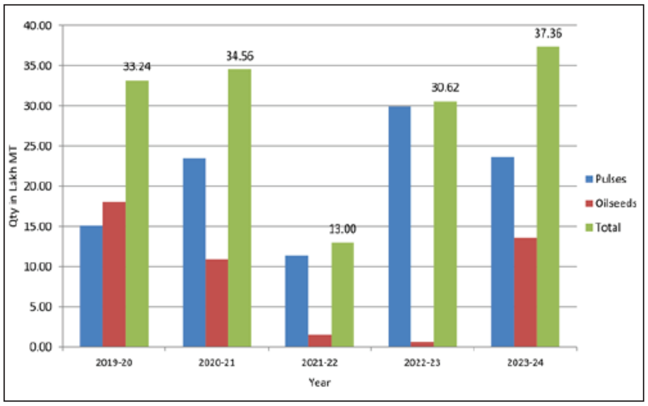

वित्तीय वर्ष 2023-2024 के दौरान नेफेड ने दलहन के राष्ट्रीय बफर के लिए मसूर (फसल वर्ष 2022) का 2.5 लाख मीट्रिक टन आयातित स्टॉक खरीदा।

भारत सरकार के उपभोक्ता मामले मंत्रालय के उपभोक्ता मामले विभाग ने नेफेड को 2,50,000 मीट्रिक टन आयातित मसूर आवंटित किए। इस लक्ष्य को पार करते हुए नेफेड ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ई-टेंडर के माध्यम से आयातकों से कुल 2,51,300 मीट्रिक टन आयातित मसूर की खरीद की है। आयातित मसूर का स्टॉक गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु राज्यों में सीडब्ल्यूसी/एसडब्ल्यूसी गोदामों में इन राज्यों में फैले सात विभिन्न बंदरगाहों पर प्राप्त हुआ है।

नेफेड द्वारा दलहन के राष्ट्रीय बफर का प्रबंधन भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है, इस बफर का मुख्य उद्देश्य पूरे भारत में उपभोक्ताओं के हित में दलहन की कीमतों में किसी भी असामान्य उछाल पर नज़र रखना है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान (पीएसएस/पीएसएफ) के तहत दलहनों और (पीएसएस) के अंतर्गत तिलहनों की खरीद का ब्यौरा निम्नानुसार है, जिसमें 3,96,581.29 मीट्रिक टन आयातित तूअर, उड़द और मसूर की खरीद भी सम्मिलित है।

(मात्रा लाख मीट्रिक टन में)

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
दलहन	16.27	24.23	13.85	30.43	26.51
तिलहन	18.17	11.00	1.57	0.71	13.66
योग	34.43	35.23	15.42	31.14	40.17

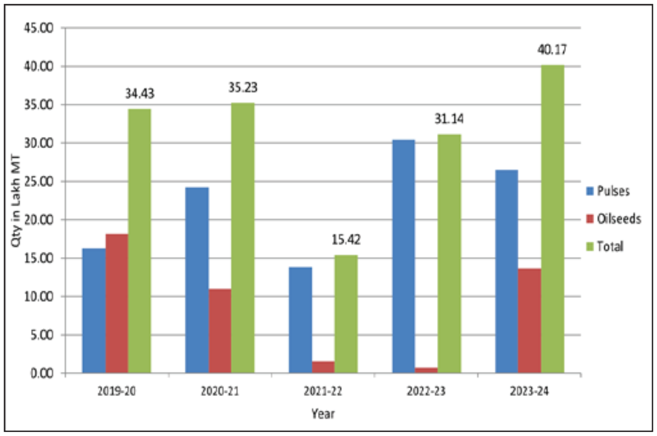

पीएसएस/पीएसएफ के अंतर्गत लाभान्वित किसान

विगत पांच वर्षों के दौरान पीएसएस/पीएसएफ के अंतर्गत दलहन और पीएसएस के अंतर्गत तिलहन की खरीद और लाभान्वित किसानों का ब्यौरा इस प्रकार हैं:

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
पीएसएस/ पीएसएफ के अंतर्गत लाभान्वित किसान	20,09,095	18,70,771	8,20,236	14,32,240	15,82,087

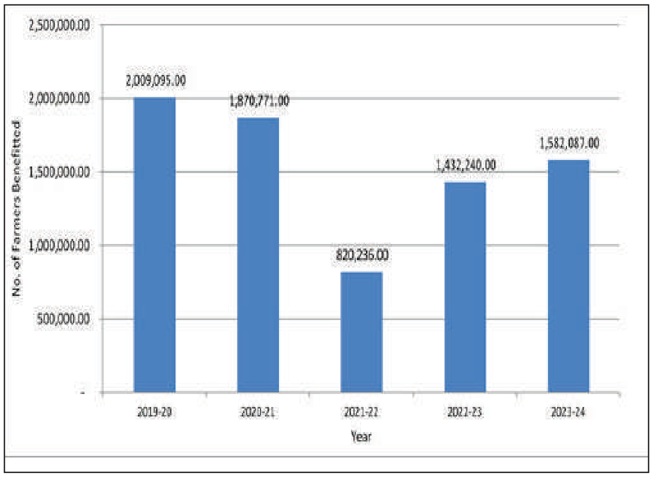

अध्याय 11.2

खाद्यान्न

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, नेफेड ने पश्चिम बंगालव एवं असम से धान की खरीद की। नेफेड को इन राज्यों में राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाली राज्य एजेंसी की भूमिका सौंपी गई।

नेफेड ने 17,321.39 लाख रुपये की कुल 79,346.75 मीट्रिक टन धान की खरीद की जिससे दोनों राज्यों के लगभग 20,823 किसान लाभान्वित हुए।

राज्य-वार खरीद का सारांश इस प्रकार हैः

क्र. सं.	वर्ष	राज्य	31.03.2024 के अनुसार प्रगतिशील खरीद	
			मात्रा (मीट्रिक टन में)	खरीद (एमएसपी) का मूल्य (लाख रुपये में)
1	केएमएस 2023-24	पश्चिम बंगाल	65672.89	14336.39
2	केएमएस 2023-24	असम	13673.86	2985.00
	योग		**79,346.75**	**17,321.39**

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के निर्देश पर, नेफेड को गेहूं की खरीद के लिए राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया था।

किसानों को लाभ पहुंचाते हुए गेहूं और धान की खरीद

अध्याय 11.3

बागवानी

नेफेड किसानों और उपभोक्ताओं के हित में बागवानी के विकास के लिए विभिन्न गतिविधियाँ और हस्तक्षेप करता है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

- **प्याज के बफर स्टॉक का सृजन:**

  बागवानी से जुड़ी कुछ जिंसों की कीमतें बहुत अस्थिर होती हैं। फसल कटाई के समय और फसल कटाई के तुरंत बाद थोक और खुदरा कीमतों में भारी गिरावट देखी जाती है। भंडार किए गए स्टॉक के खत्म होते ही कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। प्याज के मामले में यह स्थिति और भी स्पष्ट है। कीमतों में उतार-चढ़ाव का उपभोक्ताओं पर बहुत बुरा असर पड़ता है।

  भारत सरकार की केंद्रीय नोडल एजेंसी होने के नाते नेफेड का मुख्य उद्देश्य, प्याज के कारोबार में आने वाली ऐसी अस्थिरता को दूर करना और उपभोक्ताओं और किसानों के लाभ पहुंचाने के मामले में कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कम खपत वाले महीनों में बफर स्टॉक जारी करने में सरकार को सक्षम बनाना है।

- **प्याज भंडारण सुविधा:**

  नेफेड ने महाराष्ट्र में प्याज भंडारण सुविधा स्थापित की है जिसकी भंडारण क्षमता 19000 मीट्रिक टन है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल प्रभावी रूप से प्याज बफर स्टॉक को बढ़ाता है जिससे प्याज की कीमतों की स्थिरता और मजबूती मिलती है।

- **ऑपरेशन ग्रीन्स:**

  ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के अंतर्गत अल्पकालिक मूल्य स्थिरीकरण उपायों को लागू करने के लिए नेफेड को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य टमाटर, प्याज और आलू (टॉप) जैसी प्रमुख फसलों के लिए स्थिर मूल्य बनाए रखना था। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समर्थित इस पहल में परिवहन और भंडारण के लिए सब्सिडी प्रदान करना शामिल था।

  सेब और आलू के लिए परिवहन और भंडारण सब्सिडी भी योजना के दिशा-निर्देशों और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार जारी की गई।

- **फलों, सब्जियों और अन्य बागवानी उत्पादों की बिक्री के लिए बाजार संपर्क का विस्तार:**

  नेफेड दिल्ली की आजादपुर मंडी में आढ़त की दुकान है, जो एशिया में फलों और सब्जियों की सबसे बड़ी मंडियों में से एक है।

  नेफेड इस दुकान के माध्यम से विभिन्न फल और सब्जियों की बिक्री कर रहा है।

मुख्य बातें

- रबी-23 के मौसम में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के निर्देशानुसार मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के लिए बफर स्टॉक बनाने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश से 214,210 मीट्रिक टन प्याज की सफलतापूर्वक खरीद की गई। रबी सीजन के दौरान खरीदे गए स्टॉक का शिथिल मूल्य 411.01 करोड़ रुपये था, जिसका औसत मूल्य 20,616.24 रुपये प्रति मीट्रिक टन था।
- महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और गुजरात राज्यों में खरीफ सीजन के दौरान 71,785.03 मीट्रिक टन प्याज सीधे खेत से खरीदा गया। इस खरीद की औसत दर 1,8251.09 रुपये प्रति मीट्रिक टन थी, जिसके परिणामस्वरूप कुल 131.02 करोड़ रुपये का संचयी मूल्य प्राप्त हुआ।
- वर्ष 2023-24 के चरण 1, चरण 2 और चरण 3 के दौरान महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और राजस्थान से 542.03 करोड़ रुपये की कुल 2,85,995 मीट्रिक टन गेहूं

की खरीद की गई। यह खरीद प्रक्रिया में पैनलबद्ध सहायता एजेंसियों के सहयोग से संपन्न हुई।

- प्याज की कीमतों को स्थिर रखने के लिए पूरे भारत में बफर स्टॉक को कैलिब्रेटेड तरीके से जारी किया गया।
- नेफेड ने समूचे भारतवर्ष के उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सीधे खुदरा बिक्री भी आरंभ की है।
- फलों और सब्जियों के व्यापार में सुविधा प्रदान करते हुए, नेफेड ने 14.45 करोड़ रुपये का सेवा शुल्क अर्जित किया।

अध्याय 11.4

प्रत्यक्ष कारोबार

आउट्राइट डिवीजन 2023-24 की प्रमुख गतिविधियों और उपलब्धियों की विशेषताएं

नेफेड पूरे देश में किसानों से तिलहन, दलहन, मसाले, खाद्यान्न, बागवानी और अन्य कृषि उपज की खरीद बजटीय आवंटन के सापेक्ष अपने स्वयं की निधि का उपयोग करते हुए सीधे खाते में कर रहा है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, नेफेड ने महाराष्ट्र में 796.69 लाख रुपये के 968.87 मीट्रिक टन तुअर का अग्रेनीत किए गए स्टॉक को व्यावसायिक रूप से बेचा है।

मात्रा मीट्रिक टन में/मूल्य लाख रुपये में

जिंस	मात्रा	मूल्य
तुअर	968.87	796.69

अध्याय 11.5

संस्थागत आपूर्ति

नेफेड का संस्थागत आपूर्ति प्रभाग वर्ष 2017 से सेना, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और राज्य संगठन सहित अनेक संस्थानों को मिल्ड दालें और अन्य वस्तुएं उपलब्ध कराने में सक्रिय रूप से शामिल रहा है।

यह महत्वपूर्ण सेवा नेफेड द्वारा अपने ई-प्लेटफ़ॉर्म nafed.agribazaar.com के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। पूरे देश में मिल मालिकों को इस पोर्टल के माध्ये जोड़ा गया है। इन मिल मालिको के प्रमुख उत्तरदायित्वों में मिलिंग, पैकेजिंग और इन संस्थानों तक माल पहुँचाना सम्मिलित है।

वर्ष के दौरान नेफेड ने निम्नलिखित विभिन्न संस्थाओं आपूर्ति की:

- **नेफेड द्वारा प्रसंस्कृत दलहन की आपूर्ति**

  नेफेड ने वर्ष 2017 से निरंतर सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) को दलहन और विभिन्न अन्य कृषि जिंस उपलब्ध करा रहा है।

  वित्त वर्ष 2023-2024 में, पूरे भारत में सेना और सीएपीएफ को लगभग 33371 मीट्रिक टन प्रसंस्कृत दलहन की आपूर्ति की गई। इसके अतिरिक्त, विभिन्न राज्यों को लगभग 6.08 लाख मीट्रिक टन मिल्ड दलहन की आपूर्ति की गई।

- **विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए राज्य सरकारों/ केन्द्र शासित प्रदेशों को दलहन, खाद्य तेल, चीनी, नमक की आपूर्ति**

  नेफेड ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को उनके कल्याणकारी पहलों के अंतर्गत लगातार विभिन्न प्रकार की प्रसंस्कृत दलहन उपलब्ध कराई हैं, जिनमें मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस), सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) जैसे कार्यक्रम सम्मिलित हैं।

  छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मिजोरम आदि अनेक राज्यों को लगभग 6.08 लाख मीट्रिक टन साफ की गई और मिल वाली दलहन की आपूर्ति की गईं, जिन्हें उपर्युक्त योजनाओं के माध्यम से आगे आवंटित किया जाएगा। आपूर्ति की गई दलहन में तुअर दाल, चना दाल, मसूर मलका और मसूर दाल छिलका सम्मिलित हैं। जम्मू और कश्मीर को 750 मीट्रिक टन चीनी की आपूर्ति की गई।

  आपूर्तित दलहन का विवरण इस प्रकार है:

संस्थान	आपूर्तित मात्रा (मीट्रिक टन में)
सेना	32,297
सीएपीएफ	1,073
राज्य (कल्याकारी योजना के अंतर्गत)	6,08,059
योग	**6,41,431**

- **उत्तर प्रदेश सरकार को पीडीएस के अंतर्गत किराना की आपूर्ति**

  महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आईसीडीएस योजना के अंतर्गत चना दाल, फोर्टिफाइड गेहूं दलिया और फोर्टिफाइड खाद्य तेल की खरीद और आपूर्ति के लिए नेफेड को कार्यादेश दिए। इस कार्यादेशों की कुल आपूर्ति में लगभग 1,83,646

मीट्रिक टन चना दाल, 70,187 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड खाद्य तेल और 2,01,267 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड गेहूं दलिया, साथ ही किट बैग सम्मिलित हैं। ये कार्यादेश सफलतापूर्वक निष्पादित किए गए और पूरे राज्य में ग्रामीण ब्लॉक केंद्र और शहरी आंगनवाड़ी केंद्रों तक इनकी आपूर्ति सुनिश्चित की गई।

- **तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, असम और केरल सरकार को फोर्टिफाइड चावल कर्नेल की आपूर्ति**

नेफेड ने एमडीएम, पीडीएस और आईसीडीएस जैसे कल्याणकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों को एफआरके की आपूर्ति की है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान इन राज्यों से प्राप्त कार्यादेश के अंतर्गत तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, असम और केरल सरकारों को कुल 42,347 मीट्रिक टन एफआरके की आपूर्ति की जा चुकी है।

सशस्त्र बलों को श्रीअन्न की आपूर्ति

नेफेड द्वारा बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसएसबी के सशस्त्र बलों को श्रीअन्न, ज्वार और रागी जैसे 454 मीट्रिक टन श्रीअन्न की आपूर्ति की गई। इसका विवरण नीचे दिया गया है –

जिंस	मात्रा
बाजरा	157 MT
ज्वार	153 MT
रागी	144 MT

अध्याय 11.6

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने और संघ के लिए अतिरिक्त राजस्व सृजित करने में वाणिज्यिक प्रचालन को बढ़ाने के उद्देश्य से, विदेशों से और विदेशों को विभिन्न कृषि जिंसों और उत्पादों का आयात और निर्यात करता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, नेफेड ने निम्नलिखित कारोबारी गतिविधियाँ कीः –

- **विदेश मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से मानवीय सहायता के रूप में अफगानिस्तान को 10,000 मीट्रिक टन गेहूं की आपूर्ति**

सद्भावना के संकेत के रूप में, भारत सरकार नियमित रूप से विकासशील और अल्पविकसित देशों को विभिन्न खाद्य, कृषि जिंसों और वस्तुओं की मानवीय सहायता/ आपातकालीन राहत प्रदान करती आ रही है। गुणवत्ता और वितरण मानकों के अनुसार ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति के लिए नेफेड की क्षमताओं पर भरोसा जताते हुए विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने ईरान के चाबहार बंदरगाह के माध्यम से अफगानिस्तान को 10,000 मीट्रिक टन गेहूं के निर्यात की जिम्मेदारी नेफेड को सौंपी।

नेफेड ने इस प्रतिष्ठित आदेश सफलतापूर्वक पूर्ण किया है और 2500 मीट्रिक टन के 4 लॉट में गेहूं को 3 जहाजों एमवी जैरन, एमवी अजरगौन और एमवी अर्ज़िन के माध्यम से गुजरात के कांदला बंदरगाह से ईरान के चाबहार बंदरगाह तक भेजा है। इस कार्य के निष्पादन में नेफेड को लगभग 2,35,03,792 रुपये का लाभ हुआ।

कांदला बंदरगाह, गुजरात में शिपमेंट के लिए कार्गो की पैकिंग और निरीक्षण कार्य

- **सरकार से सरकार (जी2जी) पहल के अंतर्गत सीएफआर आधार पर पोर्ट लुइस, मॉरीशस को 1000 मीट्रिक टन गैर-बासमती उबले चावल (05% टूटे हुए) का निर्यात**

एनएनएएफईडी ने सरकार से सरकार (जी2जी) व्यवस्था के अंतर्गत मॉरीशस गणराज्य को लंबे दाने वाले उबले चावल के निर्यात के लिए राज्य व्यापार निगम (एसटीसी), मॉरीशस के साथ दिनांक 05.09.2023 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

नेफेड ने पोत एमवी एमएससी ईएलएसए 3 के माध्यम से पोर्ट लुइस, मॉरीशस को 1000 मीट्रिक टन गैर-बासमती उबले चावल (05% टुकड़ा) की इस खेप का सफलतापूर्वक निष्पादन किया है। नेफेड ने इस कार्य के निष्पादन से लगभग 22,70,900/- रुपये अर्जित किए।

- **नेशनल को-ऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (एनसीईएल) की ओर से भूटान फूड कॉरपोरेशन लिमिटेड को 2080 मीट्रिक टन गैर-बासमती सफेद चावल की आपूर्ति**

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने अपनी दिनांक 30.08.2023 की अधिसूचना के अंतर्गत राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से भूटान (79000 मीट्रिक टन), मॉरीशस (14000 मीट्रिक टन) और सिंगापुर (50000 मीट्रिक टन) को गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात की अनुमति दी है।

एनसीईएल का प्रवर्तक सदस्य होने के कारण, नेफेड को भूटान खाद्य निगम लिमिटेड (एफसीबीएल) भूटान को गैर-बासमती सफेद चावल का निर्यात करने का कार्य सौंपा गया था, जो नजदीकी भारतीय सीमा शुल्क बंदरगाह जयगांव कस्टम, पश्चिम बंगाल के माध्यम से भूटान के फुंटशोलिंग तक सड़क मार्ग से किया जाएगा।

नेफेड ने सड़क मार्ग से 18 ट्रकों को फुंटशोलिंग भूटान तक भेजकर 2080 मीट्रिक टन की इस खेप को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इस कार्य के निष्पादन से नेफेड ने लगभग 28,27,590/- रुपये अर्जित किए।

विभिन्न देशों को चावल का निर्यात

अध्याय 11.7

खुदरा कारोबार

संक्षिप्त विहंगावलोकन

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नेफेड) ने अपने प्रचालन को और विस्तार देने एवं उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर किराने का सामान, चाय, तेल, मसाले इत्यादि जैसी दैनिक आवश्यकता वाली वस्तुवं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खुदरा कारोबार और उपभोक्ता विपणन प्रयास आरंभ किए। इन उत्पादों का विपणन 'नेफेड' ब्रांड के नाम से किया जाता है और नेफेड बाज़ार के नाम के आउटलेट्स के नेटवर्क के माध्यम से इन ब्रांडों की खुदरा बिक्री की जाती है। नेफेड इन स्टोरों की देखरेख करता है साथ ही कंपनी के स्वामित्व वाले आउटलेट्स और फ्रैंचाइज़ व्यवस्था दोनों का प्रबंधन भी करता है। हाल के वर्षों में पूरे भारत में नए स्टोर्स की स्थापना के साथ खुदरा कारोबार में नेफेड ने अपनी पहचान बनाई है।

इसके अलावा, खुदरा व्यापार प्रभाग निरंतर राज्य और केंद्र सरकार के कार्यक्रमों और प्रयासों के साथ सहयोग करता है, जैसे कि भारत सरकार द्वारा ओपन मार्केट सेल्स स्कीम (घरेलू) - नीति 2023 के अंतर्गत नेफेड के भारत आटा, भारत चावल और भारत दाल को देश भर में पेश करना ताकि देश भर में जिंस की कीमतों को नियंत्रित किया जा सके। यह वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय श्रीअन्न वर्ष (श्री अन्न) के अनुरूप श्रीअन्न और श्रीअन्न आधारित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न अभियानों का भी साक्षी है और फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) क्षेत्र में माइक्रो फूड प्रोसेसर को औपचारिक बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों (पीएमएफएमई) पहल में भी अपनी सहभागिता करता है, इस प्रकार अंतत- यह अभियान माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को आत्मसात करता है।

उपलब्ध उत्पाद श्रेणी का विवरण

क्र. सं.	मौजूदा नेफेड बाज़ार स्टोर की अवस्थिति
1	आश्रम चौक, नई दिल्ली
2	कृषि भवन, नई दिल्ली
3	न्यू मोती बाग क्लब, नई दिल्ली
4	मोहन को-ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एरिया, मथुरा रोड, नई दिल्ली
5	एलबीएसएनएए, मसूरी, उत्तराखंड
6	सेक्टर-5, पंचकूला, हरियाणा
7	एसएडी कॉम्प्लेक्स कसुम्पटी, शिमला, हिमाचल प्रदेश
8	जीटीबी अस्पताल, नई दिल्ली
9	रिटेल आउटलेट, फरीदाबाद (हरियाणा), आईओसीएल
10	कॉम्प्लेक्स, गुरूग्राम, हरियाणा, हिपा
11	दिल्ली पुलिस मुख्यालय, पुलिस कॉलोनी, नई दिल्ली
12	नाथूपुर, डीएलएफ फेज-3, सेक्टर-70, गुरुग्राम, हरियाणा
13	अहमदाबाद, गुजरात
14	लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन, नई दिल्ली।
15	दुकान नं. 3 और 4, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली
16	एफआरआई, देहरादून, उत्तराखंड
17	राष्ट्रीय नारियल बोर्ड, कॉम्प्लेक्स, कोच्चि, केरल
18	नीति भवन, नई दिल्ली (एक्सक्लूसिव मिलेट स्टोर)

नई पहलें

नया नेफेड बाज़ार स्टोर, देहरादून - 19 अप्रैल, 2023 को नेफेड ने नेफेड बाज़ार, एफआरआई देहरादून में अपना प्रमुख स्टोर का शुभारंभ किया, जिसमें किराना सामानों का अनेक विकल्प उपलब्ध हैं।

स्पोर्ट्स कैफे के लिए ब्रांडिंग – एलबीएसएनएए – नेफेड ने मसूरी में एलबीएसएनएए के परिसर में स्थित एक थीम वाले स्पोर्ट्स कैफे की ब्रांडिंग और डिजाइनिंग का काम आरंभ किया है। स्पोर्ट्स कैफे में श्रीअन्न वेंडिंग मशीन शामिल है और यह कैफे स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से नई और आकर्षक ब्रांडिंग, इंटरैक्टिव पोस्टर आदि के साथ डिजाइन किया गया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर टीम द्वारा एलबीएसएनएए, मसूरी में श्रीअन्न आधारित पाककला कार्यशाला का आयोजन भी किया गया।

भारत ब्रांड अनवील्स राइस, आटा और दाल

भारत चावल को आधिकारिक तौर पर 06 फरवरी, 2024 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर पेश किया गया, जिससे सभी के लिए गुणवत्ता और पहुंच सुनिश्चित हुई। माननीय केंद्रीय मंत्री, उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (सीए, एफएंडपीडी), श्री पीयूष गोयल ने लाभार्थियों को भारत चावल वितरित किया, जो देश भर के जनमानस के उत्थान के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता की झलक पेश करता है।

नेफेड ने 06 नवंबर, 2023 को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी), उपभोक्ता मामले मंत्रालय, भारत सरकार की देखरेख में ओपन मार्केट सेल स्कीम (ओएमएसएस) के हिस्से के रूप में प्रीमियम साबुत गेहूं का आटा 'भारत आटा' लॉन्च किया।

सरकार ने 17 जुलाई, 2023 को भारत दाल के नाम से खुदरा पैक में चना दाल की बिक्री 60 रुपये प्रति किलोग्राम की अत्यधिक रियायती दरों पर आरंभ की, जिसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर दालें उपलब्ध कराना है। नेफेड की भारत दाल खुदरा दुकानों और नेफेड की मोबाइल वैन के माध्यम से वितरित की जा रही है।

किफायती दरों पर राष्ट्रव्यापी प्याज की बिक्री – पूरे भारत में प्याज की ऊंची कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए, नेफेड ने पौष्टिक और बजट के अनुकूल प्याज 25 रुपये प्रति किलोग्राम की सस्ती कीमत पर बेचने की पहल की, जिसे नेफेड के उचित मूल्य मोबाइल वैन के माध्यम से देश भर में उपलब्ध कराया गया।

अध्याय 11.8

जूट

नेफेड समय पर बोरियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करता है। इन बोरियों की विभिन्न कृषि उत्पादों जैसे दलहन, तिलहन, प्याज, सरसों के बीज और अन्य जिंसों की पैकेजिंग में आवश्यकता पडती है। इन्हें विभिन्न राज्य विपणन संघों के माध्यम से मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) और मूल्य स्थिरीकरण निधि (पीएसएफ) के अंतर्गत खरीदा जाता है।

इन बोरियों की खरीद में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए खरीद प्रक्रिया खुली ई-निविदाओं के माध्यम से की जाती है। इस क्षेत्र में नेफेड के पास लगभग 25 वर्षों का अनुभव है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, नेफेड ने लगभग 40 अनुमोदित जूट मिलों के साथ सहयोग किया। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, नेफेड देश भर में जूट बैग का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है।

वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 (31 मार्च, 2024 तक) के दौरान नेफेड द्वारा बोरियों की आपूर्ति का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	टाट के बोरों के प्रकार	2023-24			2022-23			संभावित सेवा शुल्क (करोड़ रुपए में) जीएसटी सहित	
		आपूर्ति (गांठों में)	आपूर्ति (लाख नग में)	आपूर्ति की कीमत (करोड़ रुपये में)	आपूर्ति (गांठों में)	आपूर्ति (लाख नग में)	आपूर्ति की कीमत (करोड़ रुपये में)	2023-24	2022-23
1	ए-ट्विल 989 ग्राम	43,608	174.43	179.46	4857	19.42	18.88	2.09	0.19
2	एसबीटी 580 ग्राम	63,485	317.42	199.3	1,14,669	573.34	386.39	2.22	4.56
3	बी-ट्विल 704 ग्राम	3,305	16.52	11.22	-	-	-	0.13	-
4	एसबीटी 530 ग्राम	36,663	183.31	95.51	-	-	-	1.13	-
5	ए-ट्विल 775 ग्राम	11,406	57.03	41.31	-	-	-	0.69	-
6	हेसियन 260 ग्राम	-	-	-	2,884	28.84	11.78	-	0.13
7	हेसियन 625 ग्राम	-	-	-	800	4.00	3.64	-	0.04
8	बी-ट्विल 907 ग्राम	-	-	-	3,010	9.03	8.80	-	0.10
योग		**1,58,467**	**748.72**	**526.82**	**1,26,220**	**634.64**	**429.52**	**6.29**	**5.03**

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार, नेफेड ने देश भर में लगभग 158467 गांठें (748.72 लाख नग) जूट बैग की आपूर्ति की जिसका मूल्य लगभग 526.82 करोड़ रुपये था, जबकि 2022-23 में 1,26,220 गांठें (634.64 लाख नग) जूट बैग की आपूर्ति की गई, जिसका मूल्य लगभग 429.52 करोड़ रुपये था। संघ ने अधिक आपूर्ति और 2023-24 में प्रभावी सेवा शुल्क में पहले के 1% से 1.5% तक बदलाव के कारण वित्ती वर्ष 2023-24 में 2022-23 की तुलना में सेवा शुल्क (25% वृद्धि) में 1.26 करोड़ रुपये की वृद्धि हासिल की।

उपरोक्त बोरियों की आपूर्ति विभिन्न राज्य संघों जैसे राजफेड, एमपी-मार्कफेड, गुजकोमासोल, ओडिशा मार्कफेड, यूपीपीसीएफ, हैफेड, एएसएएमबी आदि को की गई। इस वर्ष, कोपरा की पैकिंग के लिए कर्नाटक राज्य सहकारी विपणन संघ को भी बी-ट्विल 704 ग्राम की बोरियों की आपूर्ति की गई।

वित्ती वर्ष 2023-24 के दौरान विभिन्न वस्तुओं की पैकिंग के लिए बोरियों की आपूर्ति का राज्यवार विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य	टाट के बोरों की आपूर्ति (गांठ में)		आपूर्ति की कीमत (करोड़ रुपये में)	संभावित सेवा शुल्क (करोड़ रुपए में) जीएसटी सहि
		आपूर्ति (गांठों में)	आपूर्ति (लाख नग में)		
1.	मध्य प्रदेश	78038	384.46	234.58	2.68
2.	राजस्थान	42341	189.06	157.11	1.85
3.	हरियाणा	14964	65.73	59.13	0.78
4.	गुजरात	9431	45	32.23	0.38
5.	महाराष्ट्र	4825	24.12	15.44	0.17
6.	ओडिशा	4078	16.38	12.98	0.22
7.	कर्नाटक	2575	12.87	8.58	0.10
8.	छत्तीसगढ़	2000	10	6.06	0.06
9.	उत्तर प्रदेश	80	0.40	0.26	0.003
10.	तेलांगाना	80	0.40	0.20	0.002
11.	असम	55	0.27	0.20	0.003
योग		**158467**	**748.72**	**526.82**	**6.29**

विभिन्न राज्य सरकारों/संघों को जूट बैग की आपूर्ति

बीज कारोबार

नेफेड कृषि और किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार की केंद्रीय बीज एजेंसियों में से एक है जो दलहन, तिलहन और अनाज के प्रमाणित बीज का उत्पादन एवं वितरण करता है। नेफेड केंद्रीय बीज एजेंसी होने के नाते राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) - दलहन/तिलहन योजना के अंतर्गत भारत सरकार के डीए और एफडब्ल्यू के लिए तिलहन और दलहन के प्रमाणित बीज का उत्पादन करती है। ये बीज भारत सरकार की बीज मिनीकिट वितरण योजना (दलहन और तिलहन) के अंतर्गत सीधे देश भर के किसानों को वितरित किए जाते हैं। इसके अलावा, नेफेड निविदाओं और सीधे आदेशों के माध्यम से सामान्य आपूर्ति के अंतर्गत राज्य सरकारों को प्रमाणित बीजों की अधिशेष मात्रा (डीए और एफडब्ल्यू की आवश्यकता को पूरा करने के उपरांत) की भी आपूर्ति करता है।

नेफेड के प्रमुख फसली बीजः

तिलहनः मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, अलसी, तिल, इत्यादि

दलहनःचना, मूंग, उड़द, मसूर, मटर, अरहर, इत्यादि

अनाजःगेहूं, धान, मक्का, जौ

सब्जियाँ: आलू, टमाटर, खीरा और सब्जी की अन्य सभी फसलें / बागवानी फसलें

चारा फसलें: बरसीम, जई, श्रीअन्न, ज्वार, चारा मक्का, जौ

प्रमाणित बीज का उत्पादन

बीज उत्पादन की प्रक्रिया में आम तौर पर तीन अलग-अलग पीढ़ियाँ सम्मिलित होती हैं: प्रजनक, मूल बीज और प्रमाणित बीज। प्रजनक से किसान तक पहुँचने वाली किस्म की गुणवत्ता और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए, नेफेड बीज गुणन प्रक्रिया के भीतर गुणवत्ता आश्वासन के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय करता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नेफेड अपने बीज नोडल अधिकारी और तकनीकी टीम नियुक्त करता है जो पूरे देश में बीज उत्पादन पहलों का क्षेत्रीय निरीक्षण करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बीज उत्पादन प्रक्रिया के दौरान किसानों द्वारा सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों का पालन किया जा रहा है। इसके अलावा, उत्पादित बीजों को निर्दिष्ट बीज मानकों को पूरा करने के लिए कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, नेफेड ने कृषि और किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार के माध्यम से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के प्रतिष्ठित संस्थानों से लगभग 118.08 क्विंटल प्रजनक बीज की खरीदी की। इन अधिग्रहीत प्रजनक बीजों को बाद में नेफड के पैनल में सूचीबद्ध बीज उत्पादकों द्वारा मूल बीज में मिलाया गया। इन मूल बीजों का उपयोग आगामी वित्त वर्ष 2024-25 में प्रमाणित बीजों के उत्पादन के उद्देश्य से किया जाएगा।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, नेफेड को भारत सरकार से वित्तीय सहायता के रूप में 21,337.51 लाख रुपये की प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त हुआ। यह राशि 4,06,650 क्विंटल प्रमाणित बीजों के उत्पादन के लिए आवंटित की गई थी, जिसमें विभिन्न प्रकार की फसलें जैसे दलहन, तिलहन, पोषक अनाज और चारा फसलें शामिल थीं और वित्तीय सहायता का 75% हिस्सा केवल नेफेड में पंजीकृत लाभार्थी किसानों के लिए था।

वर्ष 2023-24 के दौरान भारत सरकार द्वारा नेफेड को दिए गए बीज उत्पादन लक्ष्य का मौसमवार और योजनावार आवंटन इस प्रकार है:

(भौतिक = मात्रा, वित्तीय = मूल्य लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना	खरीफ 2023-24		रबी 2023-24		ग्रीष्मकालीन 2023-24		कुल 2023-24	
		आबंटित लक्ष्य		आबंटित लक्ष्य		आबंटित लक्ष्य		आबंटित लक्ष्य	
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	एनएफएसएम-दलहन, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार	104500	5225	147300	7365	44300	2215	296100	14805
2	एनएफएसएम-तिलहन, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार	28900	733	23000	575	-	-	51900	1308
3	एनएफएसएम-पोषक अनाज, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार	3200	96	-	-	-	-	3200	96
4	एनएलएम-चारा बीज , पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मत्सय पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार	55450	5128.513	-	-	-	-	55450	5128.513
	योग	**192050**	**11182.513**	**170300**	**7940**	**44300**	**2215**	**406650**	**21337.513**

नेफेड ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और पंजाब जैसे राज्यों में ऊपर बताए गए बीज उत्पादन कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह पहल इन राज्यों के बीज उत्पादक किसानों के लिए अत्यंत फायदेमंद साबित हुई है।

बीज अवसंरचना सुविधाओं को बढ़ाने के प्रयास में, नेफेड ने देवास, मध्य प्रदेश में 5टीपीएच की क्षमता वाला एक नया बीज प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया है। यह उपलब्धि "बीज अवसंरचना सुविधाओं के निर्माण" योजना के अंतर्गत कृषि और किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार से प्राप्त अनुदान के माध्यम से संभव हुई है, जो कि "बीज और रोपण सामग्री पर उप मिशन" पहल का एक घटक है।.

नेफेड प्रमाणित बीज की आपूर्ति

नेफेड द्वारा विभिन्न पहलों, विशेष रूप से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के माध्यम से उत्पादित प्रमाणित बीजों को मुख्य रूप से राज्य कृषि विभागों को "बीज मिनीकिट" के रूप में वितरित किया जाता है। यह वितरण डीए एंड एफडब्ल्यू, भारत सरकार द्वारा स्थापित लक्ष्यों का पालन करता है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में, नेफेड ने कई राज्यों में दलहन और तिलहन फसलों के लिए 2291.22 लाख रुपये के लगभग 22,124.60 कुंतल बीज मिनीकिट प्रभावी रूप से वितरित किए। इन राज्यों में बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर और पंजाब शामिल हैं।

निम्नलिखित तालिका वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान फसलों के आधार पर वर्गीकृत नेफेड द्वारा प्रदान किए गए बीज मिनीकिट का संक्षिप्त झलक प्रस्तुत करती है:

क्र. सं.	राज्य	योजना	फसल	बीज मिनीकिट लक्ष्य (कुंतल में)	बीज मिनीकिट आपूर्ति (कुंतल में)
1	हरियाणा	एनएफएसएम-दलहन	अरहर	200.00	193.88
2	पंजाब	एनएफएसएम-दलहन	अरहर	200.00	200.00
3	राजस्थान	एनएफएसएम-दलहन	अरहर	500.00	499.20
		एनएफएसएम-दलहन	उड़द	400.00	394.80
		एनएफएसएम-दलहन	मसूर	2800.00	2071.44
4	उत्तर प्रदेश	एनएफएसएम-दलहन	अरहर	3201.00	926.92
		एनएफएसएम-दलहन	उड़द	2500.00	1033.16
		एनएफएसएम-दलहन	मसूर	4400.00	2984.56
5	जम्मू एवं कश्मीर	एनएफएसएम-दलहन	उड़द	600.00	600.00
6	मध्य प्रदेश	एनएफएसएम-दलहन	उड़द	6000.00	3744.00
		एनएफएसएम-दलहन	मसूर	5800.00	5800.00
		एनएफएसएम-तिलहन	सोयाबीन	2590.00	2300.80
7	बिहार	एनएफएसएम-तिलहन	सोयाबीन	250.00	250.00
		एनएफएसएम-दलहन	मसूर	706.00	625.84
8	छत्तीसगढ़	एनएफएसएम-दलहन	मसूर	500.00	500.00
9	पश्चिम बंगाल	एनएफएसएम-दलहन	मसूर	2000.00	0.00
योग				**32647.00**	**22124.60**

नेफेड बीज मनीकटि

फसल-अरहर, किट का आकार- 4 किग्रा

फसल-उड़द, किट का आकार- 4 किग्रा

बीज मिनीकिट के माध्यम से प्रमाणित बीज की आपूर्ति के अलावा, नेफेड राज्य योजनाओं के भीतर मांग के आधार पर राज्य कृषि विभागों को सीधे शेष बीज स्टॉक भी प्रदान करता है। वित्त वर्ष 2023-24 में, नेफेड ने राजस्थान को गेहूं के लिए लगभग 2962.4 क्विंटल प्रमाणित बीज की आपूर्ति की।

सब्जी के बीज की आपूर्ति

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, नेफेड ने एमआईडीएच, एनएचएम, राष्ट्रीय आयुष मिशन आदि राज्य योजनाओं के तहत बिहार, ओडिशा और जम्मू (केन्द्र शासित प्रदेश) राज्यों को 1928.96 लाख रुपये के 52627.75 कुंतल सब्जियों के बीज (ओपी/हाइब्रिड/टीएल) की आपूर्ति की।

अध्याय - 11.10

जैव उर्वरक

जैव उर्वरकों में जीवित या सुप्त सूक्ष्मजीव होते हैं जिनमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने, अनुपलब्ध फॉस्फेट को घुलनशील बनाने और कृषि अपशिष्ट को प्रभावी ढंग से विघटित करने की अनूठी क्षमता होती है। वर्ष 1984-85 में, नेफेड ने इंदौर, मध्य प्रदेश में अपनी पहली जैव-उर्वरक उत्पादन इकाई स्थापित की और जैव उर्वरक के क्षेत्र में कदम रखा। इस इकाई की वार्षिक क्षमता 450 मीट्रिक टन है।

क्षमता उपयोग, गुणवत्ता नियंत्रण, विस्तार और इस अत्यंत उपयोगी जैव प्रौद्योगिकी के संवर्धन के संदर्भ में नेफेड जैव उर्वरकों के निष्पादन को राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (भारत सरकार) ने अभी तक 11 बार प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ कार्य निष्पादन पुरस्कार देकर विधिवत मान्यता दी।

नेफेड के जैव-उर्वरक ब्रांड उर्वरकों के कारोबार में गलाकाट प्रतिस्पर्धा के बावजूद किसानों के बीच अत्यंत लोकप्रिय है। देश भर में कृषि परिणामों को और बेहतर बनाने के लिए, नेफेड ने तरल जैव-उर्वरकों के उत्पादन और वितरण के क्षेत्र में कदम रखा है। ये उत्पाद फसल उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

नेफेड की शोध एवं विकास टीम के अनवरत प्रयासों से निम्नलिखित उत्पाद श्रृंखला का उत्पादन किया जो नेफेड ब्रांड के नाम से बेची जा रही है।

- फलीदार फसलों के लिए नेफेड राइजोबियम
- अनाज, श्रीअन्न, सब्जियों और अन्य बागवानी फसलों के लिए नेफेड राइजोबियम एज़ोटोबैक्टर
- सभी फसलों के लिए नेफेड पीएसबी
- जैविक कचरे के अपघटन के लिए नेफेड कम्पोस्टिंग कल्चर
- सभी फसलों के लिए नेफेड ट्राइकोडर्मा विराइड बायो फंजीसाइडस

नेफेड का लक्ष्य इंदौर में एनएसबीडी (राष्ट्रीय बीज प्रभाग) में नवीनीकरण कार्य आरंभ करना है, साथ ही नए उत्पादों को पेश करके जैव-उर्वरक उत्पादन सुविधाएं बढ़ाने की भी योजना है। इन प्रयासों का मुख्य उद्देश्य नेफेड की इन-हाउस निर्मित उत्पादों के दायरे का विस्तार करना है ताकि उनके व्यवसायिक प्रयासों में निरंतर वृद्धि को बढ़ावा मिले।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में, जैव-उर्वरक श्रेणी में जैव-उर्वरक इकाई, इंदौर ने 14.13 लाख रुपये का सकल लाभ के साथ 41.56 लाख रुपये का कारोबार किया। इसी अवधि में, बायो-एग्री इनपुट में लगभग 10.22 लाख रुपये का सकल लाभ के साथ 2.14 करोड़ रुपये का कारोबार किया।

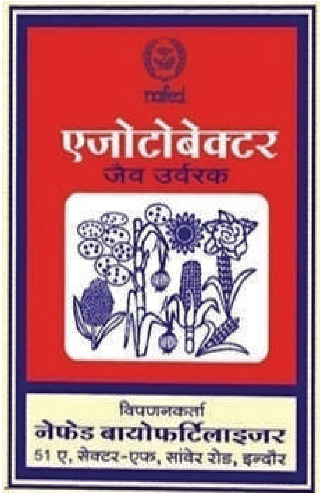

नाइट्रोजन अनुपूरण

तरल जैव-उर्वरक

मक्का

माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने दिनांक 04.09.2023 एवं दिनांक 21.10.2023 को अपनी अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान, नेफेड तथा एनसीसीएफ को प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) के माध्यम से किसानों से सीधे न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर मक्का खरीदने के लिए डिस्टिलरी के साथ संविदा करने का निदेश दिया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018 के अनुसार, इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2025-26 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को हासिल करना है।

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) द्वारा 13 फरवरी, 2024 को संयुक्त रूप से एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई, जिसमें मक्का की बिक्री के लिए नेफेड (आपूर्तिकर्ता) और डिस्टिलर्स (खरीदार) के बीच हस्ताक्षरित होने वाले आपूर्ति अनुबंध की रूपरेखा दी गई। एसओपी के अनुसार, नेफेड को किसानों से सीधे 2090 रुपये प्रति कुंतल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर मक्का खरीदने और डिस्टिलर्स को 2291 रुपये प्रति कुंतल की दर से आपूर्ति करने का निदेश दिया गया है।

नेफेड ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में खरीद केंद्र खोले और महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और पंजाब में 154 पैक्स/एफपीओ/सोसायटियों चिन्हित किए। तथापि, चूंकि मक्का की दरें एमएसपी से ऊपर चल रही थीं, इसलिए एमएसपी पर खरीदी नहीं की जा सकी।

नेफेड ने 22 से अधिक डिस्टिलरों से उनकी मक्का की मांग का पता लगाने के लिए संपर्क किया और चालू ईएसवाई के दौरान मक्का की आपूर्ति के लिए उनके साथ संविदा का निष्पादन किया।

जैविक कृषि

जैविक खेती टिकाऊ कृषि पद्धति है जिसमें पारिस्थितिकी के अनुकूल कीट नियंत्रण का उपयोग किया जाता है और इसमें मुख्य रूप से पौधों और जानवरों के अवशेषों से प्राप्त जैविक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, साथ ही नाइट्रोजन-फिक्सिंग कवर फसलों का भी उपयोग किया जाता है। इसकी परिकल्पना पारंपरिक खेती में रासायनिक कीटनाशकों और सिंथेटिक उर्वरकों के कारण होने वाले पर्यावरणीय हानि को देखते हुए हुई है, जो कई पारिस्थितिक लाभ प्रदान करता है।

पारंपरिक कृषि की तुलना में, जैविक खेती मिट्टी के कटाव को कम करती है, भूजल और सतही जल में नाइट्रेट रिसाव को कम करती है, और पशु अपशिष्ट को खेत के पारिस्थितिकी तंत्र में उसे पुनचक्रित करती है। फिर भी, ये लाभ उच्च उपभोक्ता खाद्य लागत और आम तौर पर कम पैदावार के साथ आते हैं। जैविक फसल की पैदावार आम तौर पर पारंपरिक रूप से उगाई गई फसलों की तुलना में लगभग 25% कम होती है, हालांकि यह फसल के प्रकार के आधार पर ये काफी भिन्न हो सकती है। जैविक कृषि के लिए आगामी चुनौती इसकी पर्यावरणीय खूबियों को संरक्षित करना, पैदावार बढ़ाना और कीमतें कम करना है, साथ ही जलवायु परिवर्तन और बढ़ती वैश्विक आबादी द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करना है।

नेफेड जैविक खेती के लिए सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में सक्रिय रूप से लगा हुआ है, इसका मुख्य उद्देश्य टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने में योगदान देना है। जैविक खेती और इसके प्रमाणन में 15 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ, नेफेड ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और मणिपुर जैसे राज्यों में काम किया है। संगठन ने पीकेवीवाई, आरकेवीवाई, एमआईडीएच (एनएचएम), और एमओवीसीडीएनईआर जैसी योजनाओं के अंतर्गत 50,500 हेक्टेयर से अधिक संयुक्त भूमि क्षेत्र को कवर किया है जैसा कि नीचे इसका विस्तार से उल्लेख किया गया है:

वर्ष 2023-2024 में क्रियान्वित जैविक खेती परियोजनाएं:

1. ओडिशा में एमआईडीएच (एनएचएम) के अंतर्गत जैविक खेती को अपनाने और प्रमाणित करने की परियोजना, रायगढ़ और नयागढ़ जिलों में 400 हेक्टेयर को कवर करती है, जिसे वर्ष 2022-23 में सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त, कोरापुट और रायगढ़ में 800 हेक्टेयर में भी परियोजनाएँ लागू की गईं, जो वर्ष 2021-22 में नेफेड को प्रदान की गई थी।

2. मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी (एमओएमए) ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट एमओवीसीडीएनईआर चरण III के अंतर्गत वित्त वर्ष 2020-21 से मणिपुर में उत्पादक समूह/किसान उत्पादक कंपनी के लिए ऑर्गेनिक प्रमाणीकरण के कार्यान्वयन का कार्य नेफेड को सौंपा एमओवीसीडीएनईआर परियोजना के अंतर्गत नेफेड और आईएसएपी इंडिया फाउंडेशन के कंसोर्टियम को 9 मार्च 2021 को बढ़ावा देने के लिए मंजूरी दी गई थी। यह परियोजना 1800 हेक्टेयर में चल रही है।

परियोजना कार्यान्वयन की झलकियाँ

जलवायु अनुकूल पहल (सीआरआई)

नेफेड ने कृषि और नगरपालिका के कचरे का उपयोग करके जैव संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) के उत्पादन के पर्यावरण के प्रति जागरूक उद्योग में कदम बढ़ाया है। संगठन का मुख्य उद्देश्य अधिक पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ भविष्य में योगदान देना और पूरे भारत में जैव ईंधन संयंत्रों की स्थापना करके "स्वच्छ भारत" पहल का समर्थन करना है।

नेफेड को श्रीनगर में जैव सीबीजी/जैविक खाद संयंत्र स्थापित करने के लिए जम्मू-कश्मीर झील और जलमार्ग विकास प्राधिकरण की परियोजना से सम्मानित किया गया था। 17 सितंबर, 2021 को नेफेड ने श्रीनगर में जैव सीबीजी/जैविक खाद संयंत्र के निर्माण के लिए जम्मू-कश्मीर झील और जलमार्ग विकास प्राधिकरण के साथ एक औपचारिक समझौता किया। माननीय प्रधान मंत्री ने 8 मार्च 2024 को इस परियोजना का ई-उद्घाटन किया, नव उद्घाटन संयंत्र 70,000 टन झील के कचरे, विशेष रूप से खरपतवार और लिली को सालाना 24,000 टन जैविक खाद और संबद्ध उत्पादों में परिवर्तित करेगा। डल झील में जल लिली और खरपतवार की समस्या को पहचानते हुए, जो नाव के रास्तों में बाधा डालती है और परिणामस्वरूप पर्यटन और स्थानीय आजीविका को प्रभावित करती है, भागीदारों ने यह समाधान तैयार किया।

जम्मू नगर निगम (जेएमसी) के सहयोग से नेफेड कोट-भलवाल, जम्मू में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (आईएसडब्लूएम) परियोजना स्थापित कर रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य जम्मू क्षेत्र में 350 टन की दैनिक प्रसंस्करण क्षमता वाले बायो कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) संयंत्र की स्थापना करना है। वर्तमान में, परियोजना निर्माण चरण में है और जनवरी 2025 तक चालू होने की उम्मीद है।

अहमदाबाद में 500 टन प्रतिदिन की क्षमता वाले बायो सीबीजी संयत्र की स्थापना के लिए अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) की एक और परियोजना नेफेड को सौंपी गई है। परियोजना अभी निर्माण चरण में है।

नेफेड ने जैव ईंधन परियोजनाओं की स्थापना पर सहयोग करने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इन परियोजनाओं में संपीड़ित जैव-गैस (सीबीजी), इथेनॉल और बायोडीजल का उत्पादन, साथ ही संयंत्रों के लिए कच्चे माल की खरीद और परिणामी उत्पादों का विपणन शामिल है, जिसमें सीबीजी, किण्वित जैविक खाद (एफओएम), तरल किण्वित जैविक खाद (एलएफओएम), और सूखे डिस्टिलर ग्रेन विद सॉल्यूबल्स (डीडीजीएस) सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, इस सहयोग में पशु चारा और बेहतर खाद जैसे विभिन्न उत्पादों के लिए प्रसंस्करण के बाद की सुविधाओं और मूल्य संवर्धन का निर्माण शामिल है।

अध्याय - 11.14

किसानों तक पहुंच और सुविधा (एफओएफ)

10,000 किसान उत्पादक संगठनों के गठन और संवर्धन के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन:

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन एवं संवर्धन के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत एफपीओ के गठन एवं संवर्धन के लिए नेफेड को चौथी राष्ट्रीय स्तर की कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया है। नेफेड इस परियोजना का क्रियान्वयन कर रहा है और देश भर में एफपीओ को बढ़ावा देने के कार्य में जुटा हुआ है। नेफेड को कुल 1189 एफपीओ के गठन एवं संवर्धन का कार्य सौंपा गया है, अर्थात वित्त वर्ष 2020-21 में 246 एफपीओ, वित्त वर्ष 2021-22 में 310 एफपीओ, वित्त वर्ष 2022-23 में 611 एफपीओ और वित्त वर्ष 2024-25 में 22 एफपीओ। ये एफपीओ विभिन्न श्रेणियों जैसे जैविक, तिलहन, प्राकृतिक खेती, कृषि वानिकी, बांस, शहद और ब्लॉकवार बनाए जा रहे हैं।

अब तक, नेफेड ने 28 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 1109 एफपीओ को पंजीकृत किया है, जिसमें 2023-24 के दौरान 451 एफपीओ पंजीकृत किए गए। कुल पंजीकृत एफपीओ में से, अधिकांश एफपीओ ने अपनी इनपुट और आउटपुट व्यावसायिक गतिविधियाँ शुरू कर दी हैं, उनमें से कई ने अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया है जैसे कि कार्यशील पूंजी, बुनियादी ढाँचे की स्थापना (प्रसंस्करण इकाइयाँ, बीज प्रसंस्करण इकाई, पैकहाउस, कोल्ड स्टोर और संग्रह केंद्र आदि), व्यवसाय विस्तार आदि। इसके अलावा, कुछ एफपीओ ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं जैसे कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) और एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) आदि के अभिसरण के माध्यम से अनुदान का लाभ भी उठाया है।

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) की केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत मत्स्यपालक किसान उत्पादक संगठनों का गठन एवं संवर्धन:

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत देश के पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्रों में 50 नए मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों (एफएफपीओ) के गठन और 500 मौजूदा प्राथमिक मत्स्य सहकारी समितियों के पुनरुद्धार के लिए नेफेड को चौथी राष्ट्रीय स्तर की कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य विभाग द्वारा नेफेड को 50 नए एफएफपीओ के गठन और 500 मौजूदा मत्स्य सहकारी समितियों के पुनरुद्धार के लिए प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। अब तक 41 मछली एफपीओ पंजीकृत किए गए हैं। कुल पंजीकृत एफपीओ और सहकारी समितियों में से कुछ समितियों ने अपनी व्यावसायिक गतिविधियाँ आरंभ कर दी हैं।

राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम) के अंतर्गत शहद प्रशिक्षण:

राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम) के अंतर्गत नेफेड ने विभिन्न राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड में 40 एफपीओ के लिए 40 प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए हैं, जिसमें 1000 मधुमक्खी पालकों को प्रशिक्षित किया गया।

उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (यूपीएसआरएलएम) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन

नेफेड ने पैनलबद्ध कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से एसएचजी और एफपीओ सदस्यों के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण गतिविधियों में भी कदम रखा है। वर्ष2023-24 के दौरान, नेफेड को यूपीएसआरएलएम से वित्तीय प्रबंधन और लखपति महिला कार्यक्रम पर विभिन्न सामुदायिक संवर्गों के तहत 74,460 लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कार्य आवंटित किया गया है, जिसका कार्यान्वयन अभी चल रहा है।

अध्याय - 11.15

सहकारी विकास

सहकारिता आंदोलन को सुदृढ बनाने के लिए, सहकारिता मंत्रालय ने 48 प्रमुख पहल की हैं, जिनके माध्यम से सभी सहकारी समितियों को अपने आर्थिक विकास और विस्तार के लिए नई संभावनाएं मिल रही हैं। सहकारिता मंत्रालय की पहल के उद्देश्यों को साकार करने के लिए, नेफेड ने 200 से अधिक समितियों को अपनाया है और उन्हें मंत्रालय की पहल से जोड़कर मॉडल सहकारी समितियों के रूप में विकसित करने का इरादा रखता है। इसके अनुसरण में, सहकारी विकास प्रभाग ने 229 पीएसी की सूची की पहचान की है और पहचान की गई पैक्स को मॉडल पैक्स में विकसित करने की रणनीति को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया आरभ कर दी है।

अध्याय - 11.16

संपत्ति और औद्योगिक इकाइयाँ

- नेफेड के पास समूचे भारत में भूमि, भूखंड, आवासीय परिसर, कार्यालय परिसर, गोदाम, शीत गृह और औद्योगिक इकाइयों के रूप में कुल 70 संपत्तियां हैं। आईयू और संपत्ति प्रभाग इन संपत्तियों की खरीद, बिक्री, नए निर्माण, मरम्मत/नवीनीकरण, किराए पर देने और रखरखाव का काम देखता है। नेफेड की संपत्तियों का प्रबंधन संपत्ति प्रभाग और औद्योगिक इकाई प्रभाग करते हैं। संपत्ति प्रभाग खाली संपत्तियों को किराए पर देने के लिए शाखाओं के साथ समन्वय करके कार्यालय परिसर, आवासीय परिसर, दुकानें और छोटे गोदामों का प्रबंधन करता है और नेफेड की संपत्तियों की खरीद और बिक्री की प्रक्रिया आरंभ करता है।
- नेफेड वर्तमान में अपने अधिशेष परिसरों का मुद्रीकरण करके और नेफेड के स्वामित्व वाली अप्रयुक्त भूमि/भूखंडों और गोदामों पर एक नई संपत्ति स्थापित करके राजस्व उत्पन्न करने की रणनीति बना रहा है। हाल ही में, नेफेड की सभी संपत्तियों का विस्तृत मूल्यांकन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप एक लेनदेन सलाहकार की नियुक्ति की गई, जो नेफेड को इन संपत्तियों से राजस्व सृजन बढ़ाने के सबसे प्रभावी तरीकों पर सलाह प्रदान करेगा, जो कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं में सलाहकारों को शामिल करने के लिए वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) द्वारा उल्लिखित सामान्य मॉडल का अनुसरण में हो।
- नेफेड किसानों को भंडारण की कई सुविधाएं भी प्रदान करता है। नेफेड के पास वर्तमान में देश भर अर्थात महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और केरल में 76,692 मीट्रिक टन कुल भंडारण क्षमता है।
- नेफेड वर्तमान में मध्य प्रदेश में प्याज भंडारण सुविधाओं के निर्माण के अंतिम चरण में है, जिसकी कुल क्षमता 9000 मीट्रिक टन और प्याज की क्षमता 1500 मीट्रिक टन है। इसके अलावा, नेफेड के पास महाराष्ट्र में अपना स्वयं का प्याज भंडारण ढांचा है, जिसकी क्षमता 4500 मीट्रिक टन है।

वाशी, नवी मुंबई में शीत गृह परियोजनाएं: -

नवी मुंबई में वाशी भूखंडों को 2400 मीट्रिक टन और 3000 मीट्रिक टन क्षमता वाले शीत गृह परियोजनाओं के विकास के लिए बीओटी आधार पर प्रदान किया गया है, जिसमें आरकेवीवाई अनुदान से वित्तीय सहायता भी सम्मिलित है। 2400 मीट्रिक टन की शीत गृह परियोजना सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है, जबकि 3000 मीट्रिक टन क्षमता वाले शीतगृह का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसे मार्च 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा।

वर्ष 2023-24 में क्षेत्रवार किराया आय इस प्रकार है:

क्र. सं.	जोन	वित्त वर्ष 2023-24 के लिए किराया आय (राशि करोड़ रुपये में)
1	उत्तरी जोन	4.40
2	पश्चिमी जोन	2.56
3	पूर्वी जोन	0.05
4	दक्षिणी जोन	1.14
	वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान किराये वाली सभी संपत्तियों से सृजित किराया आय	**8.15 करोड़**

अध्याय 12

विधिक एवं टाई-अप

नेफेड के सभी प्रभागों और शाखाओं को सक्रिय रूप से विधिक सहायता प्रदान की जा रही है। यह प्रभाग पैनल में सूचीबद्ध अधिवक्ताओं और विधि फर्मों, प्रधान कार्यालय के सभी प्रभागों एवं शाखाओं के साथ गहन समन्वय स्थापित करते हुए सभी लंबित टाई-अप व कानूनी मामलों की बारीकी से निगरानी कर रहा है।

वर्ष के दौरान टाई-अप और विधि प्रभाग के कार्य निष्पादन एवं कार्य निष्पादन से संबद्ध सकारात्मक परिणाम नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किए गए हैं:

- टाई-अप चूककर्ता मेसर्स शिवानंद प्रोजेक्ट्स, हैदराबाद के साथ वर्ष 2022-23 के दौरान किया गया एकमुश्त निपटान अब रिपोर्टिंग अवधि के दौरान संपन्न हो गया है।
- टाई-अप कारोबार के बदले पक्षकार द्वारा की गई चूक के संबंध में नेफेड के पक्ष में और दिशा इम्पेक्स लिमिटेड के विरुद्ध 7,41,72,068/- रुपये की राशि के साथ 10% ब्याज का मध्यस्थता आदेश पारित किया गया है।
- नेफेड द्वारा टाई-अप चूककर्ता जेनिथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में दिवाला कार्यवाही राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, कटक की देखरेख में चल रही है।
- विधिक प्रभाग द्वारा रजिस्ट्री संख्या का संकलन कार्य और जारी करने का कार्य व्यावसायिक परिपत्र संख्या 142 और आगे के दिनांक 21.12.2020 के कार्यालय ज्ञापन के अनुपालन में किया जा रहा है। मार्च 2023 तक केंद्रीय रजिस्ट्री के पास जमा सभी मूल करारों/संविदाओं के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया रिपोर्टिंग वर्ष में पूरी कर ली गई है।

अध्याय- 13

जनसंपर्क

जनसंपर्क प्रभाग

जनसंपर्क प्रभाग जनता, सरकारी एजेंसियों, किसानों और अन्य संबंधित हितधारकों तक पहुंच बढाने में संचार चैनलों को प्रभावी ढंग से उपयोग करते हुए निरंतर नेफेड के मिशन और उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपने कार्यनीतिक संचार प्रयासों के माध्यम से, जनसंपर्क प्रभाग आम लोगों के बीच विश्वास, पारदर्शिता और उनसे जुड़ने का कार्य देता है, जिससे कृषि क्षेत्र में नेफेड का प्रभाव और उसकी प्रतिष्ठा मजबूत होती है। वर्ष के दौरान, नेफेड अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अनेक पहल करता है, जिन्हें जनसंपर्क प्रभाग के कार्यनीतिक संचार प्रयासों से प्रभावी संबल मिलता है। नेफेड कुछ प्रमुख पहलों में कुछ पहलें इस प्रकार हैं –

ऑडियो-विजुअल मीडिया

- नेफेड के विभिन्न कारोबारी क्षेत्र यथा दलहन, प्याज, पीएमजीकेएवाई इत्यादि किसान समर्थक और उपभोक्ता समर्थक गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए लघु फिल्मों का निर्माण।
- डीडी न्यूज, ऑल इंडिया रेडियो एवं अन्य प्लेटफार्मों पर समय-समय पर नेफेड की सफलता की कहानियां के मीडिया कवरेज की व्यवस्था।

प्रिंट मीडिया

- वार्षिक रिपोर्ट, डायरी एवं कैलेंडरों की डिजाइनिंग, उसका मुद्रण और वितरण।
- नेफेड की कारोबारी क्रियाकलापों एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए न्यूजलैटर का प्रकाशन।
- प्रमुख मीडिया प्लेटफार्मों पर नेफेड की सफलता की कहानियों और नए उद्यमों का प्रकाशन।
- समाचार पत्रों में आवश्यकता के अनुसार विज्ञापन एवं निविदा सूचना का प्रकाशन।

पब्लिसिटी एवं सोशल मीडिया

- भारतीय सहकारी, एग्रीकल्चर टुडे जैसे वेब पोर्टलों में बैनर विज्ञापन, न्यूजलैटर और सफलता की कहानियों को होस्ट करना।
- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सक्रिय ऑनलाइन उपस्थिति।
- जनता और हितधारकों को अपनी ओर आकर्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण उपलपब्धि, उत्पाद की लांचिंग, कार्यक्रम, कंपनी की ब्रांडिंग और महत्वपूर्ण गतिविधियों के बारे में नियमित पोस्ट।

वार्षिक आम बैठक (एजीएम) संबंधी

स्थानीय मीडिया और समाचार चैनलों में नेफेड की वार्षिक आम निकाय बैठक का प्रचार और मीडिया कवरेज की व्यवस्था।

कार्यक्रमों में सहभागिता

प्रभाग देश भर में विभिन्न प्रतिष्ठित कार्यक्रमों में नेफेड की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख स्थानों पर स्टॉल लगाकर और संघ की ब्रांडिंग करता है।

वर्ष 2023- 2024 के दौरान कार्यक्रम में सहभागिता

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह ने नेफेड को कृषि विकास में अग्रणी भूमिका निभाने के प्रति प्रेरित किया:

24 अगस्त, 2023 को नई दिल्ली स्थित भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नेफेड) के मुख्यालय में एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षण आया, जब माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने देश भर में सहकारी पहलों को समर्थन देने पर उपयोगी चर्चा करने के उद्देश्य से संघ का दौरा किया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान, श्री अमित शाह ने नेफेड के निदेशक मंडल के साथ गहनतापूर्वक परिचर्चा की, नेफेड के वर्तमान क्रियाकलापों की समीक्षा की और सभी सदस्यों को कृषि क्षेत्र के विकास के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य और नवीन रणनीति अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। नेफेड के जनसंपर्क प्रभाग ने इस कार्यक्रम के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यह बताया कि कृषि विकास के लिए नेफेड की प्रतिबद्धता मीडिया, हितधारकों और जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाई गई है। रणनीतिक मीडिया संबंधों, प्रेस विज्ञप्तियों और कार्यक्रम प्रबंधन के माध्यम से, जनसंपर्क प्रभाग ने कार्यक्रम का महत्व

बढ़ाया, किसानों का समर्थन करने और भारत में कृषि की प्रगति को आगे बढ़ाने में नेफेड की दृढ़ इच्छाशक्ति और समर्पण की झलक प्रस्तुत की।

माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह नेफेड मुख्यालय, नई दिल्ली का दौरा करते हुए

माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा नेफैड की "ई-समृद्धि" पोर्टल का शुभारंभ:

4 जनवरी, 2024 को नई दिल्ली में आयोजित 'दलहन में आत्मनिर्भरता' विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन में, नेफेड ने अपने "ई-समृद्धि" पोर्टल के सफल शुभारंभ के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। यह व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म किसानों को कृषि प्रणाली से जोड़ने में आमूलचूल परिर्वतन लाते हुए स्व-पंजीकरण, खरीद और भुगतान प्रक्रियाओं को सरल बनाता है। माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के कर कमलों से लांच किया गया यह पोर्टल दलहन खरीद में पारदर्शिता और दक्षता की दिशा में एक आदर्श बदलाव लाएगा। इस कार्यक्रम का नेफेड और सहकारिता मंत्रालय के विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से सीधा प्रसारण किया गया और 2 लाख से अधिक लोगों ने इस प्रसारण को देखा। पूरे कार्यक्रम के दौरान दर्शकों को जानकारियों से अवगत कराने और जुड़े रखने के लिए लगातार सोशल मीडिया अपडेट प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम के पारंपरिक और डिजिटल चैनलों पर व्यापक प्रचार प्रयासों ने "ई-समृद्धि" पोर्टल लॉन्च का महत्व बढ़ाया, कृषि पद्धतियों में क्रांति लाने और देश भर में किसानों को सशक्त बनाने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला गया।

गणमान्य व्यक्ति औपचारिक रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्‌घाटन करते हुए

नाफेड के पूर्व प्रबंध निदेशक श्री रितेश चौहान आईएएस कार्यक्रम में उपस्थिति व्यक्तियों को संबोधित करते हुए

माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह तूअर दाल खरीद के लिए नेफेड

के ई-समृद्धि पोर्टल का शुभारंभ करते हुए

माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों एवं किसानों को संबोधित करते हुए

दालहन 2024 सम्मेलन:

नेफेड ने 14 से 17 फरवरी, 2024 तक नई दिल्ली के ताज पैलेस होटल में वैश्विक दलहन संघ के साथ मिलकर ददलहन 2024 सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों से लेकर उपभोक्ताओं तक, दलहन उद्योग के हितधारकों को समर्थन करना और उन्हें बढ़ावा देना था, जिसका उद्देश्य विश्व भर में दलहन के उत्पादन को बढ़ाना था। केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्री श्री पीयूष गोयल, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री अर्जुन मुंडा और नेफेड के प्रतिनिधि सहित प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की भूमिका और खाद्य आत्मनिर्भरता की दिशा में देश की यात्रा पर अपने विचार साझा किए। इस सम्मेलन के अनुभव को बढ़ाने के प्रति, नवीन उत्पादों और प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने वाले विभिन्न स्टॉल लगाए गए, जिससे उपस्थित लोगों को दलहन के उत्पादन और प्रसंस्करण में नवीनतम प्रगति के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिली। होर्डिंग्स और ब्रांडिंग सामग्रियों ने आयोजन स्थल अपनी छता बिखेरी, जिससे एक जीवंत और आकर्षक माहौल बना। इसके अतिरिक्त, सोशल मीडिया पर कार्यक्रम के बारे में वास्तविक समय में लगातार अपडेट में साझा किए गए, जिससे प्रतिभागियों को मुख्य भाषणों, पैनल परिचर्चाओं और नेटवर्किंग सत्रों के बारे में अपडेट रहने में मदद मिली, जिससे सम्मेलन के प्रभाव और पहुंच को और बढ़ाने का काम किया।

पूर्व केंद्रीय मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, श्री अर्जुन मुंडा और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपभोक्ता मामले, श्री पीयूष गोयल अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए

श्री रितेश चौहान आईएएस, पूर्व प्रबंध निदेशक, नेफेड दलहन किसानों के लिए हाल ही में आरंभ किए गए ई-समृद्धि पोर्टल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए

पूर्व केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्री श्री पीयूष गोयल देश की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा की रक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालते हुए

पूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री अर्जुन मुंडा पिछले वर्षों की तुलना में कृषि में हुई उल्लेखनीय वृद्धि पर प्रकाश डालते हुए

पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान, नेफेड ने कृषि विकास को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न प्रकार के आयोजनों में सक्रिय रूप से सहभागिता की। इंडस फूड एक्सपोर्ट जैसे आयोजनों में अपनी निर्यात क्षमताओं का प्रदर्शन करने से लेकर उत्थान फाउंडेशन द्वारा सरदार वल्लभभाई पटेल जैसे राष्ट्रीय प्रतीकों को उनकी जयंती पर सम्मानित करने के उद्देश्य से की गई पहलों का समर्थन करने तक, नेफेड ने विभिन्न मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज की। इसके अतिरिक्त, संगठन ने राष्ट्रीय सेमिनारों में अपनी विशेषज्ञता का योगदान दिया, जैसे कि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में आयोजित एक सेमिनार, और वैली ऑफ वर्ड्स इंटरनेशनल लिटरेचर एंड आर्ट्स फेस्टिवल जैसे आयोजनों में साहित्य और कला की समृद्ध ताने-बाने का उत्सव मनाया। इन कार्यक्रमों ने न केवल नेफेड के बहुआयामी योगदान पर प्रकाश डालता अपितु विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रति इसके समर्पण की भी संपुष्टि की।

अध्याय - 14

कार्मिक एवं सतर्कता

कार्मिक

किसी भी संगठन का कामकाज उसके कार्यबल/कर्मचारियों की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। अतः, यह और भी आवश्यक हो जाता है कि ऐसे कर्मचारियों की भर्ती की जाए जो बुद्धिमान हों, पेशेवर दृष्टिकोण वाले हों, संगठन के प्रति समर्पित और वफ़ादार हों। कर्मचारियों से यही सब गुण संगठन की सफलता में योगदान देते हैं।

प्रमुख गतिविधियां एवं उपलब्धियां:

1. **भर्ती और ऑनबोर्डिंग:**

   - आईआईएफएम, एनआईएएम एवं वीएएमएनआईसीओएम, आईसीएमएआई जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से सहायक प्रबंधकों और प्रबंधन प्रशिक्षुओं की सफलतापूर्वक भर्ती की गई।
   - महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) की भर्ती की गई और उन्हें नियुक्त किया गया।

2. **पदोन्नति:**

   - विभिन्न पदों पर 140 कर्मचारियों की नियमित पदोन्नति की गई।

सतर्कता

सतर्कता प्रभाग की भूमिका, कर्तव्य और जिम्मेदारियों में संक्षेप में मौजूदा संगठनात्मक प्रक्रिया की जाँच करना और भ्रष्टाचार या कदाचार के अवसर प्रदान करने वाले कारकों को समाप्त करना या उनमें कमी लाना और निवारात्मक उपाय पर सुझाव देना तथा नियमित निरीक्षण और औचक दौरे की योजना बनाना तथा उनका संचालन करना सम्मिलित है।

सतर्कता प्रभाग उपरोक्त उद्देश्यों पर कार्य कर रहा है, जिसके अंतर्गत संगठन के नियमों की जांच की जा रही है, उनमें आवश्यक संशोधन किए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार की संभावना को रोकने के लिए निवारक उपाय किए जा रहे हैं तथा खरीद/भंडारण केंद्रों, शाखाओं आदि के औचक निरीक्षण के दौरान सामने आने वाल समस्याओं पर सभी उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं। इन सब पर संघ की सतर्क नजर बनी हुई है।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, नेफेड ने 31.10.2023 से 05.11.2023 तक 'भ्रष्टाचार को ना कहें, राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहें' विषय के साथ 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' 2023 मनाया, जिसके अंतर्गत प्रबंध निदेशक द्वारा मुख्यालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को भौतिक रूप से और शाखाओं में ऑनलाइन मोड के माध्यम से सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से सहभागिता की।

प्रशिक्षण एवं विकास

संगठन में दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने से संबंधित उन्नत प्रौद्योगिकी में नई तकनीकों के बारे में कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पेशेवरों की अगली पीढ़ी के निर्माण के लिए विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों / संगोष्ठियों/ कार्यशालाओं / सम्मेलनों में सहभागिता करने के लिए संघ अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया।

नेफेड एएससीआई (हैदराबाद), एलबीएसएनएए (मसूरी) और गुजरात विश्वविद्यालय जैसी संस्थागत विशेषज्ञता रखने वाली संस्थाओं से जुड़ा है और कर्मचारियों को काम करने के नए तरीकों से परिचित कराने के लिए सीआईसीटीएबी (पुणे) के साथ संबंधों को मजबूत किया है।

वर्ष के दौरान 31 कर्मचारियों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया।

इसके अलावा, मानव संसाधन प्रभाग आंतरिक प्रशिक्षण भी आयोजित करता है ताकि कर्मचारी संगठन में होने वाले परिवर्तनों से भली भांति अवगत रहें इसके साथ ही प्रभाग नए भर्ती होने वाले कर्मचारियों के लिए परिचय कार्यक्रम आयोजित करता है ताकि उन्हें संगठन की नैतिकता, मूल्यों, नीतियों, दृष्टि और मिशन से परिचित कराया जा सके।

उपरोक्त के अलावा, मानव संसाधन प्रभाग ने उन युवा पेशेवरों को इंटर्नशिप कार्यक्रम प्रदान करना जारी रखा है जिन्होंने अपनी डिग्री/पीजी पूरी नहीं की है, साथ ही समर इंटर्न को काम पर रखने के लिए कैंपस ड्राइव का आयोजन किया है और छात्रों को मेंटर के मार्गदर्शन में विभिन्न विभागों में प्रोजेक्ट लेने के लिए प्रोत्साहित किया है। ये कार्यक्रम संगठन के लिए अत्यंत लाभकारी हैं और साथ ही छात्रों को आत्म-विकास के अवसर प्रदान करते हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वर्ष के दौरान विपणन सहकारी समितियों के अध्यक्ष/निदेशकों के लिए कई अध्ययन दौरे सत्र भी आयोजित किए हैं।

नेफेड पुस्तकालय

नेफेड पुस्तकालय नवीनतम संस्करणों की पुस्तकों और पत्रिकाओं की खरीद करता रहता है, जो अधिकारियों की संदर्भ प्रयोजन और वर्तमान जागरूकता अपेक्षा को पूरा करती हैं।

अध्याय - 15

सूचना प्रौद्योगिकी

जीवन के लगभग हर पहलू में तकनीकी विधा को आत्मसात करने के स्तर के साथ, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है और किसी भी संगठन की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेफेड का आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) प्रभाग एक महत्वपूर्ण प्रभाग है जो इसके तकनीकी अवसंरचना और प्रणालियों के प्रबंधन और रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। प्रभाग की प्राथमिक भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि संगठन के प्रौद्योगिकी संसाधनों का कुशलतापूर्वक, सुरक्षित रूप से और संगठन के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप उपयोग किया जाए।

संगठन के हार्डवेयर अवसंरचना, नेटवर्किंग, कंप्यूटर के प्रबंधन और रखरखाव के अलावा, यह प्रभाग यह भी सुनिश्चित करता है कि इनके सभी भौतिक घटक चालू अवस्था में हों, नियमित रखरखाव का ध्यान रखा जाए और आवश्यकतानुसार हार्डवेयर का अपग्रेड किया जाए या उन्हें बदलर जाए। आईटी प्रभाग मल्टी पोर्टल मैनेजमेंट सिस्टम (एमपीएमएस) के रखरखाव और सहायता की सुविधा प्रदान करता है, जो कृषि से संबंधित जिंसों के समान स्टॉक की ई-नीलामी को कई सूचीबद्ध ई-नीलामी पोर्टलों पर एक साथ चलाने के लिए क्लाउड आधारित प्रणाली है। ई-नीलामी के लिए मल्टी पोर्टल मैनेजमेंट सिस्टम (एमपीएमएस) के रखरखाव और बैकअप के लिए कई शाखाओं में स्टॉक के निपटान के लिए प्रणाली को लागू किया गया है।

किसी संगठन को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए स्वचालित प्रणाली की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए, नेफेड ने वर्ष 2023 से पीएसफ/पीएसएस जैसी विभिन्न सरकारी योजनाओं और अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए सुदृढ़ आईटी प्लेटफॉर्म बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाया है, ताकि एंड-टू-एंड डिजिटल समाधान हो और मैनुअल हस्तक्षेप कम से कम हो। उक्त उद्देश्य को साकार करने के लिए, नेफेड ने ई-समृद्धि पोर्टल का विकास शुरू किया है और नेफेड ने संगठनात्मक सेट-अप को स्वचालित करने के लिए एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) समाधान की प्रक्रिया भी आरंभ की है।

ई-समृद्धि पोर्टल का विकास:

- आईटी प्रभाग ने ई-समृद्धि पोर्टल के विकास में काफी सहायता की है, जो किसानों के स्व-पंजीकरण के लिए एक व्यापक समाधान प्रदान करता है, जिसमें खरीद और भुगतान सम्मिलित हैं। यह यंडटूयंड बहुभाषी समाधान प्रमुख हितधारकों, जैसे राज्य गोदामों, राज्य भूमि रिकॉर्ड, बैंकों, एसएमएस, व्हाट्सएप और खाता सत्यापन के लिए आधार के साथ सरलता से एकीकरण करता है। इस पोर्टल का शुभारंभ माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 4 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में 'दालों में आत्मनिर्भरता' पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान किया।
- इस पोर्टल का मुख्य आकर्षण नेफेड के बैंक खाते से लाभार्थी किसानों के खातों में किया जाने वाला सीधा भुगतान है। सीधे भुगतान की प्रणाली ने भुगतान की समयावधि को काफी कम कर दिया है, जिसका लक्ष्य गोदाम रसीद जारी होने के 48 घंटों के भीतर भुगतान करना है। यह पिछली भुगतान प्रक्रिया की तुलना में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसमें भुगतान एक एजेंसी के माध्यम से किया जाता था, जहाँ कई मामलों में भुगतान की समयावधि अत्यधिक परिवर्तनशील और लंबी होती थी। ई-समृद्धि पोर्टल पर भुगतान को वास्तविक समय के आधार पर ट्रैक किया जा सकता है।

रणनीतिक योजना:

आईटी प्रभाग संगठन की रणनीतिक योजना में आईटी रणनीतियों को संगठन के समग्र व्यावसायिक उद्देश्यों के साथ अनुरूपता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के अवसरों की पहचान करना, साथ ही प्रौद्योगिकी निवेश को संगठन के विकास और लक्ष्यों का समर्थन सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालिक योजना बनाना शामिल हो सकता है। आईटी प्रभाग अपनी आईटी एजेंसी के माध्यम से शाखाओं और योजनाओं के कार्यान्वयन से जुड़े हितधारकों को प्रशिक्षण और सहायता भी प्रदान करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वांछित प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है और साथ ही उनके प्रौद्योगिकी कौशल को बढ़ाया जा सके, कुशल और सुरक्षित प्रौद्योगिकी उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके। यह यह भी सुनिश्चित करता है कि कर्मचारी आईटी संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में आवश्यक ज्ञान और कौशल रखते हों।

अध्याय - 16

हिंदी

नेफेड द्वारा राजभाषा हिंदी के प्रोत्साहन के लिए निरंतर उल्लेखनीय प्रयास किये जा रहे हैं।

नेफेड एक विपणन संघ है। जिसका गठन मूल रूप से किसानों को लाभान्वित करने के लिए गया था। जो अपनी स्थापना से लेकर अब तक निरंतर कृषक हितैषी सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करता आ रहा है। और जो किसानों से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कृषि उपज, खाद, बीज क्रय-विक्रय तथा सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में खाद्यान्न के क्रय-विक्रय में संलग्न है। इसलिए नेफेड आमजन से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है।

भारत का कृषक समाज हिंदी को समझने में सक्षम है। इसलिए भी नेफेड उससे जुड़ने के लिए हिंदी को निरंतर आगे बढ़ा रहा है। नेफेड द्वारा कार्यान्वित की जा रही सभी योजनाओं को आमजन, किसानों एवं उपभोक्ताओं को सूचित करने के लिए निरंतर सोशल मीडिया पटल जैसे एक्स, फेसबुक इत्यादि के माध्यम से अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी एवं द्विभाषी करके प्रचारित किया जाता है। नेफेड द्वारा सभी विज्ञापनों, संदेशों को भी विभिन्न समाचारपत्रों में हिंदी में निरंतर प्रकाशित कराया जा रहा है।

नेफेड मुख्यालय में नामपट्ट द्विभाषी लगाए गए हैं। प्रायः बैठकों में उपयोग की जाने वाली पीपीटी को हिंदी में तैयार अथवा अनुवाद किया जाता है। कार्यालय से मंत्रालय को भेजी जाने वाली रिपोर्टें हिंदी में तैयार अथवा अनुवाद की जाती हैं।

नेफेड मुख्यालय में सभी कर्मचारियों/अधिकारियों को हिंदी के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए राजभाषा पखवाड़े का आयोजन किया गया। जिसमें दो प्रतियोगिताओं (निबंध लेखन एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता) का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रथम 1500/- रुपये, द्वितीय 1200/- एवं तृतीय 1000/- रुपये एवं प्रशस्ति पत्र देकर अपर प्रबंध निदेशक श्री एसके वर्मा द्वारा पुरस्कृत किया गया। और विजेताओं के अलावा सभी प्रतिभागियों को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। दोनों प्रतियोगिताओं में काफी कर्मचारियों/अधिकारियों ने बड़े उत्साहपूर्वक भाग लिया। कुछ हिंदी शब्दकोश जैसे अँग्रेजी-हिंदी कोश भी खरीदे एवं वितरित किए गए।

नेफेड मुख्यालय के सभी कर्मचारियों/अधिकारियों को राजभाषा के महत्व के बारे में जानकारी देने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। जिससे उन्हे राजभाषा के महत्व के बारे में अवगत कराया जा सके। नेफेड मुख्यालय में 27.02.2024 को "हिंदी टूल्स का दैनिक कार्यों में उपयोग" विषय पर हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

नेफेड के निदेशक-मंडल की सभी तिमाही बैठकों, वार्षिक सामान्य निकाय बैठकों की सभी कार्यसूची, कार्यवृत्त को हिंदी अथवा द्विभाषी प्रस्तुत किया जाता है।

नेफेड अपने दायित्वों का जिम्मेवारी से निर्वहन करते हुए निरंतर राजभाषा की उन्नति के लिए कार्यरत है।

हिंदी पखवाड़े के दौरान अपर प्रबंध निदेशक प्रतिभागियों एवं विजेताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करते हुए।

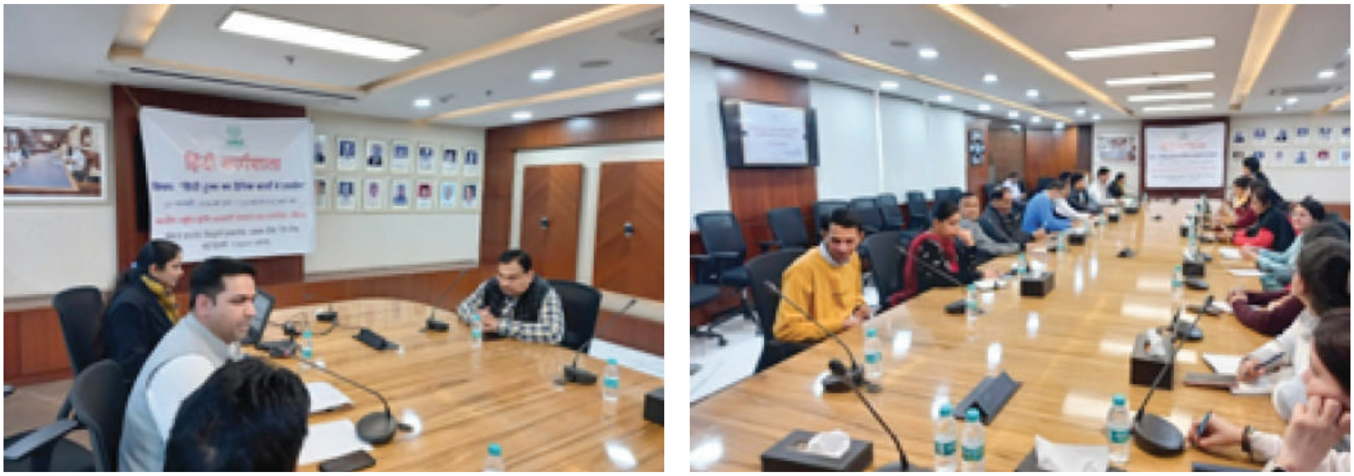

नेफेड मुख्यालय में 27 फरवरी, 2024 को "हिंदी टूल्स का दैनिक कार्यों में उपयोग" विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।

वार्षिक लेखे

अध्याय - 17

अध्याय	विषय वस्तु	पृष्ठ सं.
17.1	वित्तीय विवरण	69
17.2	स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	74
17.3	लेखापरीक्षक की टिप्पणियों पर अनुपालन	79
17.4	तुलन पत्र	85
17.5	लाभ व हानि विवरण	86
17.6	अनुसूचियां	88
17.7	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	106

वित्तीय विवरण

अनुबंध - I

विगत पांच वर्षों के दौरान शेयर पूंजी एवं स्वाधिकृत निधि की स्थिति

(मूल्य लाख रुपये में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-2022	2022-2023	2023-24
शेयरपूंजी अंशदाताः सहकारी समितियां	2,705.08	3,069.38	4,101.60	4,306.20	5,067.98
योग	**2,705.08**	**3,069.38**	**4,101.60**	**4,306.20**	**5,067.98**
गत वर्षो की संचित हानि के समायोजनोपरांत आरक्षित एवं अन्य निधियां (निवल)	(10555.18)	9,056.05	26,981.67	36,185.33	66,014.60
निवल लाभ (+) @ हानि (-)	16,565.03	24,394.70	13,927.16	26,451.38	49,237.93
कुल स्वाधिकृत निधियां	**8,714.93**	**36,520.13**	**45010.43**	**66,942.91**	**1,20,320.51**

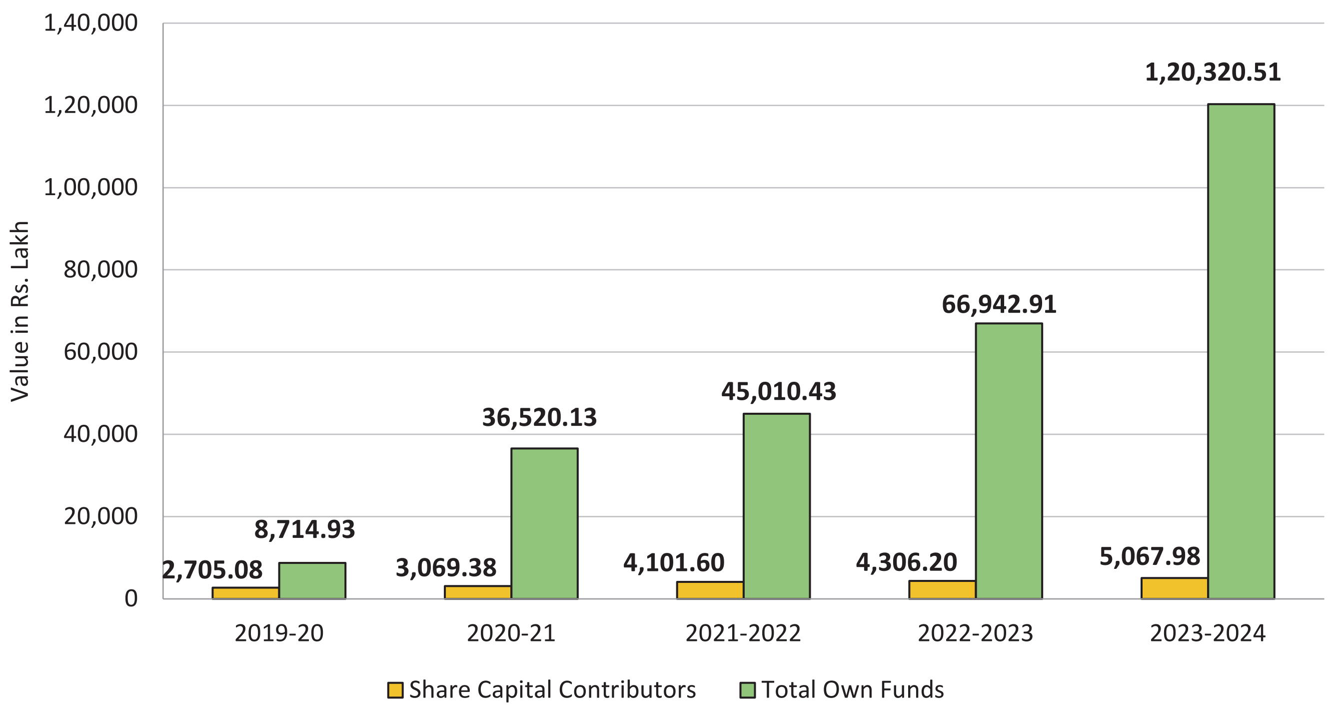

अनुबंध -II

विगत पांच वर्षों के दौरान कारोबार

(मूल्य लाख रुपये में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-2022	2022-2023	2023-24
(क) आंतरिक व्यापारः					
1. प्रत्यक्ष व्यापार	185850.24	1668867.47	1288918.47	982358.14	8,55,254.52
2. औद्योगिक इकाईयां एवं बीज, जैव उर्वरक	3352.92	3605.01	6855.63	7516.41	3,481.81
3. भारत सरकार के खाते में पीएसएस/पीएसएफ/बिक्री	1437598.20	2003381.11	638753.50	1145069.50	17,89,088.55
योगः	**1626801.36**	**3675853.59**	**19,34,527.60**	**2134944.05**	**26,47,824.88**
(ख) विदेशी व्यापारः					
1. प्रत्यक्ष निर्यात	1296.99	13640.94	40694.80	5514.54	4,209.02
योगः	**1296.99**	**13640.94**	**40694.80**	**5514.54**	**4,209.02**
कुल कारोबार (क + ख)	**1628098.35**	**3689494.53**	**1975222.40**	**2140458.59**	**26,52,033.90**

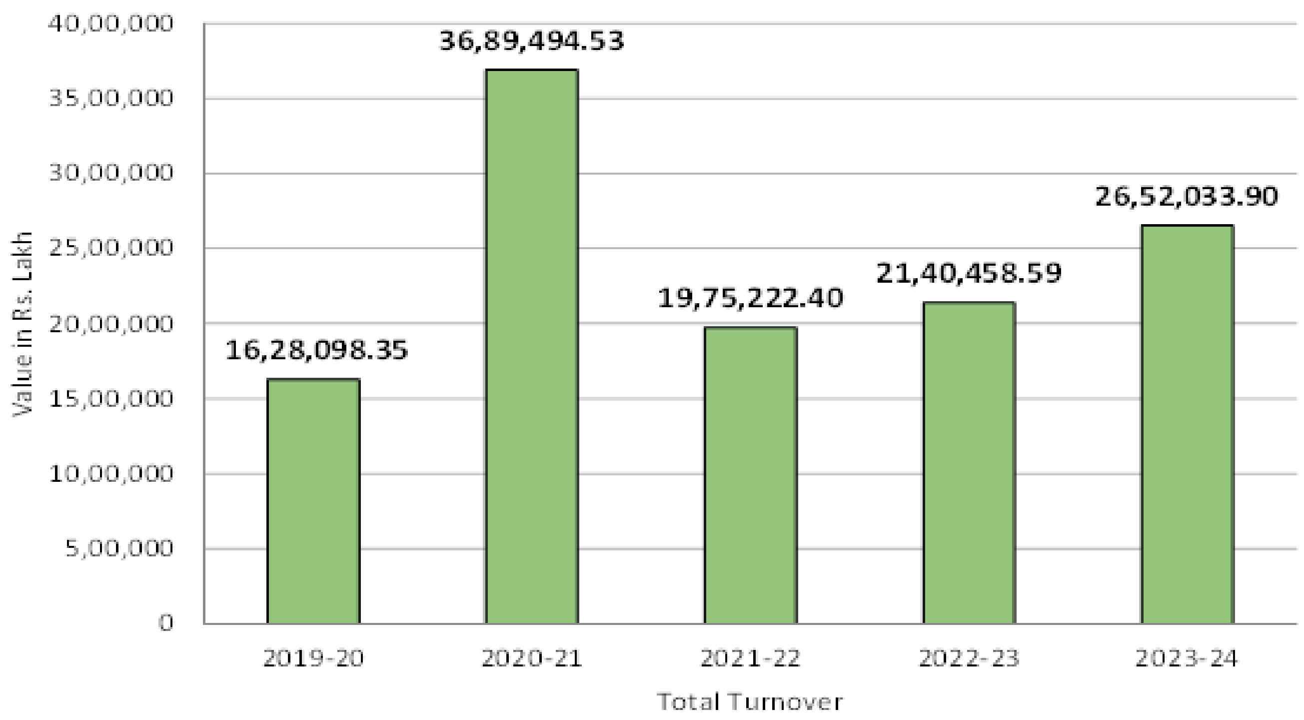

अनुबंध - III

विगत पांच वर्षों के दौरान आंतरिक व्यापार

(मूल्य लाख रुपये में)

जिंस	2019-20	2020-21	2021-22	2022-2023	2023-24
प्रत्यक्षः*					
खाद्यान्न	79094.10	110905.95	123841.73	44061.45	23,016.29
दलहन	751953.20	2550522.53	443073.65	1001268.75	14,23,000.61
तिलहन एवं तेल	704513.96	964943.77	173319.64	125450.92	3,25,852.1
मसाले	136.00	73.59	163.35	97.87	107.96
बागवानी	13478.83	14470.21	23103.56	19676.09	42,346.55
जूट के उत्पाद	--	--	514.28	-	-
पॉल्ट्री उत्पाद	205.89	94.62	155.51	-	-
उर्वरक	608.85	16.23	336.15	911.19	286.94
बीज	2744.07	6086.58	8162.19	5826.67	3,194.87
किराना, चायपत्ती एवं विभिन्न संस्थानों को दलहन चीनी, नमक इत्यादि की आपूर्ति सहित विविध उत्पाद	75363.45	28740.12	1202552.34	937651.11	8,30,019.56
कुल आंतरिक व्यापार	**1628098.35**	**3675853.60**	**19,75,222.40**	**21,34,944.05**	**26,47,824.88**

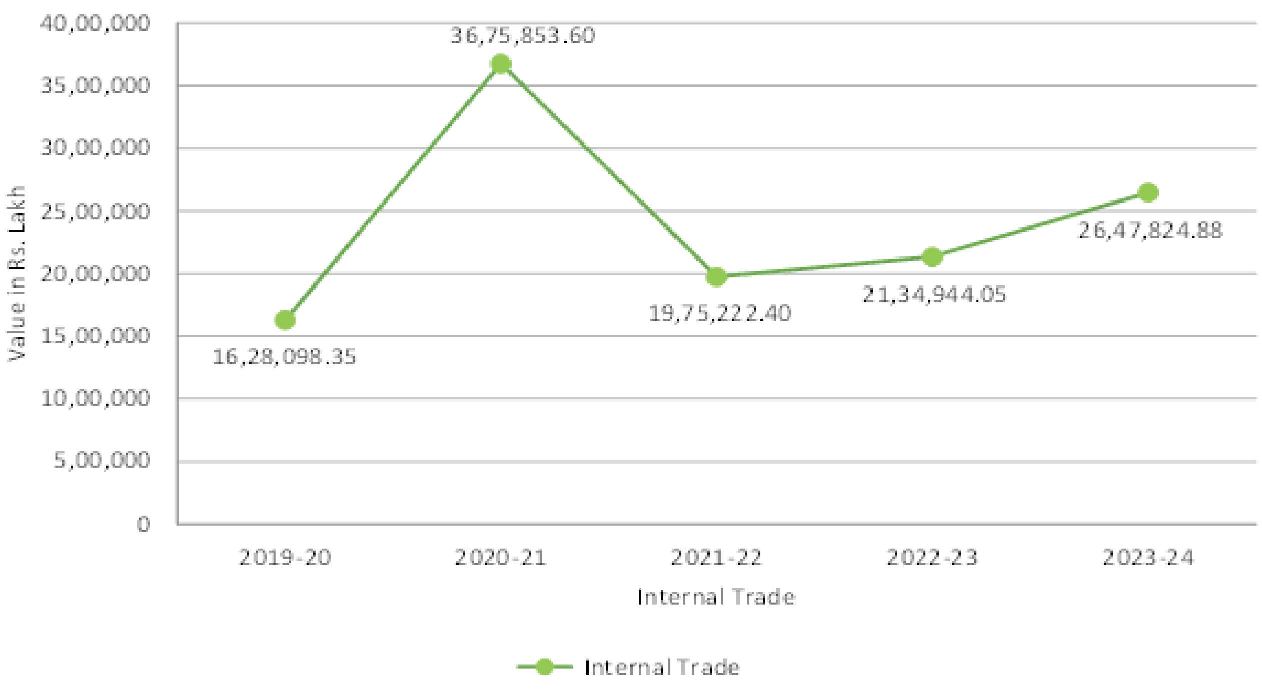

अनुबंध - IV

विगत पांच वर्षों के दौरान नेफेड का जिंस-वार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

(मात्रा मीट्रिक टन में/मूल्य लाख रुपये में)

जिंस	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24	
	Qty.	Value	Qty.	Value	Qty.	Value	Qty.	Value	Qty.	Value
प्रत्यक्ष निर्यात										
1. बागवानी										
प्याज	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2. खाद्यान्न एवं दलहन										
चावल	10000	393	36897.4	13640.94	135333.60	40633.41	20861.00	5474.01	3,080	1300.02
राजमा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	135333.60	40633.41	20861.00	5474.01	शून्य	शून्य
गेहूं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	200	61.39	शून्य	शून्य	10,000	2,909,00
चना दाल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	50	40.53	शून्य	शून्य
योग	**10000**	**393**	**36897.4**	**13640.94**	**135533.60**	**40694.8**	**20911.00**	**5514.54**	**13,080.00**	**4209.02**
3. अन्य										
कंबल/स्वेटरें	शून्य	903.99	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
योग	शून्य	**903.99**	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल प्रत्यक्ष निर्यात	**10000**	**1296.99**	**36897.40**	**13640.94**	**135533.60**	**40694.80**	**20911.00**	**5514.54**	**13,080.00**	**4,209.02**
कुल विदेशी व्यापार	**10000**	**1296.99**	**36897.40**	**13640.94**	**135533.60**	**40694.80**	**20911.00**	**5514.54**	**13,080.00**	**4,209.02**

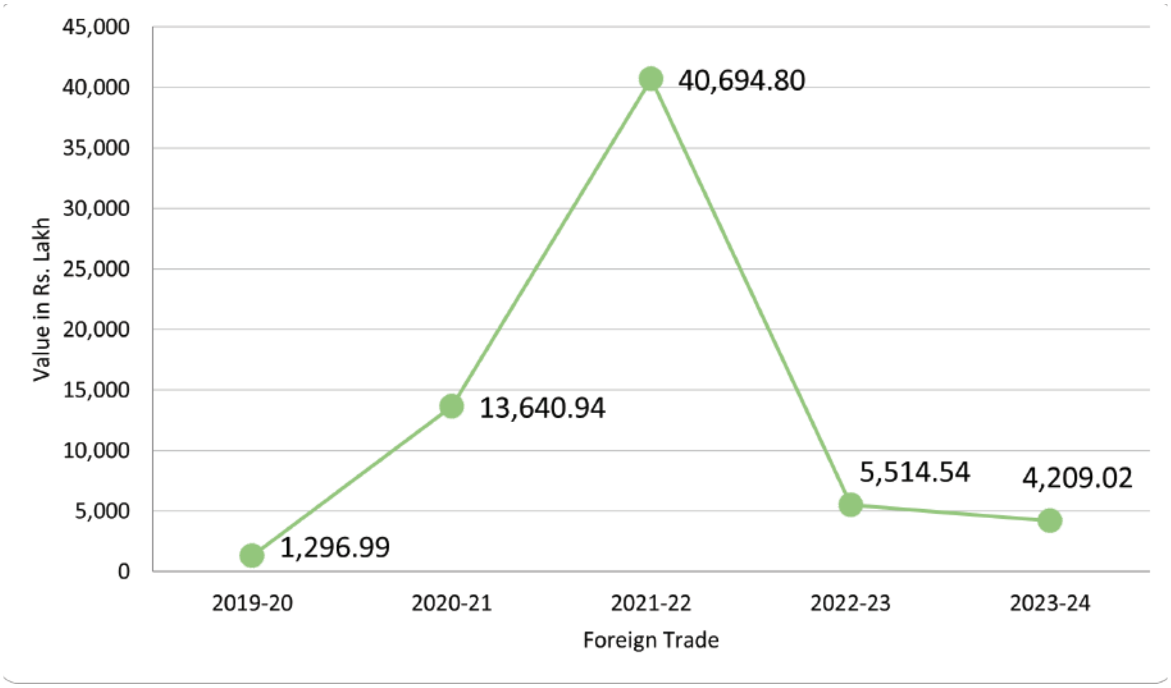

अनुबंध - V

वर्ष 2023-24 में जिंस-वार लाभ/हानि विवरण

(मूल्य लाख रुपये में)

क्र.सं.	जिंस/समूह	सकल लाभ/हानि वर्ष 2023-2024
1.	खाद्यान्न	230.39
2.	मसाले	2.92
3.	दलहन	221.17
4.	जैव उर्वरक	4.62
5.	बीज	447.77
6.	फल एवं सब्जियां	110.99
7	किराना सामान	295.66
8	निर्यात (i) भारतीय मूल के गेहूं -अफगानिस्तान: 234.80 करोड़ रुपये (ii) स्वर्ण चावल - भूटान: 27.35 करोड़ रुपये (iii) गैर बासमती चावल: 22.55 करोड़ रुपये	284.70
9	जूट	506.47
10	विविध योजना (भारत ब्रांड योजना, विभिन्न संस्थानों, एफपीओ इत्यादि को दलहन, नमक चीनी की आपूर्ति	11,844.89
11	पीएसएस एवं पीएसफ पर सेवा शुल्क	38,371.72
	योग	**52,321.30**

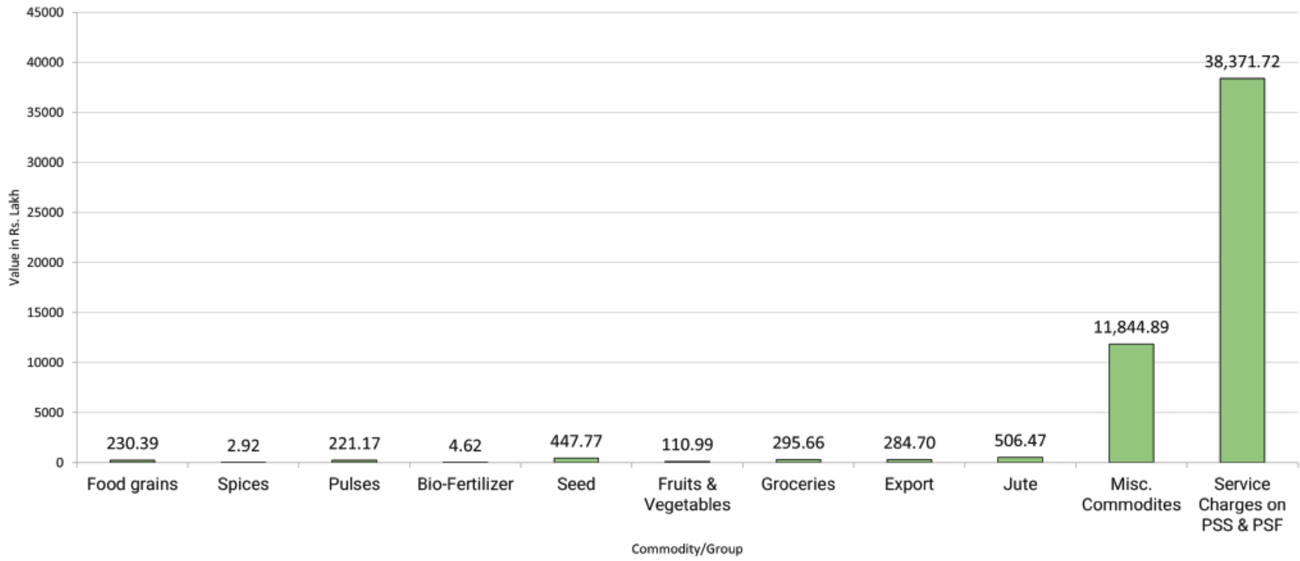

अध्याय. - 17.2

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

(मूल प्रति अंग्रेजी भाषा से हिंदी में अनूदित, किसी भिन्नता के मामले में अंग्रेजी विषय मान्य होगा)

एचडीएसजी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
ई-21, बेसमेंट, जंगपुरा
एक्सटेंशन
नई दिल्ली-110014

दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
बी-4, गुलमोहर पार्क
नई दिल्ली-110049

जेकेएसएस एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
91, सिद्धार्थ एंक्लेव,
नई दिल्ली-110014

सदस्यगण

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन मर्यादित (नेफेड)

नई दिल्ली

अभिमत

1. हमने भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (इसके उपरांत 'संघ' के तौर पर संदर्भित) के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीति एवं अन्य विस्तृत सूचना के सारांश सहित 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र, उस वर्ष को समाप्त लाभ व हानि विवरण एवं नगदी प्रवाह विवरण एवं वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां सम्मिलित हैं। इन वित्तीय विवरणों में मूल्य समर्थन योजना, मूल्य स्थिरीकरण कोष, बाजार हस्तक्षेप योजना एवं पीएमजीकेएवाई के अंतर्गत भारत सरकार की ओर से जिंसों के किये गये कार्यों कीं सनदी लेखाकारों की स्वतंत्र फर्मों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है एवं हमनें उन पर भरोसा किया है।

2. वे मामले जिनका वर्ष के लाभ पर एवं 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार परिसंपत्तियों एवं देयताओं पर प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सका है, सहित, नीचे दिए गए पैरा 3 में अनुमोदित अभिमत को आधार बनाकर वर्णित मामलों के प्रभावों के सिवाय, हमारे अभिमत में एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त वित्तीय विवरण के साथ-साथ उसमें दी गई टिप्पणियां बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 एवं बहु राज्य सहकारी समिति नियम, 2002 द्वारा अपेक्षित जानकारी देते हैं तथा आमतौर पर भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं एवं 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार संघ के कार्यों की, उस तिथि को समाप्त वर्ष में उसके लाभ व उसके नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

3. **योग्य अभिमत के लिए आधार**

हमने आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के अतंर्गतहमारे उत्तरदायित्वों का आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों कीलेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व खंड में उल्लेख किया गया है। हम उन नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार संस्था से स्वतंत्र हैं जो वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं और हमने इन अपेक्षाओं के अनुसार अपनी अन्य नैतिक उत्तरदायिवों का पूर्णतया निर्वहन किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारेअभिमत के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त व उपयुक्त हैं।

I. निम्नलिखित तथ्यों को आधार मानकर हम यह आकलन करने एवं रिपोर्ट करने में असमर्थ हैं कि तुलन पत्र एवं लाभ व हानि विवरण और लाभ और हानि के विवरण पर क्या प्रभाव पड़ा हैः

क) 1,014.87 करोड़ रुपये के कुल टाई-अप की प्राप्य राशि 10 वर्ष से अधिक की लंबी अवधि (गत वर्ष 1,015.10 करोड़ रुपये) से बकाया है जिसमें से 279.03 करोड़ रुपये (गत वर्ष 279.03 करोड़ रुपये) को वसूली योग्य और प्रवर्तनीय प्रतिभूतियों द्वारा प्रतिभूत वर्णित किया गया है जिनके लिए हमें इस तरह की प्रतिभूतियों के संबंध में कोई ऐसे पर्याप्त एवं समुचित साक्ष्य नहीं प्रदान किये गये जैसे नवीनतम भौतिक सत्यापन व मूल्यांकन रिपोर्ट। 1,014.87 करोड़ रुपये के बकाया के लिए महज 4.11 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसका हमारे अभिमत में सारवान रूप से कम उल्लेख हुआ है क्योंकि इसकी वसूली दर्शाने वाले कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किये गये।

ख) फुटकर देनदारों के पास 56.03 करोड़ रुपये (गत वर्ष 28.29 करोड़ रुपये) (टाई-अप और बैक टू बैक कारोबार के अतिरिक्त) सम्मिलित है जो 3 वर्ष से अधिक समयावधि से बकाया है और उन पार्टियों से कोई वसूली नहीं की गई है। वसूली की इस अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए, संघ को आईसीएआई द्वारा जारी राजस्व मान्यता पर एएस-9 के दृष्टिगत उक्त बकाया के संबंध में उचित प्रावधान करना चाहिए।

ग) हैदराबाद के गोदाम में वर्ष 2005-06 से 89.22 करोड़ रुपये (गत वर्ष 89.22 करोड़ रुपये) के स्टॉक के मूल्य में कमी के सापेक्ष कोई प्रावधान नहीं किया गया है जिसे लागत पर दर्शाया गया है। दिनांक 08.03.2023 की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार स्टॉक का मूल्य मात्र 6.54 करोड़ रुपये है, जिस पर प्रबंधन का विवाद है। इस स्टॉक की स्थिति अच्छी नहीं है और इस पर पूरी तरह से जंग लग गया है तथा इसके वजन करने की व्यवस्था भी नहीं है जिसके कारण इसे स्थल पर तौला नहीं जा सका और वर्ष के दौरान इसका भौतिक सत्यापन भी नहीं किया जा सका। अतः संघ की आय में उस सीमा तक अधिक उल्लेख हुआ है।

घ) फुटकर लेनदारों/व्यापार प्राप्यों में 104.97 करोड़ रुपये सम्मिलित हैं जो 3 वर्षों से से बकाया हैं और इन पार्टियों को कोई भुगतान नहीं किया गया है। जो राशि देय नहीं है, संघ को उसके प्रतिलेखन के लिए उचित कार्रवाई करनी चाहिए।

ङ) भारत सरकार ने 924.90 करोड़ रुपये (गत वर्ष 769.31 करोड़ रुपये) के दावों को नामंजूर कर दिया गया है एवं संघ ने यह दावा पुनः किया है लेकिन आज तक इसकी वसूली नहीं की जा सकी है। संघ के पास इसकी वसूली के कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है एवं इस वसूली को संदिग्ध के तौर पर माना जाना चाहिए तथा इसका समाशोधन/मिलान किया जाना चाहिए।

च) 31 मार्च, 2024 की सिथति के अनुसार लेखा बहियों में दर्शाया गया वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) देयता/परिसंपत्ति का जीएसटीएन पोर्टल के साथ मिलान नहीं गया है। इसका मिलान न होने के कारण, वर्ष के लाभ/हानि पर इसके वित्तीय प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सका।

छ) वर्ष के दौरान पीएसएस प्रचालन पर समायोजित न किये गये जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) से संबंधित 1.46 करोड़ रुपये (गत वर्ष 0.25 करोड़ रुपये) लाभ और हानि लेखा में की राशि जीएसटी व्यय के रूप में दर्शायी गई है और इसका भारत सरकार से खर्चों की प्रतिपूर्ति के रूप में दावा किया गया है और साथ ही इसे बहियों में आईटीसी प्राप्य और चालू देयता के रूप में दर्शाया गया है। कुछ शाखाओं में, यह देखा गया है कि उपरोक्त में से जीएसटी आईटीसी की कुछ राशि जिसे जीएसटी आउटपुट देयता में पहले ही समायोजित किया जा चुका है, उसे जीएसटी व्यय में समायोजित न किये गये जीएसटी आईटीसी के रूप में दर्शाया गया है।

H.D.S.G. & Associates Chartered Accountants FRN NEW DELHI

DASS GUPTA & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS NEW DELHI

J K S S & ASSOCIATES NEW DELHI Chartered Accountants

जैसा कि ऊपर पैराओं (क से छ) में प्रकटीकरण का प्रभाव सटीक रूप से आकलन नहीं किया जा सका एवं केवल अभिनिर्धारित राशि के कुल प्रभाव को प्रस्तुत करना समीचीन नहीं होगा, अतः हम लाभ, परिसंपत्तियां व देयताएं पर अभिनिर्धारित राशि के कुल प्रभाव को प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।.

प्रबंधन एवं वित्तीय विवरण के लिए सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्तियों का उत्तरदायित्व

4. संघ का प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उत्तरदायी है जो संघ को यथालागू आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक एवं बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002, बहु राज्य सहकारी समिति नियम, 2002 सहित आमतौर परभारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार संघ की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन एवं नकदी प्रवाह के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।इस उत्तरदायित्व में संघ की परिसंपत्तियों की सुरक्षा एवं धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का अनुरक्षण, उचित लेखांकन नीतियों का चयन एवं अनुप्रयोग, युक्तियुक्त एवं विवेकसम्मत निर्णय व अनुमान लगानाएवं पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अभिकल्पना, कार्यान्वयन तथा अनुरक्षण शामिल है जो लेखांकन अभिलखों की सटीकता व पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे तथा जो ऐसे वित्तीय विवरणों की तैयारी व प्रस्तुतीकरण के लिए प्रासंगिक है जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और तात्विक दुरुपयोग से मुक्त हैं चाहे वह प्रवंचना से हो या त्रुटि के कारण। इन वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रबंधन संस्थान की चालू संस्था के तौर पर जारी रखने की योग्यता का आकलन करने, चालू संस्था से संबंधित मामलों का यथा लागू प्रकटीकरण करने एवं लेखांकन के आधार पर चालू संस्था का उपयोग करने के लिए भी उत्तरदायी है जब तक प्रबंधन या तो संस्था का परिसमापन करने या बंद करने का इरादा न रखता हो अथवा इसके अलावा कोई विकल्प न हो।

शासन द्वारा नियुक्त वे व्यक्ति भी वित्तीय रिपोर्टिंग की प्रक्रिया की देखरेख के लिए उत्तरदायी हैं।

वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व

5. हमारा उद्देश्य इस बारे में युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण संपूर्ण रूप से तात्विक मिथ्याकथन से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ीपूर्ण हों या त्रुटि के कारण एवं लेखापरीक्षक की ऐसी रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारा अभिमत भी शामिल है। युक्तियुक्त आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है किएसएएस के अनुसार की गई लेखापरीक्षा हमेशा तात्विक मिथ्याकथनों को पकड़ लेगी जब भी यह घटित हो। ये मिथ्याकथन धोखाधड़ी या त्रुटिवश हो सकते हैं एवं तभी तात्विक माने जाते हैं यदि इनसे अलग-अलग या कुल मिलाकर वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिये गये उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को युक्तियुक्त रूप से प्रभावित करने की अपेक्षा की जा सकती है। हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक अभिमत व्यक्त करना है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों में अपेक्षा है कि हम नैतिक अपेक्षाओंका अनुपालन करें एवं वित्तीय विवरणों के बारे में युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाये एवं निष्पादन करें कि क्या वे तात्विक मिथ्याकथन से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशि एवं प्रकटीकरणों के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निवर्हन शामिल होता है। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों के तात्विक मिथ्याकथन, चाहे वह चाहे वह धोखाधड़ी से हो या त्रुटिवश के कारण, के जोखिमों का आकलन सहित लेखापरीक्षक के बोध पर निर्भर करती हैं। उन जोखिमों का आकलन करने में लेखा परीक्षक ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने के उद्देश्य से संघ की तैयारी व वित्तीय विवरणों की निष्पक्ष प्रस्तुति के लिए आंतरिक

H.D.S.G. & Associates Chartered Accountants FRN NEW DELHI

DASS GUPTA & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS NEW DELHI

J K S S & ASSOCIATES NEW DELHI Chartered Accountants

नियंत्रण को प्रासंगिक मानता है जो परिस्थिति में उपयुक्त हैं, लेकिन इसका उद्देश्य संघ के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर अभिमत व्यक्त करना नहीं है। एक लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता एवं प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करने के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमारा विश्वास है कि हमनें जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किये हैं वे हमारी लेखापरीक्षा अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

6. **अन्य मामले**

(क) देनदारों, लेनदारों और ऋणों और अग्रिम राशि के संबंध में शेष राशि पुष्टि और मिलान के अधीन हैं। इसके अतिरिक्त यह देखा गया है कि संघ द्वारा लेनदारों से और ऋणों और अग्रिमों पर पुष्टि की मांग नहीं की गई है। वित्तीय विवरणों पर इसके परिणामी प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सका। (अनुसूची 15ख-टिप्पणियां एवं व्याख्यात्मक विवरण की टिप्पणी 8 देखें)।

(ख) संघ अलग-अलग शाखाओं द्वारा ओटीआर के अंतर्गत प्राप्त आपूर्ति के लिए देय के साथ-साथ प्राप्य राशि को भी दर्शा रहा है। इसे एक दूसरे से अलग-अलग नहीं किया गया है, अतः देय राशि और प्राप्य राशि दोनों का अधिक उल्लेख हुआ है। इस राशि का आकलन नहीं किया जा सका।

(ग) संघ द्वारा स्टॉक का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था क्योंकि हमें कोई भी भौतिक सत्यापन रिपोर्ट/रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराये गये थे एवं हमने संबंधित पार्टियों/सीडब्ल्यूसी/एसडब्ल्यूसी/संघ द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर भरोसा किया है। (अनुसूची 15ख-टिप्पणियां एवं व्याख्यात्मक विवरण की टिप्पणी 12 देखें)।.

(घ) हमने स्टॉक रिकॉर्ड के रखरखाव में कुछ कमियां देखी हैं क्योंकि कुछ शाखाओं में डब्ल्यूएचआर/स्टॉक रिकॉर्ड का अद्यतन नहीं किया गया था/समुचित ढंग से अनुरक्षित नहीं थे। हमारे अवलोकन को ध्यान में रखते हुए, मालसूची रिकॉर्ड के रखरखाव पर नियंत्रण को और मजबूत करने की आवश्यकता है। (अनुसूची 15ख-टिप्पणियां एवं व्याख्यात्मक विवरण की टिप्पणी 12 देखें)।

(ङ) संघ के पक्ष में 9.31 करोड़ रुपये (गत वर्ष 9.04 करोड़ रुपये) की संपत्तियों का स्वत्व विलेख अभी तक निष्पादित नहीं किया गया है। (अनुसूची 15ख-टिप्पणियां एवं व्याख्यात्मक विवरण की टिप्पणी 4 देखें)।

(च) संघ ने 2269.10 करोड़ रुपये के मौजूदा बकाया ऋणों के लिए ऋणदाता बैंकों के साथ 'एकबारगी निपटान करार' किया है जिसमे मेगा मॉल, अंधेरी, मुंबई में चूककर्ता पार्टी की संपत्तियों का "जैसा है जहां है आधार पर" नीलामी अधिकार के हस्तांरण के साथ-साथ 478.00 करोड़ रुपये में निपटारा किया गया है। देखें 27.03.2018 का करार। चूंकि निपटान करार का हिस्सा अभी भी लंबित है, अतः संघ ने लेखा बहियों में इसका प्रभाव नहीं दर्शाया है। इस प्रभाव को उस वर्ष में दर्शाया जाएगा जब संघ ऋणदाता बैंकों से अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। यह अंतिम निपटान के वर्ष में संघ की लाभप्रदता पर काफी प्रभाव डाल सकता है। (अनुसूची 15ख-टिप्पणियां एवं व्याख्यात्मक विवरण की टिप्पणी 14 देखें)।

(छ) संघ ने एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 8 के अनुसार, आपूर्तिकर्ताओं से प्रासंगकि घोषणा के लिए एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रकटीकरण अपेक्षाओं के अनुसार भुगतानों को वर्गीकृत नहीं किया हैं। (अनुसूची 15ख-टिप्पणियां एवं व्याख्यात्मक विवरण की टिप्पणी 17 देखें)।)

(ज) वित्तीय विवरणों में "अन्य देयताएं" मद के अंतर्गत 83.73 करोड़ रुपये का असमाशोधित टीडीएस प्राप्य, चालू देयता के रूप में दर्शाया गया है। व्यापार प्राप्य और चालू देयता उस सीमा तक अधिक उल्लेख हुआ है।

(झ) बैंक खातों में जमा 1.16 करोड़ रुपये की असंबद्ध प्राप्तियां जिन्हें चालू परिसंपत्तियों के डेबिट में जमा में नहीं जोड़ा जा सका, वित्तीय विवरणों में "अन्य देयताएं" के अंतर्गत चालू देयताओं के रूप में दर्शाया गया है। चालू परिसंपत्तियाँ और चालू देयताओं में उस सीमा तक अधिक उल्लेख हुआ है।

(झ) डीमैट खाते की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 4.36 करोड़ रुपए की राशि दो कंपनियों के इक्विटी में निवेश के रूप में दशराई गई है परंतु यह निवेश लेखाबही में नहीं दर्शाया गया है। इस विसंगति का अभी समाशोधन/मिलान किया जा रहा है। .

(ट) हमने मुख्यालय में कल्याणकारी योजनाओं में से एक अर्थात एफपीओ के लिए सरकारी निधि के रखरखाव में कुछ कमियां देखी हैं। रिकार्डों का अद्यतन नहीं किया था या समुचित ढंग से अनुरक्षित नहीं थे। हमारे अवलोकन को ध्यान में रखते हुए अधिशेष निधियों पर नियंत्रण और निधि रिकॉर्ड के उपयोग को और मजबूत करने की आवश्यकता है।

(ठ) संघ के कारोबार के आकार, प्रचालन एवं प्रकृति को देखते हुए आंतरिक लेखापरीक्षा और नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

7. तुलन पत्र, लाभ व हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002, बहु राज्य सहकारी समिति नियम, 2002 के अनुसार तैयार किये गये हैं।

8. उपर्युक्त अनुच्छेद 4 एवं 5 में उल्लिखित लेखापरीक्षा सीमाओं के अधीन तथा बहु राज्य समिति अधिनियम 2002 की धारा 73 (4) की अपेक्षानुसार तथा उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन भी, हम रिपोर्ट करते हैं कि::

क) हमें वे सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त हुई जो हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ हमारे ज्ञान व विश्वास के लिए अत्यावश्यक थे एवं उन्हें संतोषजनक पाया है;

ख) हमारे अभिमत में, संघ ने अभी तक विधिक अपेक्षानुसार उचित लेखा बहियां रखी हैं, जैसा कि उन बहियों की हमारी लेखापरीक्षा से प्रकट होता है;

ग) इस रिपोर्ट में दर्शाया गया तुलन पत्र, लाभ व हानि विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों के अनुसार हैं;

घ) योग्य अभिमत के लिए आधार अनुच्छेद में उल्लिखित विषय को छोड़कर, तुलन पत्र, लाभ व हानि एवं नकदी प्रवाह विवरण जब तक कि अन्यथा न कहा जाए, लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

FOR HDSG & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS FRN: 002871N	FOR DASS GUPTA & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS FRN: 000112N	FOR J K S S & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS FRN: 006836C SUMIT SHARMA
CA Harbir Singh Gulati PARTNER M No: 084072 UDIN: 24084072BKAJW2969 Place – New Delhi	CA Ashok Kumar Jain PARTNER M No: 090563 UDIN: 24090563BKENTF1551 Place – New Delhi	CA Sumit Sharma PARTNER M No: 531748 UDIN: 24531748BKENXA4769 Place - Manila, Philippines

Place : New Delhi
Date : 26-07-2024

वर्ष 2023-24 हेतु लेखापरीक्षक की टिप्पणियों का अनुच्छेद-वार अनुपालन

लेखापरीक्षा टिप्पणी	अनुपालन
अभिमत	
1. हमने भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (इसके उपरांत 'संघ' के तौर पर संदर्भित) के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीति एवं अन्य विस्तृत सूचना के सारांश सहित 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र, उस वर्ष को समाप्त लाभ व हानि विवरण एवं नगदी प्रवाह विवरण एवं वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां सम्मिलित हैं। इन वित्तीय विवरणों में मूल्य समर्थन योजना, मूल्य स्थिरीकरण कोष, बाजार हस्तक्षेप योजना एवं पीएमजीकेएवाई के अंतर्गत भारत सरकार की ओर से जिंसों के किये गये कार्यों कीं सनदी लेखाकारों की स्वतंत्र फर्मों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है एवं हमनें उन पर भरोसा किया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
2. वे मामले जिनका वर्ष के लाभ पर एवं 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार परिसंपत्तियों एवं देयताओं पर प्रभाव का आकलन नहीं जा सका है, सहित, नीचे दिए गए पैरा 3 में अनुमोदित अभिमत को आधार बनाकर वर्णित मामलों के प्रभावों के सिवाय, हमारे अभिमत में एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त वित्तीय विवरण के साथ-साथ उसमें दी गई टिप्पणियां बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 एवं बहु राज्य सहकारी समिति नियम, 2002 द्वारा अपेक्षित जानकारी देते हैं तथा आमतौर पर भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं एवं 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार संघ के कार्यों की, उस तिथि को समाप्त वर्ष में उसके लाभ व उसके नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।
3 योग्य अभिमत के लिए आधार	
हमने आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के अतंर्गतहमारे उत्तरदायित्वों का आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों कीलेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व खंड में उल्लेख किया गया है। हम उन नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार संस्था से स्वतंत्र हैं जो वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं और हमने इन अपेक्षाओं के अनुसार अपनी अन्य नैतिक उत्तरदायिवों का पूर्णतया निर्वहन किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारेअभिमत के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त व उपयुक्त हैं।	

लेखापरीक्षा टिप्पणी	अनुपालन
I) निम्नलिखित तथ्यों को आधार मानकर हम यह पता लगाने एवं रिपोर्ट करने में असमर्थ हैं कि तुलन पत्र एवं लाभ व हानि विवरण और लाभ और हानि के विवरण पर क्या प्रभाव पड़ा हैः	
क) 1,014.87 करोड़ रुपये के कुल टाई-अप की प्राप्य राशि 10 वर्ष से अधिक की लंबी अवधि (गत वर्ष 1,015.10 करोड़ रुपये) से बकाया है जिसमें से 279.03 करोड़ रुपये (गत वर्ष 263.13 करोड़ रुपये) को वसूली योग्य और प्रवर्तनीय प्रतिभूतियों द्वारा प्रतिभूत वर्णित किया गया है जिनके लिए हमें इस तरह की प्रतिभूतियों के संबंध में कोई ऐसे पर्याप्त एवं समुचित साक्ष्य नहीं प्रदान किये गये जैसे नवीनतम भौतिक सत्यापन व मूल्यांकन रिपोर्ट। 1,014.87 करोड़ रुपये के बकाया के लिए महज 4.11 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसका हमारे अभिमत में सारवान रूप से कम उल्लेख हुआ है क्योंकि इसकी वसूली दर्शाने वाले कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किये गये।	वर्ष 2003-04 से 2005-06 के दौरान, नेफेड ने कृषि और गैर-कृषि/गैर-पारंपरिक वस्तु दोनों में निजी पार्टियों के साथ टाई-अप/ बैक टू बैक कारोबार किया। इस कारोबारी मॉडल के तहत अधिकांश धनराशि पार्टियों को खरीद एवं इसके उपरांत नेफेड के पक्ष में स्टॉकों का दृष्टिबंधक के लिए उपलब्ध कराई गई थी। कुछ मामलों में, कुछ टाई-अप पार्टियों ने एमओयू/करार में निर्दिष्ट उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए इस राशि का उपयोग किया। अन्य मामलों में, कुछ टाई-अप पार्टियों ने कथित तौर पर बाजार की स्थितियों के कारण नुकसान उठाया एवं नेफेड के बकाये का भुगतान करना बंद कर दिया। टाई-अप चूककर्ताओं से बकाये की इस भारी राशि की वसूली के लिए, नेफेड ने पार्टियों द्वारा नेफेड के पक्ष में जारी चेकों के डिसओनर होने में मध्यस्थों, सिविल न्यायालयों और परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआईए) की धारा 138 के तहत आपराधिक मामलों के तहत दावे की याचिका दायर करके उनके विरुद्ध दीवानी व आपराधिक कार्यवाही आरंभ की। नेफेड ने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत कई मामले दर्ज किए हैं। नेफेड ने कुछ पार्टियों के विरुद्ध सीबीआई/ईओडब्ल्यू के समक्ष भी आपराधिक शिकायतें दर्ज कराईं हैं। नेफेड द्वारा बकाया राशि की वसूली के लिए किए गए ठोस प्रयासों के परिणाम भी सामने आने लगे हैं। ऐसे मामलों में जहां पार्टियों से संबंधित संपत्ति की डिक्री/नीलामी के आदेश पारित किए गए हैं उनमेंन्यायालय के निर्देशानुसार संपत्ति की नीलामी करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सीबीआई/ईओडब्ल्यू ने भी नेफेड द्वारा दायर सभी शिकायतों में उपयुक्त न्यायालयों के समक्ष आरोप पत्र दायर किए हैं। चूंकि मुकदमेबाजी लंबी व समय लेने वाली प्रक्रिया है अत: इच्छुक टाईअप चूककर्ताओं से वसूली में तेजी लाने के लिए, निदेशक मंडल ने 9.7.2010 को आयोजित बैठक में आरबीआई के दिशानिर्देशों के आधार पर व्यापक एकबारगी निपटान नीति को मंजूरी दी है। उपर्युक्त कार्यों को देखते हुए यह उम्मीद है कि निकट भविष्य में कुछ वसूलियां हो जाएंगी। तथापि, ऋणदाता बैंकों के साथ एकमुश्त निपटान की शर्तों के अनुसार सभी अनुपालना कर ली गई हैं और यह उम्मीद है कि संबंधित बैंकों से एनओसी वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान प्राप्त हो जाएंगे और तदनुसार बकाया के सापेक्ष आवश्यक प्रावधान करने पर विचार किया जाएगा।
ख) फुटकर देनदारों के पास 56.03 करोड़ रुपये (गत वर्ष 28.29 करोड़ रुपये) (टाई-अप और बैक टू बैक कारोबार के अतिरिक्त) सम्मिलित है जो 3 वर्ष से अधिक समयावधि से बकाया है और उन पार्टियों से कोई वसूली नहीं की गई है। वसूली की इस अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए, संघ को आईसीएआई द्वारा जारी राजस्व मान्यता पर एएस-9 के दृष्टिगत उक्त बकाया के संबंध में उचित प्रावधान करना चाहिए।	यह राशि विभिन्न संस्थानों को की गई आपूर्ति से संबंधित है और इसकी वसूली के लिए कठोर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है और प्रबंधन वसूली के प्रति आशान्वित है। तथापि, 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार लेखा बही में 25.35 करोड़ रुपये का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है।

लेखापरीक्षा टिप्पणी	अनुपालन
ग) हैदराबाद के गोदाम में वर्ष 2005-06 से 89.22 करोड़ रुपये (गत वर्ष 89.22 करोड़ रुपये) के स्टॉक के मूल्य में कमी के सापेक्ष कोई प्रावधान नहीं किया गया है जिसे लागत पर दर्शाया गया है। दिनांक 08.03.2023 की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार स्टॉक का मूल्य मात्र 6.54 करोड़ रुपये है, जिस पर प्रबंधन का विवाद है। इस स्टॉक की स्थिति अच्छी नहीं है और इस पर पूरी तरह से जंग लग गया है तथा इसके वजन करने की व्यवस्था भी नहीं है जिसके कारण इसे स्थपर तौला नहीं जा सका और वर्ष के दौरान इसका भौतिक सत्यापन भी नहीं किया जा सका। अतः संघ की आय में उस सीमा तक अधिक उल्लेख हुआ है।	संघ की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के अनुसार, बैक टू बैक/टाई अप व्यवस्था के अंतर्गत रखे गए स्टॉक का मूल्य लागत पर निर्धारित किया जाता है। तथापि, स्टॉक के निपटान की प्रक्रिया पहले ही आरंभ कर ली गई है। इसके अलावा, सभी ऋणदाता बैंकों से उनके साथ ओटीएस निपटान के अनुसार एनओसी प्राप्त होने के उपरांत इस संबंध में कोई निर्णय लिया जाएगा।
घ) फुटकर लेनदारों/व्यापार प्राप्यों में 104.97 करोड़ रुपये सम्मिलित हैं जो 3 वर्षों से से बकाया हैं और इन पार्टियों को कोई भुगतान नहीं किया गया है। जो राशि देय नहीं है, संघ को उसके प्रतिलेखन के लिए उचित कार्रवाई करनी चाहिए।	संघ फुटकर लेनदारों /व्यापार प्राप्यों क्रेडिट शेष का प्रतिलेखन कर रहा है जो मामला दर मामला के आधार पर 3 वर्ष से अधिक पुराने हैं। तथापि, राज्य संघ/समितियों से संबंधित 3 वर्ष से अधिक पुराने बकाया का समाशोधन/मिलान किया जा रहा है और तदनुसार उनका निपटारा कर दिया जाएगा।
ङ) भारत सरकार ने 924.90 करोड़ रुपये (गत वर्ष 769.31 करोड़ रुपये) के दावों को नामंजूर कर दिया गया है एवं संघ ने यह दावा पुनः किया है लेकिन आज तक इसकी वसूली नहीं की जा सकी है। संघ के पास इसकी वसूली के कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है एवं इस वसूली को संदिग्ध के तौर पर माना जाना चाहिए तथा इसका समाशोधन/मिलान किया जाना चाहिए।	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने हाल ही में एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है, जो संघ द्वारा प्रस्तुत पीएसएस लेखापरीक्षित लाभ और हानि लेखाओं की प्रारंभिक जांच के दौरान कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के व्यय/लागत विभाग के मुख्य सलाहकार (लागत) के कार्यालय द्वारा नामंजूर किए गए दावों को अनुमति देने के मुद्दों पर विचार करेगी। समिति ने मामले दर मामले के आधार पर दावों पर विचार करना आरंभ कर दिया है और प्रबंधन को उम्मदी है कि इस जांच के उपरांत इन दावों का निपटारा हो जाएगा।
च) 31 मार्च, 2024 की सिथति के अनुसार लेखा बहियों में दर्शाया गया वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) देयता/परिसंपत्ति का जीएसटीएन पोर्टल के साथ मिलान नहीं गया है। इसका मिलान न होने के कारण, वर्ष के लाभ/हानि पर इसके वित्तीय प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सका।	जीएसटी का मिलान किया जा रहा है और इसके परिणामी प्रभाव की वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान लेखा बहियों में गणना की जाएगी।
छ) वर्ष के दौरान पीएसएस प्रचालन पर समायोजित न किये गये जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) से संबंधित 1.46 करोड़ रुपये (गत वर्ष 0.25 करोड़ रुपये) लाभ और हानि लेखा में की राशि जीएसटी व्यय के रूप में दर्शायी गई है और इसका भारत सरकार से खर्चों की प्रतिपूर्ति के रूप में दावा किया गया है और साथ ही इसे बहियों में आईटीसी प्राप्य और चालू देयता के रूप में दर्शाया गया है। कुछ शाखाओं में, यह देखा गया है कि उपरोक्त में से जीएसटी आईटीसी की कुछ राशि जिसे जीएसटी आउटपुट देयता में पहले ही समायोजित किया जा चुका है, उसे जीएसटी व्यय में समायोजित न किये गये जीएसटी आईटीसी के रूप में दर्शाया गया है। जैसा कि ऊपर पैराओं (क से छ) में प्रकटीकरण का प्रभाव सटीक रूप से आकलन नहीं किया जा सका एवं केवल अभिनिर्धारित राशि के कुल प्रभाव को प्रस्तुत करना समीचीन नहीं होगा, अतः हम लाभ, परिसंपत्तियां व देयताएं पर अभिनिर्धारित राशि के कुल प्रभाव को प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।	इस संबंध में, नेफेड द्वारा प्रस्तुत दावों की प्रारंभिक जांच के दौरान नामंजूर किए गये दावों पर विचार करने के लिए गठित अधिकार प्राप्त समिति ने असमायोजित जीएसटी के दावों के अभ्यपर्ण करने के दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने पर अनुमति देने का निर्णय लिया है। तदनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

लेखापरीक्षा टिप्पणी	अनुपालन
प्रबंधन एवं वित्तीय विवरण के लिए सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्तियों का उत्तरदायित्व	
4. संघ का प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उत्तरदायी है जो संघ को यथालागू आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक एवं बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002, बहु राज्य सहकारी समिति नियम, 2002 सहित आमतौर परभारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार संघ की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन एवं नकदी प्रवाह के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।. इस उत्तरदायित्व में संघ की परिसंपत्तियों की सुरक्षा एवं धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का अनुरक्षण, उचित लेखांकन नीतियों का चयन एवं अनुप्रयोग, युक्तियुक्त एवं विवेकसम्मत निर्णय व अनुमान लगानाएवं पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अभिकल्पना, कार्यान्वयन तथा अनुरक्षण शामिल है जो लेखांकन अभिलेखों की सटीकता व पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे तथा जो ऐसे वित्तीय विवरणों की तैयारी व प्रस्तुतीकरण के लिए प्रासंगिक है जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और तात्विक दुरुपयोग से मुक्त हैं चाहे वह प्रवंचना से हो या त्रुटि के कारण। इन वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रबंधन संस्थान की चालू संस्था के तौर पर जारी रखने की योग्यता का आकलन करने, चालू संस्था से संबंधित मामलों का यथा लागू प्रकटीकरण करने एवं लेखांकन के आधार पर चालू संस्था का उपयोग करने के लिए भी उत्तरदायी है जब तक प्रबंधन या तो संस्था का परिसमापन करने या बंद करने का इरादा न रखता हो अथवा इसके अलावा कोई विकल्प न हो। शासन द्वारा नियुक्त वे व्यक्ति भी वित्तीय रिपोर्टिंग की प्रक्रिया की देखरेख के लिए उत्तरदायी हैं। .	कोई टिप्पणी नहीं।
वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व	
5. हमारा उद्देश्य इस बारे में युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण संपूर्ण रूप से तात्विक मिथ्याकथन से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ीपूर्ण हों या त्रुटि के कारण एवं लेखापरीक्षक की ऐसी रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारा अभिमत भी शामिल है। युक्तियुक्त आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है किएसएएस के अनुसार की गई लेखापरीक्षा हमेशा तात्विक मिथ्याकथनों को पकड़ लेगी जब भी यह घटित हो। ये मिथ्याकथन धोखाधड़ी या त्रुटिवश हो सकते हैं एवं तभी तात्विक माने जाते हैं यदि इनसे अलग-अलग या कुल मिलाकर वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिये गये उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को युक्तियुक्त रूप से प्रभावित करने की अपेक्षा की जा सकती है।. हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक अभिमत व्यक्त करना है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों में अपेक्षा है कि हम नैतिक अपेक्षाओंका अनुपालन करें एवं वित्तीय विवरणों के बारे में युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाये एवं निष्पादन करें कि क्या वे तात्विक मिथ्याकथन से मुक्त हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।

लेखापरीक्षा टिप्पणी	अनुपालन
लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशि एवं प्रकटीकरणों के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निवर्हन शामिल होता है। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों के तात्विक मिथ्याकथन, चाहे वह चाहे वह धोखाधड़ी से हो या त्रुटिवश के कारण, के जोखिमों का आकलन सहित लेखापरीक्षक के बोध पर निर्भर करती हैं। उन जोखिमों का आकलन करने में लेखापरीक्षक ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने के उद्देश्य से संघ की तैयारी व वित्तीय विवरणों की निष्पक्ष प्रस्तुति के लिए आंतरिक नियंत्रण को प्रासंगिक मानता है जो परिस्थिति में उपयुक्त हैं, लेकिन इसका उद्देश्य संघ के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर अभिमत व्यक्त करना नहीं है। एक लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता एवं प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करने के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमारा विश्वास है कि हमनें जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किये हैं वे हमारी लेखापरीक्षा अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।	
6. अन्य मामले	
(क) देनदारों, लेनदारों और ऋणों और अग्रिम राशि के संबंध में शेष राशि पुष्टि और मिलान के अधीन हैं। इसके अतिरिक्त यह देखा गया है कि संघ द्वारा लेनदारों से और ऋणों और अग्रिमों पर पुष्टि की मांग नहीं की गई है। वित्तीय विवरणों पर इसके परिणामी प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सका। (अनुसूची 15ख-टिप्पणियां एवं व्याख्यात्मक विवरण की टिप्पणी 8 देखें)।	शेष की पुष्टि के लिए हमने संबंधित पार्टियों/समितियों को पहले ही पत्र जारी कर दिए हैं। उनमें से कुछ ने उत्तर दे दिया है। जहां तक मिलान का संबंध है, कई मामलों में लेखाओं का संघ/प्राथमिक समितियों व पार्टियों के साथ मिलान किया गया है। शेष लेखाओं का मिलान करने के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं।
(ख) संघ अलग-अलग शाखाओं द्वारा ओटीआर के अंतर्गत प्राप्त आपूर्ति के लिए देय के साथ-साथ प्राप्य राशि को भी दर्शा रहा है। इसे एक दूसरे से अलग-अलग नहीं किया गया है, अतः देय राशि और प्राप्य राशि दोनों का अधिक उल्लेख हुआ है। इस राशि का आकलन नहीं किया जा सका।	चूंकि प्रचालन जारी है, अतः पार्टियों के लेखाओं का लेनदेन पूरा होने के समय समायोजित कर लिया जाएगा।
(ग) संघ द्वारा स्टॉक का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था क्योंकि हमें कोई भी भौतिक सत्यापन रिपोर्ट/रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराये गये थे एवं हमने संबंधित पार्टियों/सीडब्ल्यूसी/एसडब्ल्यूसी/संघ द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर भरोसा किया है। (अनुसूची 15ख-टिप्पणियां एवं व्याख्यात्मक विवरण की टिप्पणी 12 देखें)।	संघ की लेखा नीति के अनुसार, अंतिम मालसूची, माल के प्राप्तकर्ता और केंद्रीय भंडारण निगमों/राज्य भंडारण निगमों के पास पारगमन में स्टॉक को छोड़कर रिकॉर्ड के अनुसार स्टॉक के आधार पर ली जाती है। ऐसे मामलों में, संबंधित पार्टियों/एजेंसियों से प्राप्त प्रमाणपत्रों पर भरोसा किया जाता है।
(घ) हमने स्टॉक रिकॉर्ड के रखरखाव में कुछ कमियां देखी हैं क्योंकि कुछ शाखाओं में डब्ल्यूएचआर/स्टॉक रिकॉर्ड का अद्यतन नहीं किया गया था/समुचित ढंग से अनुरक्षित नहीं थे। हमारे अवलोकन को ध्यान में रखते हुए, मालसूची रिकॉर्ड के रखरखाव पर नियंत्रण को और मजबूत करने की आवश्यकता है। (अनुसूची 15ख-टिप्पणियां एवं व्याख्यात्मक विवरण की टिप्पणी 12 देखें)।	अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।
(ङ) संघ के पक्ष में 9.31 करोड़ रुपये (गत वर्ष 9.04 करोड़ रुपये) की संपत्तियों का स्वत्व विलेख अभी तक निष्पादित नहीं किया गया है। (अनुसूची 15ख-टिप्पणियां एवं व्याख्यात्मक विवरण की टिप्पणी 4 देखें)।.	अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।
(च) संघ ने 2269.10 करोड़ रुपये के मौजूदा बकाया ऋणों के लिए ऋणदाता बैंकों के साथ 'एकबारगी निपटान करार' किया है जिसमे मेगा मॉल, अंधेरी, मुंबई में चूककर्ता पार्टी की संपत्तियों का "जैसा है जहां है आधार पर" नीलामी अधिकार के हस्तांरण के साथ-साथ 478.00 करोड़ रुपये में निपटारा किया गया है। देखें 27.03.2018 का करार। चूंकि निपटान करार का हिस्सा अभी भी लंबित है,	चूंकि एकमुश्त निपटान करार के अनुसार सभी अनुपालन किए जा चुके हैं। इस प्रकार अग्रणी बैंक को छोड़कर जिसके वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान प्राप्त होने की उम्मीद है अन्य ऋणदाता बैंकों से एनओसी प्राप्त हो चुकी है, तदनुसार एनओसी प्राप्त होने के उपरांत आवश्यक कार्रवाई कर दी जाएगी।

लेखापरीक्षा टिप्पणी	अनुपालन
अतः संघ ने लेखा बहियों में इसका प्रभाव नहीं दर्शाया है। इस प्रभाव को उस वर्ष में दर्शाया जाएगा जब संघ ऋणदाता बैंकों से अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। यह अंतिम निपटान के वर्ष में संघ की लाभप्रदता पर काफी प्रभाव डाल सकता है। (अनुसूची 15ख-टिप्पणियां एवं व्याख्यात्मक विवरण की टिप्पणी 14 देखें)।.	
(छ) संघ ने एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 8 के अनुसार, आपूर्तिकर्ताओं से प्रासंगिक घोषणा के लिए एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रकटीकरण अपेक्षाओं के अनुसार भुगतानों को वर्गीकृत नहीं किया हैं। (अनुसूची 15ख-टिप्पणियां एवं व्याख्यात्मक विवरण की टिप्पणी 17 देखें)।)	अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।
(ज) वित्तीय विवरणों में "अन्य देयताएं" मद के अंतर्गत 83.73 करोड़ रुपये का असमाशोधित टीडीएस प्राप्य, चालू देयता के रूप में दर्शाया गया है। व्यापार प्राप्य और चालू देयता उस सीमा तक अधिक उल्लेख हुआ है।.	शाखाओं को मिलान करने हेतु सूचित कर दिया गया है।
(झ) बैंक खातों में जमा 1.16 करोड़ रुपये की असंबद्ध रसीदें, जिन्हें चालू परिसंपत्तियों के डेबिट में जमा राशि से नहीं जोड़ा जा सका, वित्तीय विवरणों में "अन्य देयताओं" के अंतर्गत चालू देनदारियों के रूप में दिखाई दे रही हैं। इस सीमा तक, चालू परिसंपत्तियाँ और चालू देनदारियाँ बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई हैं।	प्राप्तियों की पहचान की जा रही है और तदनुसार उन्हें वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान समायोजित किया जा रहा है।
(ट) डीमैट खाते की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 4.36 करोड़ रुपए की राशि दो कंपनियों के इक्विटी में निवेश के रूप में दशाई गई है परंतु यह निवेश लेखाबही में नहीं दर्शाया गया है। इस विसंगति का समाशोधन/मिलान अभी किया जा रहा है।.	इस पर अभी मिलान काम चल रहा है।
(ठ) हमने मुख्यालय में कल्याणकारी योजनाओं में से एक अर्थात एफपीओ के लिए सरकारी निधि के रखरखाव में कुछ कमियां देखी हैं। रिकार्डों का अद्यतन नहीं किया था या समुचित ढंग से अनुरक्षित नहीं थे। हमारे अवलोकन को ध्यान में रखते हुए अधिशेष निधियों पर नियंत्रण और निधि रिकॉर्ड के उपयोग को और मजबूत करने की आवश्यकता है।	लेखापरीक्षकों की सलाह के अनुसार कार्रवाई की गई है।
(ठ) संघ के कारोबार के आकार, प्रचालन एवं प्रकृति को देखते हुए आंतरिक लेखापरीक्षा और नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है।	अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।
अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट	
7. तुलन पत्र, लाभ व हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002, बहु राज्य सहकारी समिति नियम, 2002 के अनुसार तैयार किये गये हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।
8. उपर्युक्त अनुच्छेद 4 एवं 5 में उल्लिखित लेखापरीक्षा सीमाओं के अधीन तथा बहु राज्य समिति अधिनियम 2002 की धारा 73 (4) की अपेक्षानुसार तथा उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन भी, हम रिपोर्ट करते हैं किः	कोई टिप्पणी नहीं।
क) हमें वे सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त हुई जो हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ हमारे ज्ञान व विश्वास के लिए अत्यावश्यक थे एवं उन्हें संतोषजनक पाया है;	
ख) हमारे अभिमत में, संघ ने अभी तक विधिक अपेक्षानुसार उचित लेखा बहियां रखी हैं, जैसा कि उन बहियों की हमारी लेखापरीक्षा से प्रकट होता है;	(S.K.VERMA) ADDL. MANAGING DIRECTOR (F&A)
ग) इस रिपोर्ट में दर्शाया गया तुलन पत्र, लाभ व हानि विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों के अनुसार हैं;;	
घ) योग्य अभिमत के लिए आधार अनुच्छेद में उल्लिखित विषय को छोड़कर, तुलन पत्र, लाभ व हानि एवं नकदी प्रवाह विवरण जब तक कि अन्यथा न कहा जाए, लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।	

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित, नई दिल्ली

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

	अनुसूची सं.	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	
		राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में
निधि के स्रोत					
शेयरधारक की निधि					
शेयर पूंजी	1	5,067.98		4,306.20	
शेयर आवेदन पत्र से राशि		310.23		11.76	
आरक्षिति एवं अधिशेष	2	83,000.49		74,027.45	
निधि लाभ/(हानि) लेखा	3	22,102.39	110,481.09	(16,985.89)	61,359.52
ऋण निधि					
प्रतिभूत ऋण	4		3,077,912.42		2,839,100.31
			3,188,393.51		**2,900,459.83**
निधियों का अनुप्रयोग					
स्थायी परिसंपत्ति	5	23,391.18		31,190.61	
निर्माण/पूंजीगत कार्य प्रगति में	6	1,308.65		720.23	
सावधि जमा में दीर्घावधिक		43,462.12		4,381.95	
निवेश (प्रावधानों का निवल)	7	4,254.97	72,416.92	3,952.47	40,245.26
निवल चालू परिसंपत्तियां					
चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम	8	4,260,504.00		3,988,604.69	
घटाएं:					
चालू देयताएं एवं प्रावधान	9	(1,168,135.68)	3,092,368.32	(1,152,077.94)	2,836,526.75
आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)			23,608.27		23,687.82
			3,188,393.51		**2,900,459.83**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां एवं वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां	15				

(S.K.VERMA)
ADDL. MANAGING DIRECTOR (F&A)

(RITESH CHAUHAN)
MANAGING DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

FOR HDSG & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN:002871N

(CA HARBIR SINGH GULATI)
PARTNER
M No: 084072

FOR DASS GUPTA& ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 000112N

(CA ASHOK KUMAR JAIN)
PARTNER
M No: 090563

FOR J K S S& ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN:006836C

SUMIT SHARMA

(CA SUMIT SHARMA)
PARTNER
M No:531748
FROM
MANILA,PHILLIPPINES

Place: New Delhi
Date: 26-07-2024

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार लाभ व हानि विवरण

	अनुसूची सं.	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	
		राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में
आय/बिक्री					
क) निर्यात		4,209.02		5,514.54	
ख) घरेलू		2,647,824.88		2,134,944.05	
ग) कृषि उपकरण एवं औजार		-	2,652,033.90	-	2,140,458.59
घ) पीएसएस प्रचालन पर भारत सरकार से वसूली योग्य घाटे की प्रतिपूर्ति			499,393.55		401,973.94
ङ) पीएसएफ के प्रचालन पर भारत सरकार से वसूली योग्य घाटे की प्रतिपूर्ति			263,989.08		136,264.84
प्रतिलिखित पुनर्मूल्यांकित राशि पर मूल्यहास			289.48		302.43
अन्य आय	10		68,249.69		42,295.89
संयुक्त उद्यम पर लाभ एवं हानि			21.01		28.96
व्यापार के स्टॉक में अभिवृद्धि/(गिरावट)					
अंतिम स्टॉक		1,836,948.15		1,697,607.46	
घटाएंः प्रारंभिक स्टॉक		1,697,607.46	139,340.69	1,269,832.97	427,774.49
योग			**3,623,317.40**		**3,149,099.14**

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित, नई दिल्ली

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार लाभ व हानि विवरण

विवरण	अनुसूची सं.	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार			31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार		
		राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में
व्यय							
खरीद			2,986,524.45			2,669,017.85	
बिक्री कर व्यय			13.06			-	
पीएसएस खरीद हेतु कैश क्रेडिट लिमिट पर बैंक को प्रदत्त ब्याज		280,294.39			218,986.68		
सरकार के प्रचालन पर बैंक प्रभार		11.86	280,306.25		8.07	218,994.75	
विनिर्माण एवं व्यापार व्यय	11		176,825.47			161,266.85	
बिक्री एवं वितरण	12		107,813.50			57,013.78	
कर्मचारियों का पारिश्रमिक एवं हितलाभ	13		5,831.18			5,875.01	
प्रशासनिक व्यय	14		2,384.05			2,161.28	
प्रदत्त ब्याज			-			-	
बैंक प्रभार			6.63	3,559,704.59		5.26	3,114,334.77
(भूमि के परिशोधन सहित) मूल्याह्रास				731.98			857.13
योग				**3,560,436.56**			**3,115,191.91**
प्रचालन लाभ/(हानि)				62,880.83			33,907.25
अतिरिक्त प्रतिलिखित प्रावधान			113.84			166.50	
घटाएं: सरकार के प्रचालन के			-	113.84		-	166.50
खाते पर पूर्वावधि समायोजन (निवल)							
I) विगत वर्ष की आय			442.70			2,648.03	
ii) विगत वर्ष के व्यय			(221.67)	221.03		(2,536.03)	112.00
कर पूर्व लाभ/(हानि)				**63,215.70**			**34,185.76**
कराधान हेतु प्रावधान							
आय कर हेतु प्रावधान			13,892.71			8,643.13	
आय कर व्यय - पूर्व वर्ष			5.51			63.05	
आस्थगित कर व्यय			79.55	13,977.77		(971.80)	7,734.37
वर्ष हेतु लाभ/(हानि)				**49,237.93**			**26,451.38**

अनुसूची- 1: शेयर पूंजी

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार लाख रुपये में	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार लाख रुपये में
प्राधिकृत पूंजीः		
30000 शेयर (गत वर्ष 30000) 25000/- रुपये के प्रत्येक शेयर	7,500.00	7,500.00
34 शेयर (गत वर्ष 34) 5000/-. रुपये के प्रत्येक शेयर	1.70	1.70
100000 शेयर (गत वर्ष 10000) 2500/- रुपये के प्रत्येक शेयर	2,500.00	2,500.00
1721 शेयर (गत वर्ष 1721) 1000/- रुपये के प्रत्येक शेयर	17.21	17.21
	10,018.91	**10,018.91**
निर्गमित, अभिदत्त एवं चुकता पूंजीः		
9688 शेयर (गत वर्ष 94689) 25000/- रुपये के प्रत्येक शेयर	2,422.00	2,367.00
34 शेयर (गत वर्ष 34) 5000/- रुपये के प्रत्येक शेयर	1.70	1.70
105085 शेयर (गत वर्ष 76814) 2500/- रुपये के प्रत्येक शेयर	2,627.13	1,920.35
1721 शेयर (गत वर्ष 1721) 1000/- रुपये के प्रत्येक शेयर	17.15	17.15
	5,067.98	**4,306.20**

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित, नई दिल्ली

अनुसूची-2: आरक्षिति एवं अधिशेष निधि

विवरण	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार राशि लाख रुपये में	वर्ष के दौरान आबंटन/परिवर्धन राशि लाख रुपये में	वर्ष के दौरान अंतरण/समायोजन राशि लाख रुपये में	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार राशि लाख रुपये में
सामान्य आरक्षिति	30,324.79	6,612.85	-	36,937.64
शिक्षण निधि	-	264.51	264.51	-
आकस्मिक निधि	10,621.58	-	-	10,621.58
कीमत में उतार-चढ़ाव संबंधी निधि (साधारण)	1,653.92	-	-	1,653.92
पुनर्मूल्यनिर्धारण आरक्षिति	23,614.09	-	289.48	23,324.61
लाभांश समीकरण निधि	3.13	627.15	622.62	7.66
आरक्षित निधि	7,809.94	2,645.14	-	10,455.08
	74,027.45	**10,149.65**	**1,176.61**	**83,000.49**

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित, नई दिल्ली

अनुसूची-3: लाभ/(हानि) लेखा

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष लाख रुपये में		31.03.2023 को समाप्त वर्ष लाख रुपये में	
आगे ले जाया गया लाभ /(हानि)		(16,985.89)		(37,842.12)
वर्ष हेतु लाभ /(हानि)		49,237.93		26,451.38
		32,252.04		(11,390.74)
घटाएं: दिनांक 22.09.2023 को सामान्य निकाय की बैठक के निर्णयानुसार विनियोजन				
सामान्य आरक्षित निधि	6,612.85		3,481.79	
शिक्षण निधि	264.51		139.27	
आरक्षित निधि	2,645.14		1,392.72	
लाभांश समीकरण निधि	627.15	10,149.65	581.36	5,595.14
		22,102.39		(16,985.89)

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित, नई दिल्ली

अनुसूची-4: प्रतिभूत ऋण

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	
	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में
क. नकद ऋण				
(पीएसएस स्टॉक एवं सरकार की गारंटी के दृष्टिबंधक से प्रतिभूत)				
i) भारतीय स्टेट बैंक	-		1,279,265.27	
ii) पंजाब नेशनल बैंक	-		240,185.99	
iii) पंजाब एंड सिंध बैंक	481,101.75		215,068.37	
vi) केनरा बैंक	1,373,452.73		464,047.29	
v) यूनियन बैंक	-		88,338.67	
vi) इंडियन बैंक	48,070.10		77,512.26	
vi) इंडियन ओवरसीज बैंक	948,377.39			
vii) बैंक ऑफ बडौदा	-	**2,851,001.97**	233,971.65	**2,598,389.50**
ख. ओटीएस के अंतर्गत बैंकों से ऋण				
(ओटीएस करार दिनांक 27.03.2018 के अनुसार दी गई प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत)				
i) फेडरल बैंक	16,901.40		16,901.40	
ii) पंजाब नेशनल बैंक	20,928.64		20,928.64	
iii) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	18,904.19		32,704.57	
iv) ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स	16,088.56		16,088.56	
v) साउथ इंडियन बैंक	13,890.48		13,890.48	
vi) बैंक ऑफ महाराष्ट्र	24,611.69		24,611.69	
vii) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	13,801.46		13,801.46	
vii) सिंडीकेट बैंक	8,722.05		8,722.05	
viii) उपचित ब्याज	93,061.98	**226,910.45**	93,061.98	**240,710.83**
योग (क + ख)		**3,077,912.42**		**2,839,100.33**

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित, नई दिल्ली

अनुसूची-5: 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार स्थायी परिसंपत्तियां

क्र.सं.	परिसंपत्तियों का विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
		01.04.2023 की स्थिति के अनुसार मूल लागत	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	वर्ष के दौरान अपमार्जन/ समायोजन	31.03.2024 की स्थिति के अनुसार सकल ब्लॉक	31.03.2023 तक संचित मूल्यह्रास	संचित मूल्यह्रास का समायोजन	वर्ष 2023-24 हेतु मूल्यह्रास	31.03.2024 तक मूल्यह्रास	31.03.2024 की स्थिति के अनुसार	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार
1	भूमि	28,579.54	847.01	8,333.26	21,093.29	3,123.94	(640.77)	182.71	2,665.88	18,427.42	25,455.61
2	भवन										
	क) फैक्ट्री	336.14	-	7.62	328.52	275.47	-	5.31	280.78	47.75	60.67
	ख) कार्यालय	8,511.11	252.57	782.18	7,981.50	4,622.77	(284.69)	321.86	4,659.94	3,321.55	3,888.34
	ग) भंडारगृह	1,334.54	-	-	1,334.54	947.33	-	38.72	986.05	348.49	387.21
	घ) अन्य	400.76	-	-	400.76	189.70	-	10.88	200.58	200.18	211.06
	ङ) अस्थायी संरचना	325.31	-	-	325.31	286.24	-	15.63	301.87	23.44	39.07
	योग (क से ङ)	10,907.86	252.57	789.80	10,370.63	6,321.51	(284.69)	392.40	6,429.22	3,941.41	4,586.36
3	फर्नीचर एवं साज-सज्जा	993.67	21.53	5.49	1,009.70	345.72	(4.95)	66.80	407.57	602.13	646.71
									-		
4	संयत्र एवं मशीन	316.71	0.08	-	316.79	279.40	-	5.42	284.82	31.98	37.31
5	वैद्युत उपकरण	682.35	6.96	8.70	680.61	408.92	(7.47)	42.61	444.06	236.55	274.66
6	अन्य उपकरण	628.63	4.11	3.78	628.96	539.23	(3.45)	27.01	562.79	66.17	89.40
7	कार्यालय उपकरण	4.04	-	0.47	3.57	3.56	(0.46)	0.02	3.12	0.45	0.48
8	वाहन	182.69	-	-	182.69	82.61	-	15.01	97.61	85.07	100.08
	योग (4 से 8)	**1,814.42**	**11.15**	**12.95**	**1,812.63**	**1,313.72**	**(11.38)**	**90.07**	**1,392.41**	**420.22**	**501.94**
	योग इस वर्ष	**42,295.49**	**1,132.26**	**9,141.50**	**34,286.25**	**11,104.88**	**(941.79)**	**731.98**	**10,895.07**	**23,391.18**	**31,190.61**
	योग विगत वर्ष	**42,669.61**	**51.10**	**425.22**	**42,295.49**	**10,537.65**	**(289.90)**	**857.13**	**11,104.88**	**31,190.61**	**32,131.96**

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित, नई दिल्ली

अनुसूची-6: निर्माण/पूंजीगत कार्य प्रगति में

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार
	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में
प्रारंभिक शेष	720.23	1,399.39
वर्ष के दौरान परिवर्धन	588.42	-
	1,308.65	1,399.39
वर्ष के दौरान समायोजन	-	679.15
	1,308.65	**720.23**

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित, नई दिल्ली

अनुसूची-7: निवेश (1 से 3)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	
	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में
निवेश (अनुदृत) लागत पर				
क. सहकारी समितियों में				
दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लि., नई दिल्ली के प्रत्येक 50/- रुपये के 100 पूर्णतया चुकता शेयर		0.05		0.05
भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लि., नई दिल्ली के प्रत्येक 10000/- रुपये के 199 पूर्णतया चुकता शेयर		199.00		199.00
भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लि., नई दिल्ली के प्रत्येक 1000/- रुपये के 30 पूर्णतया चुकता शेयर		0.30		0.30
भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लि., नई दिल्ली के प्रत्येक 10000/- रुपये के 07 पूर्णतया चुकता शेयर		0.70		0.70
भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लि., नई दिल्ली के प्रत्येक 2000/- रुपये के 1000 पूर्णतया चुकता शेयर		20.00		20.00
श्रीगंगानगर कपास बीज प्रसंस्करण सहकारी समिति लि., श्रीगंगानगर के प्रत्येक 20000/- रुपये के 25 पूर्णतया चुकता शेयर		5.00		5.00
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक लि., मुंबईका प्रत्येक 1000/- रुपये का 1 पूर्णतया चुकता शेयर		0.01		0.01
राजस्थान राज्य सहकारी भवन परिषद सहकारी संघ लि., जयपुर का प्रत्येक 1000/- रुपये का 1 पूर्णतया चुकता शेयर		0.01		0.01
भारतीय पर्यटन सहकारी लि., (सीओओपीटीओयूआर) नई दिल्ली के प्रत्येक 5000/- रुपये के 276 पूर्णतया चुकता शेयर	13.80		13.80	
घटाएं: हानि	13.80	-	13.80	-
भारतीय राष्ट्रीय सहकारी बैंक लि., नई दिल्ली के प्रत्येक 10000/- रुपये के 50 पूर्णतया चुकता शेयर		5.00		5.00

H.D.S.G. & Associates Chartered Accountants FRN NEW DELHI

DASS GUPTA & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS NEW DELHI

J K S S & ASSOCIATES NEW DELHI Chartered Accountants

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित, नई दिल्ली

अनुसूची-7: निवेश (2 से 3)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	
	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में
भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ लि., नई दिल्ली का प्रत्येक 25000/- रुपये का 1 पूर्णतया चुकता शेयर		0.25		0.25
ट्राईफेड, नई दिल्ली के प्रत्येक 100000/- रुपये के 5 पूर्णतया चुकता शेयर		5.00		5.00
कृभको, नोएडा के प्रत्येक 100000/- रुपये के 305 पूर्णतया चुकता शेयर		305.00		305.00
कृभको, नोएडा के प्रत्येक 10000/- रुपये के 04 पूर्णतया चुकता शेयर		0.40		0.40
कृभको, नोएडा के प्रत्येक 250000/- रुपये के 02 पूर्णतया चुकता शेयर		0.50		0.50
राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ,नई दिल्ली के प्रत्येक 2000/- रुपये के 9000 पूर्णतया चुकता शेयर		180.00		180.00
नागालैंड राज्य सहकारी समिति के प्रत्येक 50/- रुपये के 100 पूर्णतया चुकता शेयर		0.05		0.05
राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ, नई दिल्ली के प्रत्येक 2000/- रुपये के 5000 पूर्णतया चुकता शेयर		100.00		100.00
भारतीय बीज सहकारी समिति लि, के प्रत्येक 1000/- रुपये के 20100 पूर्णतया चुकता शेयर		201.00		100.00
नेशनल कोओपरेटिव आर्गनिक लि. के प्रत्येक 1000/- रुपये के 30100 पूर्णतया चुकता शेयर		301.00		100.00
नेशनल कोओपरेटिव एक्सपोर्ट लि. के प्रत्येक 1000/- रुपये के 10000 पूर्णतया चुकता शेयर*		100.00		100.00
योग (क)		**1,423.27**		**1,121.27**

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	
	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में
ख कंपनियों में				
कोर्णाक जूट लि. भुवनेश्वर में प्रत्येक 10/- के 1000000 शेयर	100.00		100.00	
घटाएं: हानि	100.00	-	100.00	-
राष्ट्रीय स्पॉट एक्सचैंज लि. में प्रत्येक 10/- के 100 शेयर	0.01		0.01	
घटाएं: हानि	0.01	-	0.01	-
लद्दाक फूड लि. नई दिल्ली में प्रत्येक 10/- के पूर्णतया चुकता 1000000 शेयर	10.00		10.00	
घटाएं: हानि	10.00	-	10.00	-
राष्ट्रीय बहु जिंस विनिमय लि. अहमदाबाद में प्रत्येक 10/- के पूर्णतया चुकता 500000 शेयर	50.00		50.00	
घटाएं: हानि	50.00	-	50.00	-
राष्ट्रीय बहु जिंस विनिमय लि. अहमदाबाद के राइट निर्गम में 5 रुपये के प्रीमियम पर प्रत्येक 10/- के पूर्णतया चुकता 250000 शेयर	37.50		37.50	
घटाएं: हानि	37.50	-	37.50	-
एनएसएस सतपुड़ा एग्रो डेवलेपमैंट कंपनी लि. में प्रत्येक 10/- के पूर्णतया चुकता 200000 शेयर	20.00		20.00	
घटाएं: हानि	20.00	-	20.00	-
फीफा, नई दिल्ली में प्रत्येक 10/- के पूर्णतया चुकता 10000 शेयर		1.00		1.00
गुजको एग्रो प्रा. लि., अहमदाबाद में प्रत्येक 10/- के पूर्णतया चुकता 5000 शेयर		0.50		-
योग (ख)		**1.50**		**1.00**

*फेडरेशन ने सहकारी समिति अर्थात राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के शेयरों में 1 मार्च, 2023 की तारीख से 1.00 करोड़ रुपये का निवेश किया है। हालाँकि, फेडरेशन को शेयर प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित, नई दिल्ली

अनुसूची-7: निवेश (3 से 3)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	
	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में
ग. अन्य				
लघु किसान कृषि व्यापार सहायता संघ, नई दिल्ली		20.00		20.00
8.5 प्रतिशत लखनऊ नगरपालिका बांड		1,286.10		1,286.10
भारतीय स्टेट बैंक में 7.37 प्रतिशत के स्थायी बांड		509.93		509.93
पंजाब नैशनल बैंक में 8.60 प्रतिशत के स्थायी बांड		501.65		501.65
टारएफसी में 7.59 प्रतिशत के स्थायी बांड		512.52		512.52
योग (ग)		2,830.20		2,830.20
योग (क + ख + ग)		**4,254.97**		**3,952.47**

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित, नई दिल्ली

अनुसूची-8: चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम (1 से 2)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार			31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार		
	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में
क) चालू परिसंपत्तियां						
मालसूची*						
(प्रबंधन द्वारा यथा स्वीकृत, मूल्यांकित, प्रमाणित)						
i) भारत सरकार की ओर से मूल्य						
समर्थन योजना/मूल्य स्थिरीकरण						
निधि के अंतर्गत रखी गई जिंस		1,799,796.70			1,685,748.58	
ii) अन्य जिंस		37,151.46	1,836,948.16		11,858.87	1,697,607.45
पैकिंग सामग्री			144.59			116.78
हस्थगत उपभोज्य भंडार एवं अतिरिक्त माल			-			-
संयुक्त उद्यम में निवेश			0.08			1.47
फुटकर देनदार (अप्रतिभूत)						
i) 6 माह से अधिक कर्जः						
अच्छा माना गया	40,488.28			48,630.79		
संदिग्ध माना गया	3,203.15			2,946.30		
	43,691.43			51,577.09		
घटाएंः प्रावधान	3,203.15	40,488.28		2,946.30	48,630.79	
ii) अन्य कर्ज		218,273.04	258,761.32		109,881.01	158,511.80
iii) प्राप्य सब्सिडी			68,992.21			15,135.76
भारत सरकार के खाते से एमआईएस/पीएसएसओ						
प्रचालनों से प्राप्य राशि (निवल)						
पीएसएस/एमआईएस के अंतर्गत जिसों		3,433,117.63			2,933,988.06	
के प्रबंधन पर घाटो के लिए भारत						
सरकार से प्राप्य राशि						
घटाएंः पीएसएस/एमआईएस के प्रबंधन						
के सापेक्ष भारत सरकार से प्राप्त राशि		1,863,616.79	1,569,500.84		1,598,986.79	1,335,001.27
नकद एवं बैंक में शेष						
i) हस्थगत नकद		3.85			4.32	
ii) हस्थगत चैक/मार्गस्थ प्रेषित की गई राशि		24.38			120.43	

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित, नई दिल्ली

अनुसूची-8: चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम (2 से 2)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार			31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार		
	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में
iii) सावधि जमा		4,486.63			10,940.69	
iv) अनुसूचित एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों में						
चालू एवं बचत खातों में		262,237.44	266,752.30		532,165.95	543,231.39
ख) ऋण एवं अग्रिम						
नकद या वस्तु के रूप में या प्राप्तीय मूल्य के लिए वसूली योग्य अग्रिम (अच्छा समझा गया जब तक कि अन्यथा घोषित न हो)						
कर्मचारियों को अग्रिमः						
i) आवासीय मकान एवं वाहनों के						
दृष्टिबंधक के सापेक्ष प्रतिभूत	-			0.04		
ii) अन्य अग्रिम (कर्मचारी)	34.61	34.61		33.15	33.19	
अन्य अग्रिम माल एवं सेवाओं के लिए अग्रिम	18,706.87			27,657.27		
घटाएंः संदिग्ध वसूली के लिए प्रावधान	-	18,706.87			27,657.27	
दावे एवं अन्य वसूली योग्य	134,885.37			105,556.45		
प्रतिभूतियां व अन्य जमा राशि	2,229.63			2,155.62		
	137,115.00			107,712.07		
घटाएंः सदिग्ध माने गये दावे	192.23	136,922.77		182.27	107,529.80	
टाईअप कारोबार के सापेक्ष अग्रिम		101,486.77			101,510.09	
अन्य अग्रिम (अग्रिम कर सहित)		1,753.33			1,766.41	
स्थायी परिसंपत्तियों के सापेक्ष अग्रिम पूंजी		485.10			485.10	
पूर्वचुकता व्यय		15.04	259,404.49		16.92	238,998.77
			4,260,504.00			**3,988,604.69**

* कुल मालसूची में निहित 26.64 करोड़ रुपये ओटीआर योजनाओं के अंतर्गत मिल मालिकों को दिया जाना है।

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित, नई दिल्ली

अनुसूची-9: चालू देयताएं एवं प्रावधान

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार	
	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में
फुटकर लेनदार **		263,852.13		340,236.40
प्रतिभूति जमा		44,819.99		24,446.22
आपूर्ति हेतु अग्रिम		140,595.24		130,374.70
सरकारी योजना के सापेक्ष प्राप्त अग्रिम		-		-
उपचित ब्याज		1.12		1.12
अन्य देयताएं (सदस्यों को देय पर छूट सहित)		191,388.82		175,179.56
अग्रिम में प्राप्त पूंजी अनुदान		105.68		105.68
अग्रिम में प्राप्त सब्सिडी		861.22		861.22
मूल्य स्थिरीकरण निधि के अंतर्गत एसएफएसी के माध्यम		-		-
से दलहन एवं प्याज की खरीद हेतु उपभोक्ता मामले,		-		-
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से प्राप्त राशि		510,884.15		469,859.25
प्रावधान				
आय कर	13,892.72		8,643.12	
विविध प्रावधान	1,734.61	15,627.33	2,370.67	11,013.79
		1,168,135.68		**1,152,077.94**

**ओटीआर योजनाओं के अंतर्गत मिल मालिकों से संबंधित फुटकर लेनदारों में 26.64 करोड़ रुपये सम्मिलित हैं।

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित, नई दिल्ली

अनुसूची-10: अन्य आय

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष		31.03.2023 को समाप्त वर्ष	
	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में
सेवा शुल्क				
i) वाणिज्यिक प्रचालनों पर सेवा शुल्क	3,852.76		1,645.95	
ii) पीएसएस प्रचालनों पर सेवा शुल्क	29,838.94		20,602.94	
iii) पीएसएफ प्रचालनों पर सेवा शुल्क	8,532.76	42,224.46	2,754.83	25,003.72
प्राप्त प्रक्रमण शुल्क		634.47		614.89
किये गये दावे		2,204.73		4,666.93
वाणिज्यिक प्रचालनों के निमित्त प्राप्त ब्याज				
i) सावधि जमा एवं बांड	1,437.89		295.54	
ii) अन्य गतिविधियां	9,439.60	10,877.50	7,213.10	7,508.64
निवेश पर लाभांश		101.34		101.33
स्थायी परिसंपत्ति की बिक्री पर लाभ/(हानि)		6,081.16		28.40
निवेश परिसंपत्ति की बिक्री पर लाभ/(हानि)		-		19.74
प्रवेश शुल्क		5.35		0.17
अन्य प्राप्तियां (अदावाकृत प्रतिलिखित क्रेडिट सहित)		6,120.68		4,352.07
		68,249.69		**42,295.89**

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित, नई दिल्ली

अनुसूची-11: विनिर्माण एवं व्यापार में व्यय

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष राशि लाख रुपये में	31.03.2023 को समाप्त वर्ष राशि लाख रुपये में
	-	-
वर्कशॉप एवं फैक्ट्री में आपूर्ति	-	-
संयत्र रखरखाव	0.29	0.66
बिजली एवं ईंधन प्रभार	6.29	6.24
प्रक्रमण शुल्क	1,562.82	12,972.99
अन्य खरीद व्यय	76,447.33	56,737.83
भाड़ा एवं पल्लेदारी	12,127.86	11,805.77
मार्गस्थ बीमा	0.46	(6.67)
चुंगी	22.11	1.52
लाइसेंस शुल्क	9.35	5.76
श्रेणीकरण एवं मानकीकरण व्यय	17,967.66	13,395.37
गोदाम किराया, भंडारण एवं भष्मीकरण व्यय	60,731.54	61,213.89
पीएसएस परिचालन पर एसएलए को दिया गया ब्याज	5.65	6.27
पीएसएस/पीएसएफ प्रचालनों का प्रमाणन शुल्क	10.72	9.05
समवर्ती लेखापरीक्षा शुल्क-पीएसएस	-	5.71
श्रम प्रभार	7,929.93	5,182.86
मार्गस्थ हानि	1.89	(305.17)
नामंजूर दावे	1.57	234.77
	176,825.47	**161,266.85**

H.D.S.G. & Associates Chartered Accountants NEW DELHI

DASS GUPTA & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS NEW DELHI

J K S S & ASSOCIATES NEW DELHI Chartered Accountants

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित, नई दिल्ली

अनुसूची-12: बिक्री एवं वितरण व्यय

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष		31.03.2023 को समाप्त वर्ष	
	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में	राशि लाख रुपये में
पैकिंग एवं अग्रेषण				
प्रारंभिक स्टॉक	116.78		32.14	
जोड़ेंः खरीद	73,279.02		30,006.05	
	73,395.80		30,038.19	
घटाएंः अंतिम स्टॉक	144.59	73,251.21	116.78	29,921.41
भाड़ा एवं पल्लेदारी		12,608.60		14,312.59
सर्वेक्षण एवं पर्यवेक्षण		462.03		455.35
गोदाम का बीमा		6,915.67		5,906.68
ब्रोकरेज एवं कमीशन		1,025.85		471.95
नमूना व्यय		2.86		1.35
विज्ञापन एवं प्रचार		444.13		54.95
अन्य बिक्री आय		12,731.12		5,456.46
अशोध्य और संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान		372.08		441.27
विनिमय में अंतर		(0.05)		(8.24)
		107,813.50		**57,013.78**

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित, नई दिल्ली

अनुसूची-13: कर्मचारियों का पारिश्रमिक एवं हितलाभ

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष राशि लाख रुपये में	31.03.2023 को समाप्त वर्ष राशि लाख रुपये में
वेतन	4,633.65	4,654.01
बोनस	0.35	2.29
अनुग्रह से	274.93	133.89
छुट्टी नकदीकरण व्यय	187.32	164.60
ईएसआई/चिकित्सा प्रभार	63.02	40.96
भविष्य निधि में अंशदान	405.65	446.61
कर्मचारी कल्याण व्यय	64.54	49.67
मृत्यु पर मुआवजा व्यय	-	-
जमा सहबद्ध बीमा	17.23	17.92
सामूहिक बीमा योजना	0.54	0.60
परोपकारी निधि में योगदान	2.87	2.98
कर्मचारी प्रशिक्षण व्यय	0.30	7.11
ग्रेच्युटी	180.78	354.36
	5,831.18	**5,875.01**

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित, नई दिल्ली

अनुसूची-14: प्रशासनिक व्यय

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष राशि लाख रुपये में	31.03.2023 को समाप्त वर्ष राशि लाख रुपये में
किराया, दरें एवं कर	180.09	205.66
बिजली व पानी	113.95	172.89
सधारण बीमा	11.62	13.63
टेलेफोन व टेलेक्स व्यय	19.37	19.03
डाक टिकट एवं तार	9.85	11.69
प्रिंटिंग व स्टेशनरी	47.32	39.41
समाचार पत्र व पत्रिकाएं	1.92	1.82
देय एवं सदस्यता शुल्क	7.18	16.45
सामान्य निकाय/निदेशकों की बैठकों पर व्यय	278.39	204.58
निदेशकों का यात्रा व्यय	113.23	160.42
अन्य का यात्रा व्यय	350.95	324.28
सुरक्षा एवं निगरानी व्यय	189.27	190.46
सामान्य प्रभार	231.54	211.68
वाहन रखरखाव	44.51	40.31
मरम्मत व नवीनीकरण	74.03	73.92
आंकड़े प्रक्रमण प्रभार	30.90	29.37
यावसायिक शुल्क-परामर्श	80.79	150.62
व्यावसायिक शुल्क-विधिक	57.05	74.50
लेखापरीक्षा शुल्क (कर लेखापरीक्षा शुल्क सहित)	27.00	27.00
आंतरिक लेखापरीक्षा शुल्क	12.39	13.21
अतिथिगृह कां रखरखाव	0.71	0.92
दान	300.00	-
कर्मचारी भर्ती व्यय	0.50	4.75
आथित्य सत्कार	33.52	35.57
ह्रासन क्षति	1.02	-
सम्मेलन व संगोष्ठी	3.07	28.18
टीडीएस/जीएसटी पर ब्याज/शास्ति	41.05	13.96
स्थायी परिसंपत्ति का अपलेखन	-	-
कर मांग एवं अपील शुल्क	-	28.20
कारोबार प्रचार संबंधी व्यय	122.84	68.77
	2,384.05	**2,161.28**

अनुसूची-15: प्रशासनिक व्यय महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां एवं वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

क. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. वित्तीय विवरणों की तैयारी का आधार

क) ये वित्तीय विवरण भूमि एवं भवन को छोड़कर, जिनका समय-समय पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के तौर पर एवं निरंतर आधार पर ऐतिहासिक लागत प्रथा के अनुसार तैयार किये गये हैं।

ख) लेखांकन नीतियां जो विनिर्दिष्ट तौर पर अन्यथा के तौर पर संदर्भित नहीं है, आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धातों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानकों एवं बहु राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के उपबंधों के अनुरूप हैं।

2. अनुमानों का उपयोग

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन को सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप अनुमान लगाने होते हैं कि परिसंपत्तियों और देयताओं के उल्लखित लेखाओं पर और प्रासंगिक देयताओं का उल्लेख करने से वित्तीय विवरण तैयार करने की तिथि पर क्या प्रभाव पड़ेगा और रिपोटिंग अवधि की समाप्ति पर कार्यों का परिणाम कैसा रहेगा। यद्यपि ये अनुमान प्रबंधन की वर्तमान परिस्थितियों व कार्यों के सर्वोत्तम ज्ञान पर आधारित होते हैं किंतु वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं।

3. राजस्व/व्यय की मान्यता

क) संघ लेखाओं को व्यावसायिक आधार पर तैयार कराता है एवं निम्नलिखित के अतिरिक्त आय व व्यय को बीमांकिक आधार पर मानता हैः-

i) कर्मचारियों को अनुग्रह/बकाये राशि देने की गणना तब की जाती है जब उन्हें इसका भुगतान कर दिया जाता है।

ii) कर्मचारियों को दिये गये अग्रिमों पर ब्याज, मूलधन की राशि पूरी तरह से वसूल करने के बाद, लेखाबद्ध की जाती है। ग्राहकों से विलंबित अदायगी पर ब्याज की गणना नकद आधार पर की जाती है।

iii) ्रत्येक मामले में पूर्व अवधि की 5000/- रुपये से कम की आय/व्यय को उस वर्ष लेखाबद्ध किया जाता है जिस वर्ष में यह प्राप्त/खर्च किया जाता है।

iv) निर्यात से होने वाले लाभ को उस वर्ष लेखाबद्ध किया जाता है जिस वर्ष में यह प्राप्त किया जाता है।

v) मूल्यांकन/निर्णय पूरा होने के उपरांत भुगतान किये जाने वाले करों/शुल्कों की देयता को बही में तब दर्ज किया जाता है जब अंतिम मांग की जाती है।

H.D.S.G. & Associates Chartered Accountants FRN NEW DELHI | DASS GUPTA & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS NEW DELHI | J K S S & ASSOCIATES NEW DELHI Chartered Accountants

vi) प्रत्येक मामले में 5000/- रुपसे से कम के पूर्व प्रदत्त व्यय को उस वर्ष में लेखाबद्ध किया जाता है जिस वर्ष यह व्यय किया जाता है।

vii) खर्च के वर्ष में संघ द्वारा अदावाकृत सरकारी योजनाओं अर्थात पीएसएस/पीएसएफ/कोई अन्य योजना में होने वाले व्यय केा उस वर्ष में लेखाबद्ध किया जाता है जिस वर्ष में उसका दावा किया जाता है, उसका निपटारा किया जाता है/भुगतान किया जाता है।

ख) जिन देयताओं के दावे पिछले तीन वर्षों से अधिक समय से नहीं आ रहे हैं उन्हें मेरिट आधार पर अपलिखित कर दिया जाता है।

ग) लाभांश आय को तब मान्यता दी जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है। ब्याज आय को समय अनुपात के आधार पर मान्यता दी जाती है, जिसमें बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखा जाता है।

4. निवेश

क) वर्तमान निवेश का मूल्यांकन लागत और उचित मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है, जो अलग-अलग मूल्यांकन के आधार पर अवधारित किया जाता है।

ख) शेयरों में दीर्घावधिक निवेश के मूल्य को लागत आधार पर लगाया जाता है। निवेश के मूल्य में स्थायी कमी का प्रावधान किया जा रहा है।

5. स्थायी परिसंपत्तियां एवं मूल्यह्रास

क) स्थायी परिसंपत्तियों का उल्लेख अधिग्रहण की लागत (सब्सिडी, यदि कोई हो, को समायोजित करने के उपरांत) पर किया जाता है जिसमें अप्रतिदेय शुल्क एवं कर, भाड़ा, आकस्मिक व्यय और इन्हें हटाने/लगाने का व्यय शामिल है। परिसंपत्ति के जीवनकाल के दौरान किया गया पुनर्मूल्यांकन परिसंपत्ति के वहन मूल्य में जोड़ा जाता है एवं पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि लेखा में जमा किया जाता है।

ख) पट्टे वाली भूमि, जिनकी पट्टावधि के उपरांत परिशोधन किया जाता है, को छोड़कर मूल्यह्रास का आय कर अधिनियम, 1961 के अधीन निर्धारित दरों पर अपलिखित मूल्य विधि पर प्रावधान किया जाता है। परिसंपत्ति के पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर अनुपातिक मूल्यह्रास को लाभ व हानि लेखा में जमा किया जाता है एवं पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि लेखा में नामे किया जाता है।

6. सदस्य सहकारी समितियों के साथ संयुक्त व्ययसाय

सदस्य सहकारी समितियों के साथ संयुक्त व्ययसाय मं लाभ/हानि को सह-व्यवसायों से प्राप्त लेखाओं, लेखापरीक्षित लेखाओं के वार्षिक विवरण के उपचित आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।

7. विदेशी मुद्रा में लेन-देन

i) विदेशी मुद्रा लेनदेन को प्रारंभिक तौर पर लेनदेन के दिन, हाजिर दर पर माना जाता है।

ii) उन मौद्रिक परिसंपत्तियों व देयताओं की जो विदेशी मुद्रा में वर्ष के अंत में अभुक्त रहती है, का उल्लेख वार्षिक अंतिम दरों पर किया जाता है।

iii) विदेशी मुद्रा में परिसंपत्तियों व देयताओं के उल्लेख में उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर को लाभ व हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

8. मालसूची का मूल्यांकन

प्रेषिती एवं केन्द्रीय भंडारण निगमों/राज्य भंडारण निगमों के साथ पारगमन शेयरों को छोड़कर भौतिक रूप से सत्यापित शेयरों के आधार पर अंतिम शेष की मालसूची तैयार की जाती है। ऐसे मामलों में संबंधित पार्टियों/एजेंसियों से प्राप्त प्रमाणपत्र पर भरोसा किया जाता है।

क) अंतिम शेष की मालसूची का मूल्यांकन निम्नलिखित रीति से किया जाता है:

i.	कृषि वस्तुएं एवं तैयार माल (बोरों के साथ)	लागत या बाजार/वसूलीयोग्य भाव पर, जो भी कम हो, (उस स्थान/शाखा पर जहां माल रखा गया है।
ii.	कच्चा माल, पैकिंग सामग्री एवं उपभोज्य भंडार	लागत पर
iii.	बैक टु बैक/टाईअप व्यवस्था के अंतर्गत रखा माल	लागत पर
iv.	मार्गस्थ माल	लागत पर
v.	पीएसएस/पीएसएफ और किसी अन्य योजना के अंतर्गत भारत सरकार की ओर से रखा गया माल	अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर
vi.	अनुप्रयोज्य/पुरानी पैकिंग वाली सामग्री	अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर
vii.	उप-उत्पाद/क्षतिग्रस्त माल	अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर
viii.	उपभोक्ता (खुदरा) उत्पाद	अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर

ख) लागत में, गोदाम पर पहुंचाये गये माल के सभी व्यय शामिल हैं।

ग) लागत से वार्षिक तोली गई औसत लागत अभिप्रेत है।

9. परिचालन पट्टे

भौतिक सत्यापन के समय कम/अधिक पाये गये भंडारण, अतिरिक्त माल, पैकिंग सामग्री, तैयार माल इत्यादि के मूल्यों को खपत/अंतिम स्टॉक में समायोजित किया जाता है।

10. कराधान

कर व्यय में वर्तमान और आस्थगित कर शामिल होते हैं। वर्तमान आय कर को भारतीय आय कर अधिनियम, 1961 के अनुसार कर प्राधिकणों को भुगतान की जाने वाली राशि पर मूल्यांकन किया जाता है।

आस्थगित आय कर वर्ष की कर योग्य आय एवं वर्ष के लिए लेखांकन आय और पूर्व वर्षों/अवधि के समय के अंतर में असंतुलन होने के बीच, वर्तमान वर्ष के समय के अंत के प्रभाव को दर्शाता है। आस्थगित कर की गणना कर दरों पर आधारित होती हैं एवं तुलन पत्र की तिथि के दिन लागू कर कानूनों या उसके बाद लागू होने वाले कर नियमों पर आधारित होती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और आस्थगित देयताओं की भरपाई तब होती है यदि कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार वर्तमान कर देयताओं पर वर्तमान परिसंपत्तियों को बंद करने के विद्यमान है एवं आस्थगित परिसंपत्तियां व आस्थगित कर देयताएं समान शासी कराधान कानूनों द्वारा लगाये गये आय पर करों से संबंधित हैं। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल उस सीमा तक ही मान्यता दी जाती है जहां तक उचित सुनिश्चितता होती है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिससे ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्तियों को वसूल किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जहां संघ के पास अनावशोषित मूल्यह्रास या अगले लाभ से कर घाटे की पूर्ति हो, सभी आस्थगित कर परिसंपत्तियों को तभी मान्यता दी जाती है, जब इस बात का उचित साक्ष्य देकर समर्थन किया जाता है कि इस तरह की आस्थगित कर परिसंपत्तियों को भविष्य में कर योग्य लाभ में वसूल किया जा सकता है।

संघ प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि को गैर मान्यता प्राप्त आस्थगित परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन करता है। यह गैर मान्यता प्राप्त आस्थगित कर परिसंपत्तियों की इस सीमा में पहचान देता है कि यह यथोचित या लगभग निश्चित हो जाता है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके लिए इस प्रकार की आस्थगित कर परिसंपत्तियों को प्राप्त किया जा सकता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर की जाती है। संघ, आस्थगित कर परिसंपत्तियों का उस सीमा तक अवलेखन करता है यह अब यथोचित निश्चित या वस्तुतः निश्चित नहीं है, यथास्थिति कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिसके लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियों को प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह के किसी भी अवलेखन को इस हद तक उलट दिया जाता है कि यथोचित निश्चित या वस्तुतः निश्चित हो जाए यथस्थिति, कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी। अंतिम मांग उठने पर मूल्यांकन/आस्थगन के पूरा होने पर लगने वाले करों/शुल्कों के लिए देयता को लेखाबद्ध किया जाता है।

11. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं

प्रावधान को मान्यता तब दी जाती है जब नेफेड के पास पिछली स्थिति के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व है तो यह संभावना होती है कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्वाह आवश्यक है जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। प्रावधान को इसके वर्तमान मूल्य पर छूट नहीं दी जाती है और तुलन पत्र की तिथि को दायित्व का निपटान करने के लिए आवश्यक सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि को इनकी समीक्षा की जाती है एवं वर्तमन सर्वोधम अनुमान को दर्शाने के लिए इन्हें समायोजित कर लिया जाता है।

12. कर्मचारी हितलाभः

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ को उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में बिना छूट के आधार पर व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें संबंधित सेवा प्रदान की जाती है।

सेवानिवृत्त होने पर उपदानः

संघ अपने नेफेड कर्मचारी सामूहिक उपदान एवं जीवन बीमा योजना न्यास में, एएस-15 के अनुपालन के साथ वास्तविक आधार पर अंशदान कर रहा है, यह अंशदान सामूहिक उपदान एवं जीवन बीमा हितलाभों के दायित्वों को पूरा करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम को वार्षिक आधार पर दिया जाता है। यदि इस योजना के अंतर्गत शामिल कर्मचारियों की कोई देयता होती है तो उसके वास्तविक निपटान के लिए गणना तब की जाती है जब इसका भुगतान कर लिया जाता है।

निश्चित अंशदान योजनाः

भविष्य निधि और पेंशन अंशदान को बीमांकिक आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।

छुट्टी का नकदीकरणः

छुट्टी के नकदीकरण के लाभ के संबंध में देयता के लिए वास्तविक आधार पर आवश्यक प्रावधान किया जाता है। यदि इस योजना में शामिल कर्मचारियों की कोई अतिरिक्त देयता होती है तो उसके वास्तविक निपटान को तब लेखाबद्ध किया जाता है जब इसका भुगतान कर दिया जाता है।

13. मूल्य समर्थन संचालन/मूल्य स्थिरीकरण कोष/किसी अन्य योजना के अंतर्गत भारत सरकार की ओर से संभाले गये मालों का कारोबार

क) खरीदें, बिक्री एवं किये गये व्यय को संघ की बही में संबंधित लेखा शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किया जाता है और पूंजी निवेश पर ब्याज लगाने के उपरांत परिणामी अधिशेष/घाटा, लाभ व हानि लेखा के नामे/जमा करते हुए भारत सरकर को देय/से वसूली करने योग्य माना जाता है।

ख) सरकार की ओर से सौंपे गए जिसों के सेवा शुल्क के दावे संबंधित सरकारी योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार लेखाबद्ध किए जाते हैं।

ग) रेलवे, बीमा और अन्य दावे जो तीसरे पक्ष के समक्ष किए गए हैं उसी वर्ष में लेखाबद्ध किये जाते हैं और सरकार को सौंप दिये जाते हैं जिस वर्ष में इनके दावे वास्तव में प्राप्त होते हैं।

(S.K.VERMA)
ADDL. MANAGING DIRECTOR (F&A)

(RITESH CHAUHAN)
MANAGING DIRECTOR

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 26.07.2024

SUMIT SHARMA

Digitally signed by SUMIT SHARMA
Date: 2024.07.26 12:28:13 +05'30'

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ मर्यादित, नई दिल्ली

ख. टिप्पणियां एवं व्याख्यात्मक विवरण

1. आकस्मिक देयताएंः

क. संघ के सापेक्ष दावे जिन्हें कर्ज के तौर पर नहीं माना गया है, 493.25 करोड़ रुपये (गत वर्ष 469.06 करोड़ रुपये) हैं जिनमें शामिल हैंः

i) विगत वर्षों में निर्यात दायित्वों को पूरा न करने के लिए मैसर्स एलिमेंटा द्वारा क्षतिपूर्ति के तौर पर दायर याचिका के संबंध में 363.78 करोड़ रुपये (गत वर्ष 363.78 करोड़ रुपये)

पार्टी को आपूर्ति अनुबंध पूरा न किये जाने के संबंध में मैसर्स एलिमेंटा एस.ए. जेनेवा के साथ एक वाणिज्यिक विवाद में पार्टी ने मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है जिसमें नेफेड को 58,20,000 अमरीकी डॉलर और उस पर ब्याज का भुगतान करने को कहा गया है। नेफेड की गणना के आधार पर ब्याज देनदारी 3,84,25,902 अमरीकी डॉलर बैठती है। इस प्रकार यह कुल देयता 4,42,45,902 अमरीकी डालर होती है जो 31 मार्च, 2023 को लागू विनिमय दर के अनुसार रुपये में बदले जाने पर 363.78 करोड़ रुपये बैठता है। इस निर्णय को मुंबई उच्च न्यायाल में चुनौती दी जा रही है। विधिक विशेषज्ञों की सलाह पर संघ ने इस विवादित मामले में नेफेड के पक्ष में निर्णय आने की संभावना को देखते हुए इसका अपनी लेखाबहियों में देयता का प्रावधान नहीं किया है किंतु इसे आकस्मिक देयता माना है।

ख) आय कर मांगों के कारण इस खाते में 117.38 करोड़ रुपये (गत वर्ष 117.02 करोड़ रुपये) की अनुमानित देयता इस प्रकार हैः

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	कर निर्धारण वर्ष	मांगी गई राशि	31.03.2024 तक भुगतान की गई राशि/भुगतान योग्य वापसी से समायोजित मांग	अपील की स्थिति	टिप्पणियां
1.	1986-87 1987-88 1988-89 1989-90 1990-91 1991-92 1992-93 1993-94 1994-95	0.14 1.79 1.18 4.86 0.79 3.31 4.56 3.86 9.27 29.76	0.14 1.79 1.18 4.86 0.79 3.31 4.56 3.86 9.27 29.76	सर्वोच्च न्यायालय/ उच्च न्यायालय	न्यायाधिकरण ने धारा 80 पी 2 ए (III) के अंतर्गत एओ द्वारा आवेदन करने पर अपने आदेश में संसोधन कर दिया है। व्यापाक आधार पर राहत प्रदान करने के लिए अपील दायर कर दी गई है। सुनवाई अभी आरंभ नहीं हुई है।
2.	2001-02 & 2002-03	2.40	2.40	सर्वोच्च न्यायालय	अन्य आधार पर राहत का दावा कर रहे हैं। विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) खारिज कर दी गई है।

3.	2003-04	0.00	0.00	उच्च न्यायालय	विभागीय अपील। सुनवाई अभी आरंभ नहीं हुई है।
4.	2004-05	0.00	0.00	यथोपरि	यथोपरि
5.	2006-07	0.00	0.00	यथोपरि	यथोपरि
6.	2008-09	0.00	0.00	यथोपरि	यथोपरि
7.	2009-10	0.00	1.19	आईटीएटी	वर्ष 2011-12 में रिफंड का समायोजन
8.	2010-11	13.93	24.32	आईटीएटी एवं सीआईटी (ए)	आंशिक रुप से नेफेड के पक्ष में अपील एवं मांग में कमी। कर निर्धारण वर्ष 2013-14 एवं कर निर्धारण वर्ष 2022-23 की मांग में रिंफड समायोजित। अंबाला शाखा में चल रहा खाता सीज कर दिया गया। रिफंड अभी प्राप्त नही हुआ है।
9.	2011-12	9.38	7.35	सीआईटी (ए)	की गई मांग के सापेक्ष धारा 154 के अधीन सुधार हेतु आवेदन दाखिल एवं कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के रिंफड में समायोजित।
10.	2012-13	0.00	0.69	यथोपरि	कर निर्धारण वर्ष 2011-12 की मांग में रिंफड समायोजित।
11.	2013-14	0.00	2.31	यथोपरि	कर निर्धारण वर्ष 2011-12 की मांग में रिंफड समायोजित।
12.	2014-15	0.01	0.71	यथोपरि	कर निर्धारण वर्ष 2011-12 की मांग में रिंफड समायोजित।
13.	2017-18	0.76	0.99	एओ	धारा 143 (1) के अधीन की गई मांग के साथ नेफेड के आर/ओ पुराने पेन में की गई मांग एवं कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के रिंफड में समायोजित।
14.	2018-19	1.52	1.89	यथोपरि	धारा 143 (1) के अधीन सूचना के अनुसार आय में वृद्धि के कारण की गई मांग। कर निर्धारण वर्ष 2022.23 के रिफंड में समायोजित।
15.	2019-20	59.41	0.00	यथोपरि	आगे ले जाई गई हानि की अनुमति न होने के कारण की गई मांग।
16	2020-21	0.25	0.00	यथोपरि	धारा 143(1) के अधीन की गई मांग।
17	2021-22	12.20	0.00	यथोपरि	धारा 143(1) के अधीन की गई मांग।
18	2022-23	0.00	0.00	यथोपरि	धारा 143(1) के अधीन रिफंड घटाकर 13.30 करोड़ रुपये किया गया एवं मांग के अनुसार समायोजित।
	योग	**129.62**	**71.61**		

संघ की लेखा बहियों में उपरोक्त कर देयताओं का प्रावधान नहीं किया गया है। चूंकि मामले संबंधित न्याधिक अधिकरणों के समक्ष लंबित हैं। प्रबंधन का मानना है कि संघ अपील में, सभी लंबित मामलों में जीतेगा एवं इसलिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है। इसके अलावा उपरोक्त मांग पर कोई प्रावधान ब्याज आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत नहीं माना गया है। आयकर विभाग को अदा किये गये 71.61 करोड़ रुपये (गत वर्ष 71.61 करोड़ रुपये) को अन्य अग्रिम के तौर पर दर्शाया गया है।

H.D.S.G. & Associates Chartered Accountants FRN NEW DELHI

DASS GUPTA & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS NEW DELHI

J K S S & ASSOCIATES NEW DELHI Chartered Accountants

2. अनुबंधों पर पूंजीगत प्रतिबद्धताओं की अनुमानित देयता अभी तक पूरी नहीं हुई है एवं 10.50 करोड़ रुपये (गत वर्ष 15.79 करोड़ रुपये) के लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

3. संघ में दीर्घावधिक निवेश की लागत 42.55 करोड़ रुपये (निवल) (गत वर्ष 39.52 करोड़ रुपये) है। निवेश का उल्लेख केवल उन मामलों को छोड़कर, जहां प्रबंधन का मनना है कि निवेश में कमी आई है, लागत पर किया गया है। वर्ष 2011-12 के दौरान 0.24 करोड़ रुपये एवं वर्ष वर्ष 2018-19 के दौरान 2.07 करोड़ रुपये की हानि, उपरोक्त के सापेक्ष लेखाओं में 2.31 करोड़ का नुकसान दर्ज किया गया है।

4. 9.32 करोड़ रुपये (गत वर्ष 9.04 करोड़ रुपये) की निम्नलिखित संपत्तियों का स्वत्वाधिकार विलेख अभी तक संघ के पक्ष में नहीं हुआ है।

   i. मुंबई 0.06 करोड़ रुपये

   ii. पुणे 0.12 करोड़ रुपये

   iii. भुवनेश्वर 3.41 करोड़ रुपये

   iv. लखनऊ 5.73 करोड़ रुपये

इसके अतिरिक्त, मोहन को-ओपरेटिव इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली में स्थित दो संपत्तियों जिनका उचित बाजार मूल्य 27.60 करोड़ रुपये है, न्यायालय के आदेशानुसार अधिग्रहीत की जा चुकी है जिनका अभी तक संघ के पक्ष में स्वत्वाधिकार विलेख नहीं हुआ है।

5. 3.10 करोड़ रुपये (गत वर्ष 0.12 करोड़ रुपये) की प्राप्त शेयरपूंजी का अभिदान आबंटन के लिए लंबित है। उपरोक्त में से समतियों को अभी तक 2.03 करोड़ रुपये के शेयरों/रिफंड का आबंटन कर लिया गया है। शेष राशि बकाया है चूंकि समितियों ने नेफेड को अपनी आय में से एक निश्चित राशि शेयर आवेदन के पैसे में कटौती करने और कटौती की गई राशि के बराबर हिस्से को साझा करने के लिए अधिकृत किया है। चूंकि शेयर की कीमत 2,500/- के कई गुना है और जारी किये जाने वाले न्यूनतम शेयर 25,000 के हैं। शेयर आवेदन के लिए कटौती की गई राशि अपेक्षित राशि से कम है एवं शेयर जारी करने के लिए उस स्तर तक पहुंचने के लिए जमा की जा रही हैं। इसलिए समितियों को शेयर जारी नहीं किये गये हैं।

6. चालू परिसंपत्तियों, ऋणों एवं अग्रिमों में 1014.87 करोड़ रुपये (गत वर्ष 1015.00 करोड़ रुपये) की अतिदेय टाई अप प्राप्त राशि शामिल है जिसमें से 279.03 करोड़ रुपये (गत वर्ष 279.03 करोड़ रुपये) की प्राप्य राशि संपाश्र्विक प्रतिभूतियों के स्वरूप में वसूली योग्य एवं प्रवर्तनीय मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा प्रतिभूत हैं। 1014.87 करोड़ रुपये (गत वर्ष 1015.00 करोड़ रुपये) के टाई अप प्राप्य में से लेखा बही में 4.11 करोड़ रुपये (गत वर्ष 4.11 करोड़ रुपये) का प्रावधान किया गया है।

   प्रबंधन का मानना है कि इस स्तर पर इन प्राप्यों के सापेक्ष अशोध्य ऋणों के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना जाता है क्योंकि बकाया राशि की वसूली के लिए संध ने आवश्यक कार्रवाई (प्रशासनिक, विधिक कार्रवाई एवं कुछ मामलों को सरकारी जांच एजेंसियों को भेजा गया, सहित) आरंभ की है।

7. पीएसएस/एमआईएस प्रचालन के कारण पीएसएस/एमआईएस प्रचालन वार दावे कृषि एवं कल्याण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष किये गये हैं। 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार प्राप्य राशि का विवरण इस प्रकार हैः

H.D.S.G. & Associates Chartered Accountants FRN NEW DELHI

DASS GUPTA & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS NEW DELHI

J K S S & ASSOCIATES NEW DELHI Chartered Accountants

क्र. सं.	विवरण	(राशि करोड़ रुपये में)
क.	पीएसएस/एमआईएस के अंतर्गत घाटा होने पर प्राप्य (गत वर्ष 29,339.88 करोड़ रुपये)	34,331.18
ख.	कीमत समर्थन प्रचालन के लिए भारत सरकार से प्राप्त राशि जमा विभिन्न प्रचालनों पर परिणामी अधिशेष में से सरकार/राज्य एजेंसियों को लौटाई/अदा की गई राशि (गत वर्ष 15,989.87 करोड़ रुपये)	18,636.17
ग.	निवल शेष (क-ख) (गत वर्ष 13,350.01 करोड़ रुपये)	15,695.01

प्रबंधन का उम्मीद है कि भारत सरकार द्वारा इन दावों का जल्दी निपटारा कर लिया जाएगा एवं पूरा दावा प्राप्त कर लिया जाएगा। दावों के निपटारे के समय की गई कटौती को अंतिम निपटान के वर्ष में लेखाबद्ध किया जाता है।

8. देनदारों, लेनदारों एवं ऋण तथा अग्रिमों के बकाया, संबंधित पक्षों के साथ पुष्टि के अधीन हैं। समिति/संघ/टाईअप पार्टियों/व्यापार सहयोगियों के साथ लेखाओं का मिलान भी प्रगति पर है। मिलान के समय उत्पन्न होने वाली विसंगतियों को निपटान के वर्ष में समायोजित किया जाएगा। .

9. प्रबंधन के आकलन के अनुसार, बहियों में संदिग्ध ऋणों का प्रावधान पर्याप्त रूप से किया गया है। यदि कोई बट्टे खाते में डालना आवश्यक हो तो उसे, यथोचित प्रक्रिया का पालन करने के उपरांत बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा।

10. जिन मामलों में विधिक/अन्य विवादों के कारण किराया प्राप्त नहीं हुआ है वहां आईसीएआई द्वारा जारी एएस-9 का पालन करने पर कोई आय नहीं मानी जाती है। ऐसे किरायेदारों के लिए नेफेड ने विधिक कार्यवाही आरंभ कर दी है।

11. संघ ने वित्तीय वर्ष 2023-23 के दौरान की गई सभी खरीद में 55.08 करोड़ रुपये (गत वर्ष 495.84 करोड़ रुपये) की राशि शामिल है जिसके लिए अभी बिल प्राप्त नहीं हुआ है। तुलन पत्र को अंतिम रूप देने की तिथि तक पार्टियों से 35.57 करोड़ रुपये (गत वर्ष 469.62 करोड़ रुपये) की राशि के बिल प्राप्त हुए हैं।.

12. केन्द्रीय/राज्य भंडारण निगम द्वारा जारी गोदाम रसीदों के आधार पर हस्थगत स्टॉक की गुणवत्ता व उसका मूल्य निर्धारण किया जा रहा है। गोदामों में रखे गये स्टॉक की मात्रा, गुणवत्ता व स्थिति एसएसलए, सर्वेक्षकों, एवं केन्द्रीय/राज्य भंडारण निगम की संयुक्त जिम्मेदारी है। नेफेड प्रबंधन नमी वाली सामग्री, गुणवत्ता, कृषक की उपज, दर एवं वजन तथा विचलन यदि कोई हो, के संबंध मं संघ की ओर से कृषि वस्तुओं की खरीद करने वाले सदस्य विपणन संघों/समितियों के चालान/दस्तावेजों पर निर्भर है, तदनुसार इसका निपटारा किया जाता है।.

13. वर्ष 2009-10 एवं वर्ष 2011-12 के दौरान पुनर्मूल्यांकित परिसंपत्तियों के संबंध में दशाई गई 2.89 करोड़ रुपये (गत वर्ष 3.02 करोड़ रुपये) के मूल्यह्रास की राशि का पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में नामे करते हुए लाभ व हानि लेखा में जमा किया गया है।

14. वर्ष 2003-2006 की अवधि के दौरान बैंकों से प्राप्त ऋण सुविधा, जिसका 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार 1705.86 करोड़ रुपये का बकाया था और वित्त वर्ष 2017-18 तक कुल ब्याज बकाया देय राशि 930.62 करोड़ रुपये अर्थात 2017-18 को समाप्त हुए वित्त वर्ष तक कुल बकाया देय राशि 2636.48 करोड़ रुपये थी। संघ ने बकाया ऋण राशि के लिए ऋणदाता बैंक के साथ "एकबारगी निपटान करार" हस्ताक्षरित किया जो 27.03.2018 को ऋणदाता बैंक के साथ हस्ताक्षरित "एकबारगी निपटान करार" के तहत "जैसा है जहाँ हैं" आधार पर मेगा मॉल अँधेरी मुंबई में चूककर्ता पार्टी की सम्पत्तियों के नीलामी अधिकारों के हस्तांतरण सहित 478.00 करोड़ रुपये के लिए निपटान किया गया। ऋणदाता बैंक के साथ प्रविष्ट एग्रीमेंट के अनुसार संघ ने पहले ही 31 मार्च 2024 तक 224.00 करोड़ रूपये का भुगतान कर दिया है। ऋणदाता बैंकों द्वारा लॉरेंस रोड की संपत्ति की बिक्री नीलामी 137.75 करोड़ रुपये पूरी कर ली गई है और इसका हस्तांतरण 2023-24 में किया गया है। तदनुसार, ऋणदाता बैंकों से अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया जाना है, चूंकि

H.D.S.G. & Associates Chartered Accountants FRN NEW DELHI

DASS GUPTA & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS NEW DELHI

JKSS & ASSOCIATES NEW DELHI Chartered Accountants

मेगा मॉल की बिक्री पूरी न होने के कारण प्रमुख ऋणदाता बैंक से अदेयता प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा, उक्त संपत्ति नेफेड और स्वरूप ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के बीच सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) का विषय बन गई है, इस प्रकार संघ ने लेखाबही में इसका प्रभाव नहीं दर्शाया है। ऋणदाता बैंक से अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरांत इसे उस वर्ष में दर्शाया जाएगा।

15. कर्मचारी हितलाभ

उपदानः

संघ ने एएस-15 ''कर्मचारी हितलाभ'' के अनुपालन में कर्मचारियों के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम से सामूहिक उपदान नीति आरंभ की है। दायित्व का वर्तमान मूल्य अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग करते हुए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

भविष्य निधिः

संघ ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा में 4.06 करोड़ रुपये (गत वर्ष 4.47 करोड़ रुपये) को कर्मचारी भविष्य निधि के व्यय के तौर पर मान्यता दी है।

संघ सेवानिवृत्ति के बाद की योजना निम्नानुसार संचालित करता है।

वित्तपोषित

सेवानिवृत्ति के उपरांत उपदान

सेवानिवृत्ति के उपरांत छुट्टी नकदीकरण

क. सेवानिवृत्ति उपरांत उपदान योजना का विवरण इस प्रकार हैः

अनुमान	31.03.2024 की स्थिति के अनुसार	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार
छूट की दर	7.25%	7.00%
वेतन वृद्धि	6.00%	6.00%

वर्ष के दौरान, संघ ने एलआईसी से प्राप्त सूचना के आधार पर निधि में अंशदान के तौर पर 1.81 करोड़ रुपये (गत वर्ष 3.54 करोड़ रुपये) का भुगतान किया एवं वर्ष के दौरान लाभ व हानि में दर्शाया है।

ख. सेवानिवृत्ति के उपरांत छुट्टी नकदीकरण योजना का विवरण इस प्रकार हैः

अनुमान	31.03.2024 की स्थिति के अनुसार	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार
छूट की दर	7.46%	7.46%
वेतन वृद्धि	4.00%	5.00%

वर्ष के दौरान, संघ ने एचडीएफसी/एलआईसी से प्राप्त सूचना के आधार पर निधि में अंशदान के तौर पर 0.76 करोड़ रुपये (गत वर्ष शून्य) का भुगतान किया एवं वर्ष के दौरान लाभ व हानि में 2.92 करोड़ रुपये (गत वर्ष 2.86 करोड़ रुपये) दर्शाया है।

16. लेखांकन मानक 18 के अनुसर संबंधि पक्षकारों का लेनदेनः

(क) संघ के पास एनएसएस सतपुड़ा एग्रो डेवलपमैंट कंपनी लिमिटेड के इक्विटी शेयरों में 20 लाख रुपये का निवेश किया है जो कंपनी की चुकता पूंजी का 50 प्रतिशत है। इसके अलावा एनएसएस सतपुड़ा एग्रो डेवलपमैंट कंपनी लिमिटेड

H.D.S.G. & Associates FRN NEW DELHI Chartered Accountants

DASS GUPTA & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS NEW DELHI

J K S S & ASSOCIATES NEW DELHI Chartered Accountants

की ओर से संघ द्वारा किये गये व्यय की राशि में से कंपनी से 65,19,285 रुपये (गत वर्ष 65,19,285 रुपये) वसूली योग्य है। नेफेड ने इसकी वसूली की संदिग्धता को देखते हुए इसके लिए 65,19,285 रुपये का प्रावधान किया था।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, संघ ने ''फेडरेशन ऑफ इंडियन एफपीओ और एग्रीगेटर्स (फीफा)'' के 100 प्रतिशत शेयरों के संबंध में 1 लाख रुपये का भुगतान करके उसके 10 रुपये अंकित मूल्य वाले 10000 शेयरों का अधिग्रहण किया था जिसे संघ के पक्ष में 24.07.2020 को हस्तांतरित कर दिया गया है। इसके अलावा, संघ ने और अधिक एफपीओ बनाने और सदस्यता बढ़ाने में क्षमता निर्माण के लिए 5 वर्षों के उपरांत चुकाए जाने वाले ब्याज मुक्त कार्यशील पूंजी के रूप में 50 लाख रुपये और 50 लाख रुपये का वित्तीय अनुदान जारी किया है। इससे संघ द्वारा उनकी ओर से खर्च की गई राशि खाते में कंपनी से 6,62,014 रुपये (गत वर्ष 4,39,138 रुपये) की राशि वसूली योग्य है।

(ख) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक एवं संबंध

क्र. सं.	नाम	पदनाम	(2013-24) (राशि रुपये में)	(2022-23) (राशि रुपये में)
1.	श्री रितेश चौहान, आईएएस	प्रबंध निदेशक	-	-
2.	श्री राजबीर सिंह, आईएफएस	भूतपूर्व प्रबंध निदेशक	6,41,316	36,58,195
3.	श्री सुनील कुमार सिंह	अपर प्रबंध निदेशक	39,88,811	35,76,005
4.	श्री पंकज कुमार प्रसाद	अपर प्रबंध निदेशक	34,58,050	29,04,131
5.	सुश्री कामना राजेश शर्मा	अपर प्रबंध निदेशक	-	-
6.	श्री चन्द्रजीत चटर्जी	अपर प्रबंध निदेशक	-	-
7.	श्री एस.के. वर्मा	अपर प्रबंध निदेशक	41,26,398	34,84,332
8.	श्री ए.के. रथ	अपर प्रबंध निदेशक	41,23,690	34,75,332
9.	श्री कमलेन्द्र श्रीवास्तव	कार्यकारी निदेशक	32,79,157	29,39,853
10.	श्री उन्नीकृष्ण कुरुप	कार्यकारी निदेशक	30,00,334	24,13,947

17. आपूर्तिकर्ताओं से प्रासंगिक सूचनाएं प्राप्त होने के उपरांत एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण किये जाएंगे। एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 8 के अनुसार आपूर्तिकर्ताओं से आवश्यक पत्रक प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है एवं इसकी प्रतीक्ष की जा रही है।

18. प्रबंधन के अभिमत में परिसंपत्तियों का वसूली योग्य मूल्य तुलन पत्र में उल्लिखित राशि से अधिक है। हानि के लिए आवश्यक प्रावधान एएस-28 (परिसंपत्तियों का नुकसान) के अंतर्गत यथा परिभाषित आवश्यक माना गया है।

19. एएस.27, ''संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग'' के अनुपालन में अपेक्षित जानकारी इस प्रकार है:

संयुक्त उद्यमों की निम्नलिखित श्रेणियों में हित का प्रकटीकरण:

(क) संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रचालन:

H.D.S.G. & Associates Chartered Accountants FRN 002871N NEW DELHI

DASS GUPTA & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS NEW DELHI

J K S S & ASSOCIATES NEW DELHI Chartered Accountants

नेफेड ने श्री स्वामी समर्थ शेतकारी उत्पादक कंपनी लिमिटेड ;एसएसएसपीसीएलद्ध और गुजरात राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।

नाम		देश का नाम	सहभागिता हित (प्रतिशत में)		
			31.03.2024		31.03.2023
1	गुजको नेफेड एग्रो प्राइवेट लिमिटेड	भारत	50%		50%
2	नेफेड-एसएसएसएसपीएलएओपी	भारत	51%		51%

(ख) संयुक्त रूप से नियंत्रित परिसंपत्तियां:

संयुक्त रूप से नियंत्रित/स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों में नेफेड की हिस्सेदारी शून्य है।

नाम	देश का नाम	सहभागिता हित (प्रतिशत में)		
		31.03.2024		31.03.2023
शून्य				

(ग) संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएं:

निगमन का नाम		देश का नाम	सहभागिता हित (प्रतिशत में)	
		31.03.2024	31.03.2023	
1	गुजको नेफेड एग्रो प्राइवेट लिमिटेड	भारत	50%	50%

2) संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं और प्रचालनों की परिसंपत्तियों, देयताओं, आय, व्यय, आकस्मिक देयताओं और पूंजी प्रतिबद्धताओं में नेफेड का शेयर:

विवरण		संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएं		संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रचालन	
		31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
(i)	परिसंपत्तियां				
	- गैर चालू परिसंपत्तियां	-	-	-	-
	- चालू परिसंपत्तियां	49,649.58	21,167.58	23,10,045.00	22,25,045.00
(ii)	देयताएं				
	- गैर चालू देयताएं	-	-	-	-
	- चालू देयताएं	1,30,120.50	1,01,888.00	8,72,307.00	8,12,307.00
(iii)	आय	-	-	49,54,414.00	66,00,539.00
(iv)	व्यय	13,050.50	1,17,368.00	18,40,130.00	32,54,128.00
(v)	आकस्मिक देयताएं	-	-	-	-
(vi)	पूंजीगत प्रतिबद्धताएं	50,000.00	50,000.00	-	-

* एसएसएसपीसीएल से संबंधित आंकड़े अलेखापरीक्षत हैं किन्तु प्रबंधन द्वारा प्रमाणित हैं।

** नासिक शाखा के संयुक्त उद्यम के लेखे तैयार किये जा रहे हैं।

20. प्रबंधन के अभिमत में चालू परिसंपत्तियों, ऋणों व अग्रिमों का वसूलीयोग्य मूल्य उस राशि से कम नहीं है जिनका उल्लेख अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर तुलन पत्र में किया गया है।

21. वित्तीय विवरण भूमि व भवन को छोड़कर ऐतिहासिक लगत अनुबंध के अंतर्गत तैयार किये जाते हैं जिनका समय-समय पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है।

22. वर्ष के दौरान आस्थगित कर परिसंपत्तियों (निवल) के तौर पर 0.80 करोड़ रुपये (गत वर्ष -9.72 करोड़ रुपये) को मान्यता दी है। दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार डीटीए/डीटीएल के घटक इस प्रकार हैंः

विवरण	चालू वर्ष (राशि रुपये में)	पिछला वर्ष (राशि रुपये में)
क. आस्थगित कर परिसंपत्ति		
लाभ /(-)अनग्रहीत हानि	--	--
स्थायी परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास में अंतर	3,40,72,593	8,71,29,280
कर्मचारी हितलाभ	--	--
अशोध्य एवं संदिग्ध कर्ज के लिए प्रावधान	3,98,80,326	--
आयकर अधिनियम की धारा 43 (ख) के अंतर्गत अस्वीकृति	9,30,63,18,308	9,32,47,52,622
योग (क)	9,38,02,71,227	9,41,18,81,902
ख. आस्थगित कर देयताएं		
एलीमेंटा की ब्याज देयता जिनका आयकर संगणना में दावा किया गया है किंतु बही में गणना नहीं की गई है	--	--
कर्मचारी हितलाभ	--	--
योग (ख)	--	--
आस्थगित कर परिसंपत्तिः (निवल) (क-ख)	9,38,02,71,227	9,41,18,81,902
कर प्रभाव	2,36,08,26,662	2,36,87,82,437

23. संघ सभी 23 स्थानों/शाखाओं में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के मिलान कर रहा है। आवश्यक प्रभाव यदि कोई हो, उसका बाद की अवधि में मिलान के उपरांत लेखा बहियों में लेखाबद्ध कर लिया जाएगा।

24. 23 संघ किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से सरकार द्वारा घोषित एमएसपी पर भारत सरकार की मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत पीएसएस का प्रचालन कर रहा है। पीएसएस प्रचालन में, आमतौर पर बाजार की स्थितियों के कारण, स्टॉक की खरीद और वहन लागत इसकी बिक्री की वसूलियों से अधिक होती है। इस प्रकार, ऐसी परिस्थिति में, जीएसटी का समायोजन नहीं हो पाता है और उसे संबंधित पीएसएस जिंस के लाभ एवं हानि लेखा में व्यय के रूप में दशा्रया जाता है। अत: संघ ने संबंधित लाभ एवं हानि लेखा में 1.46 करोड़ रुपये (गत वर्ष 0.25 करोड़ रुपये) की समायोजित न की गई जीएसटी राशि दर्शाई है। नेफेड न तो आउटपुट कर देयता के सापेक्ष

H.D.S.G. & Associates Chartered Accountants FRN NEW DELHI

DASS GUPTA & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS NEW DELHI

J.K.S.S & ASSOCIATES NEW DELHI Chartered Accountants

जीएसटी इनपुट सेट ऑफ करने में सक्षम है और न ही समायोजित न की गई जीएसटी के रिफंड का पात्र है चूंकि दलहन की खरीद / निपटान पर जीएसटी नहीं लगती है।

तथापि, जीएसटी केवल तिलहन की खरीद / बिक्री और पैकिंग सामग्री (बोरे) पर लागू है। इसके अलावा, नेफेड द्वारा की जाने वाली अन्य वाणिज्यिक व्यावसायिक गतिविधियाँ या तो जीएसटी से मुक्त हैं या यदि कर योग्य हैं, तो इसकी मात्रा पीएसएस प्रचालन के संपूर्ण समायोजन न की गई जीएसटी को समायोजित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जांच अधिकारियों, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के निदेशानुसार जीएसटी इनपुट को वापस लेने की कार्रवाई की जाएगी।

25. एएस-3 (नकद प्रवाह विवरण), एएस-17 (खंड रिपोर्टिंग) के अनुसार अपेक्षित विवरण/सूचना संलग्न हैं।

26. संघ पीएसएफ योजना के अंतर्गत खरीदी गई दलहन की संस्थानों और विभिन्न राज्य सरकारों की कल्याणकारी योजनाओं के तहत आपूर्ति कर रहा है। ऐसी आपूर्तियों के लिएए मिला मिलाकों को उनके द्वारा संबंधित राज्य सरकारोंध्संस्थानों को की गई दलहन की आपूर्ति के बदले पूरी दलहन की आपूर्ति की जाती हैं। इस प्रकारए संघ की बिक्री और खरीद में क्रमशः मिल मालिकों को की गई आपूर्ति और मिल मालिकों से प्राप्त से ऐसी आपूर्ति का मूल्य शामिल होता है।

27. डीओसीए ने केंद्रीय नोडल एजेंसियों को निदेश दिया है कि वे बीमांकिक आधार पर वार्षिक लेखे तैयार करें और उन्हें जांच के लिए प्रस्तुत करें। डीओसीए ने अपेक्षित अधिसूचना अभी जारी नहीं की है।

28. संघ की महत्वपूर्ण पट्टा देने की व्यवस्था संघ के कार्यालयों के लिए परिसर के प्रचालन पट्टे से संबंधिता होते हैं। आमतौर पर पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर इन पट्टों का नवीनीकरण किया जाता है किंतु इनका निरसन भी किया जा सकता है। इन भुगतानों को प्रशासनिक व्यय की अनुसूची संख्या 14 में "किराया, दर और कर" के रूप में दर्शाया गया है।

29. जहां भी आवश्यक समझा गया गत वर्ष के आंकड़े पुनः समूहित, पुनः व्यवस्थित व पुनः डाले गये हैं। आंकड़ों को निकटतम लाख में पूरा किया गया है।

(S.K.VERMA)
ADDL. MANAGING DIRECTOR (F&A)

(RITESHCHAUHAN)
MANAGING DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

FOR HDSG & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN:002871N

(CA HARBIR SINGH GULATI)
PARTNER
M No: 084072

FOR DASS GUPTA& ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 000112N

(CA ASHOK KUMAR JAIN)
PARTNER
M No: 090563

FOR J K S S& ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN:006836C

SUMIT SHARMA

(CA SUMITSHARMA)
PARTNER
M No:531748
FROM
MANILA,PHILLIPPINES

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः26.07.2024

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ मर्यादित., नई दिल्ली

वर्ष 2023-24 हेतु नकदी प्रवाह विवरण

ब्यौरा	31.03.2024 को समाप्त वर्ष		31.03.2023 को समाप्त वर्ष	
	विवरण	राशि (लाख में)	विवरण	राशि (लाख में)
<u>**क: प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह**</u>				
लाभ व हानि लेखा के अनुसार निवल लाभ		**49,237.94**		**26,451.38**
निम्न हेतु समायोजनः				
आस्थगित कर व्यय/(आय)	79.56		(971.80)	
आय कर व्यय	13,892.72		8,643.13	
मूल्यह्रास एवं परिशोधन	731.98		857.13	
बट्टे खाते में डाली गई पुनर्मूल्यांकित राशि पर मूल्यह्रास	(289.48)		(389.20)	
ब्याज की आय	(10,877.50)		(7,508.65)	
लाभांश आय	(101.34)		(101.33)	
प्रदत्त ब्याज	-		-	
प्राप्त पूंजीगत लाभ पर व्यय	(1,119.66)		-	
स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि	(6,081.16)		(28.40)	
निवेश की बिक्री पर लाभ	-		(19.74)	
बट्टे खाते में डाली गई स्थायी परिसंपत्ति	-	**(3,764.88)**	(0.00)	**481.13**
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ		**45,473.05**		**26,932.51**
फुटकर देनदारों में कमी/(वृद्धि)	(100,249.52)		96,774.82	
प्राप्य सब्सिडी में कमी/(वृद्धि)	(53,856.45)		2,871.22	
आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम/अन्य अग्रिमों में कमी/(वृद्धि)	(234,499.57)		80.34	
मालसूचियों में कमी/(वृद्धि)	8,987.28		25,230.30	
दावों/अन्य वसूली योग्य में वृद्धि	(139,367.12)		(427,860.50)	
चालू देयता में कमी/(वृद्धि)	(29,392.96)		25,484.88	
फुटकर लेनदारों में वृद्धि/(कमी)	(76,384.27)		(68,176.48)	
अन्य चालू देयताओं में वृद्धि/(कमी)	87,192.40		(153,469.03)	
शिक्षण निधि सं एनसीयूआई को भुगतान	(264.51)	**(537,834.72)**	(139.27)	**(499,203.73)**
प्रदत्त कर		**(8,643.13)**		**(6,071.11)**
प्रचालन गतिविधियों से/(प्रयोग में) निवल नकदीः (क)		**(501,004.80)**		**(478,342.33)**
<u>**खः निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**</u>				
	(963.90)		628.06	
स्थायी परिसंपत्ति की खरीद में कमी/(वृद्धि)	-		-	
स्थायी परिसंपत्ति की खरीद के लिए प्रदत्त अग्रिम	(39,382.67)		2,913.90	
निवेश में कमी/(वृद्धि)	10,877.50		7,508.65	
प्राप्त ब्याज	1,119.66		-	
प्राप्त पूंजीगत लाभ कर	101.34		101.33	
प्राप्त लाभांश	-		19.74	
निवेश की बिक्री पर लाभ	13,524.10		163.72	

स्थायी परिसंपत्ति की बिक्री		**(14,723.98)**		**11,335.39**
निवेश गतिविधियों से/(प्रयोग में) निवल नकदीः (ख)				
शेयर पूंजी के निर्गम से आय	1,060.22		199.10	
शेयर आवेदन राशि में वृद्धि	-		-	
लाभांश कां भुगतान	(622.62)		(579.82)	
प्रतिभूत ऋणों में वृद्धि	238,812.09		833,169.83	
प्रदत्त ब्याज	-		-	
वित्तपोषण गतिविधियों से/(प्रयोग में) निवल नकदीः (ग)		**239,249.69**		**832,789.11**
नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)		**(276,479.09)**		**365,782.17**
अवधि के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य	**(See Note 1)**	**543,231.39**	**(See Note 1)**	**177,449.22**
अवधि के अखिर में नकदी एवं नकदी समतुल्य	**(See Note 1)**	**266,752.30**	**(See Note 1)**	**543,231.39**

नकदी प्रवाह विवरण पर टिप्पणियां

1. नकदी एवं नकदी समतुल्य
   नकदी प्रवाह विवरण में शामिल नकदी एवं नकदी समतुल्य जिसमें निम्नलिखित तुलनपत्र की राशि शामिल हैः

	31.03.2024	31.03.2023
हाथ में नगदी एवं बैंक में शेष.	266,752.30	543,231.39
	-	-
	266,752.30	543,231.39

(S.K.VERMA)
ADDL. MANAGING DIRECTOR (F&A)

(RITESHCHAUHAN)
MANAGING DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

FOR HDSG & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN:002871N

(CA HARBIR SINGH GULATI)
PARTNER
M No: 084072

FOR DASS GUPTA& ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 000112N

(CA ASHOK KUMAR JAIN)
PARTNER
M No: 090563

FOR J K S S& ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN:006836C

SUMIT SHARMA

(CA SUMITSHARMA)
PARTNER
M No:531748
FROM
MANILA,PHILLIPINES

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः26.07.2024

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ मर्यादित, नई दिल्ली

खंड रिपोर्ट (एएस-17) वित्तीय वर्ष 2023-24

क्र.सं.	विवरण	I कृषि कारोबार	II पीएसएस कारोबार	III चैनलाइजिंग कारोबार	IV अन्य कारोबार	V अनाबंटित मदें	हेतु योग 2023-2024	I कृषि कारोबार	II पीएसएस कारोबार	III चैनलाइजिंग कारोबार	IV अन्य कारोबार	V अनाबंटित मदें	हेतु योग 2022-2023
क.	राजस्व खंड												
i)	बिक्री	88,030.19	1,789,088.55	-	635,088.57	139,826.59	2,652,033.90	200,046.06	1,145,069.50	-	692,278.81	103,064.22	2,140,458.59
ii)	सेवा शुल्क (पीएसएफ/पीएसएस)	75.75	28,956.76	-	13,019.34	172.61	42,224.46	8,225.14	15,497.08	-	1,279.63	-	25,001.85
iii)	अन्य आय	2,402.50	3,006.79	-	758.60	-	6,167.90	813.18	7,342.76	-	393.35	795.48	9,344.77
	सकल बिक्री/आय	90,508.44	1,821,052.10	-	648,866.51	139,999.20	2,700,426.26	209,084.38	1,167,909.34	-	693,951.79	103,859.70	2,174,805.22
	(i+ii+iii)												
ख.	परिणाम खंड	39,440.96	(715,102.11)	-	(248,573.09)	213,172.79	(711,061.45)	158,747.29	(538,237.74)	-	(253,633.59)	129,102.80	(504,021.24)
	(सकल लाभ)												
क.	जोड़ें: अनाबंटित आय	-	-	-	-	783,068.35	783,068.35	-	(0.00)	-	-	547,017.75	547,017.75
ख.	घटाएं: अनाबंटित व्यय	-	-	-	-	23,393.31	23,393.31	-	-	-	-	17,126.06	17,126.06
ग.	लाभ (ख़ + क-ख)	39,440.96	(715,102.11)	-	(248,573.09)	972,847.83	48,613.59	158,747.29	(538,237.74)	-	(253,633.59)	658,994.50	25,870.45
	असाधारण मदों से पूर्व												
घ.	असाधारण मदें	-	-	-	-	624.34	624.34	-	-	-	-	580.93	580.93
ङ.	करोपरांत लाभ	39,440.96	(715,102.11)	-	(248,573.09)	973,472.17	49,237.94	158,747.29	(538,237.74)	-	(253,633.59)	659,575.43	26,451.38
ग.	परिसंपत्ति खंड	53,040.52	1,124,498.77	-	165,854.42	874,180.69	2,217,574.39	114,912.24	1,657,092.27	-	73,756.58	141,241.94	1,987,003.03
क.	अनाबंटित परिसंपत्तियां	-	-	-	-	2,115,577.83	2,115,577.83	-	-	-	-	2,042,078.27	2,042,078.27
ख.	कुल परिसंपत्तियां (ग + क)	53,040.52	1,124,498.77	-	165,854.42	2,989,758.51	4,333,152.22	114,912.24	1,657,092.27	-	73,756.58	2,183,320.22	4,029,081.30
घ.	देयता खंड	39,238.19	2,888,308.13	-	207,801.23	114,566.87	3,249,914.43	149,728.33	2,625,908.07	-	131,531.80	112,247.91	3,019,416.12
क.	अनाबंटित देयताएं	-	-	-	-	1,083,237.79	1,083,237.79	-	-	-	-	1,009,665.19	1,009,665.19
ख.	कुल देयताएं (घ+क)	39,238.19	2,888,308.13	-	207,801.23	1,197,804.67	4,333,152.22	149,728.33	2,625,908.07	-	131,531.80	1,121,913.10	4,029,081.30
ङ.	वर्ष के दौरान खर्च किया	-	-	-	-	963.90	963.90	-	-	-	-	51.10	51.10
	गया पूंजीगत व्यय												
च.	मूल्यह्रास	-	-	-	-	731.98	731.98	-	-	-	-	857.13	857.13
छ.	मूल्यह्रास से भिन्न	-	-	-	-	17,975.11	17,975.11	-	-	-	-	16,336.39	16,336.39
	गैर नकदी व्यय												

(A N ARORA)
GENERAL MANAGER

H.D.S.G. & Associates, Chartered Accountants, New Delhi

Dass Gupta & Associates, Chartered Accountants, New Delhi

J K S S & Associates, Chartered Accountants, New Delhi

(S.K. VERMA)
ADDL. MANAGING DIRECTOR (F & A)

टिप्पणी

टिप्पणी

nafed
A Farmers' Cooperative
...Since 1958

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित

नेफेड भवन, सिद्धार्थ एन्कलेव आश्रम चौक, रिंग रोड़, नई दिल्ली-110014
दूरभाष: इपीएबीएक्स : +91-11-26340019, 26341810
फैक्स: +91-11-26340261

@nafedindia | nafed-india.com

Design and Printed at : Royal Press # 93101 32888